हिंदी

शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ, योजनाएँ, आकलन

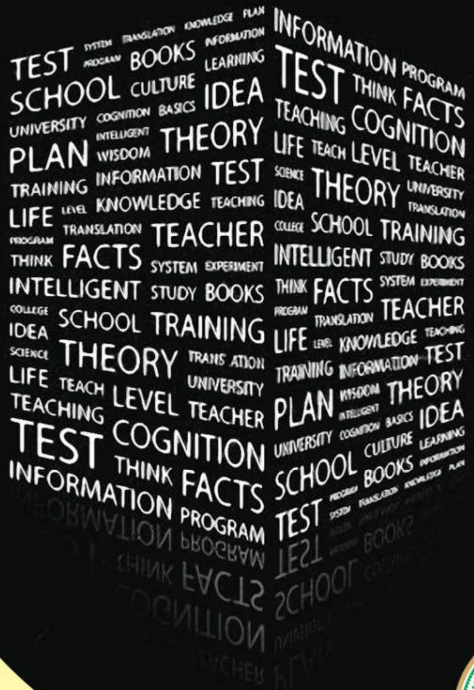

EDUCATION

KNOWLEDGE TRAINING TEACHER THEORY TEST INFORMATION

GRK

सरकार द्वारा प्रकाशित,
हैदराबाद

B.Ed / H.P.T

हिंदी

शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ, योजनाएँ, आकलन

छात्राध्यापक मार्गदर्शिका

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
हैदराबाद

छात्रोपाध्यापकों के लिए मार्गदर्शिका

B.Ed/H.P.T.

हिंदी

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
हैदराबाद।

सहाभागी गण

श्री सय्यद मतीन अहमद
राज्य हिंदी समन्वयक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

श्री सुरेश कुमार मिश्रा
राज्य हिंदी संसाधक, हैदराबाद

श्रीमती जी. किरण
राज्य हिंदी संसाधक, हैदराबाद

श्रीमती कविता
राज्य हिंदी संसाधक, हैदराबाद

श्रीमती रेशमा बेगम
राज्य हिंदी संसाधक, हैदराबाद

संपादक

श्री सय्यद मतीन अहमद
राज्य हिंदी समन्वयक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

श्री सुरेश कुमार मिश्रा
राज्य हिंदी संसाधक, हैदराबाद

सलाहकार

श्री सुवर्ण विनायक
राज्य तेलुगु समन्वयक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

मुख्य सलाहकार

श्री जी. गोपाल रेड्डी
निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हैदराबाद

डॉ. एन. उपेंदर रेड्डी
अध्यक्ष, सी&टी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हैदराबाद

आमुख

प्राथमिक स्तर की समाप्ति तक छात्र पढना, अर्थग्रहण करना, स्वरचना जैसे शैक्षिक मापदण्डों के साथ सृजनात्मकता के विकास, भाषा का अलग-अलग संदर्भों में सक्षमता के साथ कौशलों का परिपूर्ण उपयोग कर सकना ही भाषा का प्रधान लक्ष्य है। पाठ्य पुस्तक ही एक ऐसा साधन है जो इन शैक्षिक मापदण्डों का स्त्रोत है। राज्य विद्या प्रणाली पत्र 2011 के अनुसार 1,2,3 कक्षाओं के नवीन पाठ्य पुस्तकों को 2011-12, 2012-13 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने उपलब्ध करवाया।

कक्षागत भाषाई कौशलों को प्राप्त करने में पाठ्यपुस्तक केवल एक साधन मात्र है, पाठ्य पुस्तक की दार्शनिकता को समझकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आरंभ करने पर ही अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त किया जा सकता है। 4,5 कक्षाओं की नवीन पाठ्य पुस्तकों में विविध विधाओं का परिचय दिया गया है। इनके अभ्यास शैक्षिक मापदण्ड के अनुरूप दिए गए है। छात्रों में रटंत पद्धति की समाप्ति, छात्र अपने अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया कर सकें, सृजनात्मक अभिव्यक्ति कर सके, विविध दृष्टिकोणों से समस्याओं का समाधान कर ज्ञान, शैक्षिक दक्षताएँ कौशलों के विकास कर सके इस आधार पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया है।

नवीन पाठ्य पुस्तकें के निर्माण से कक्षा कक्ष में समर्थ रूप से उपयोग करने हेतु, पाठ का विषय सूची, पाठों का नियोजन, अभ्यासों का स्वभाव, अपेक्षित दक्षताएँ का अवलोकन व कक्षा कक्ष के वातावरण के साथ शिक्षण योजनाओं पर समग्र रूप से अवलोकन करना अध्यापकों के लिए आवश्यक है। इसके लिए अध्यापक वार्षिक योजना - या पाठ योजना बनाने से ही निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ती हो सकती है।

4,5 कक्षाओं की हिंदी पाठ्य पुस्तिकाएँ कक्षा में सक्षम रूप से इसका प्रयोग किया जा सके इसके अनुरूप यह hand book बनाई गई है। इसमें मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तकों की दार्शनिकता का परिचय देते हुए अभ्यासों का स्वभाव, कक्षा का आयोजन, पाठ शिक्षण के सोपान नमूना पाठ, पाठ शिक्षण के लिए अध्यापक की तैयारी, सतत् समग्र मूल्यांकन के लिए नमूना प्रश्न, प्रश्न पत्र का समग्र ज्ञान प्रदान करने के अनुरूप hand book है। कक्षा कक्ष्य में छात्रों की मार्गदर्शि व उनके निर्माण में यह पुस्तक अध्यापकों के लिए सहायक सिद्ध होगी इसकी अपेक्षा करते हैं।

यह hand book नवीन पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण में अध्यापकों के लिए एक साधन मात्र है। शिक्षण में विविधता व नवीनता लाना/उत्पन्न करना यह अध्यापकों पर निर्भर करता है। शिक्षण प्रणाली में अनुभवों का अधिक महत्व होता है। अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस hand book के सूचनाओं व नवीन शिक्षण अनुभवों को जोड़कर छात्रों में भाषागत दक्षताओं का विकास व उनमें आत्मागौरव, नैतिकता, सृजनात्मकता का विकास कर अध्यापक गण अद्भुत लक्ष्यों को पा सकें यह आशा की जाती है।

दि : 30.05.2013 — निदेशक

स्थान : हैदराबाद — राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

विषयसूची

क्र.सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा - 2011 (SCF-2011)	5 - 13
2.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 (RTE-2009)	14 - 38
3.	ज्ञान - ज्ञान निर्माण - कक्षा नियोजन (Knowledge - Construction of knowledge - Classroom implication)	39 - 49
4.	नवीन हिंदी पाठ्यपुस्तकों के दार्शनिक तत्व (Sailent Features & Key Principles of Language Text Book)	50 - 61
5.	भाषा अधिगम के उपागम (Language Learning - Strategies)	62 - 75
6.	शिक्षण सोपान (Teaching Steps)	76 - 80
7.	अध्यापक की तैयारी - योजनाएँ (Teacher Preparation and Plans) i) वार्षिक योजना (Year / Annual Plan) ii) पाठ योजना (Lesson Plan) iii) कालांश योजना (Period Plan)	81- 101
8.	सतत समग्र मूल्यांकन (Continuous Comprehensive Evaluation) i) रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Evaluation) ii) सारांशात्मक मूल्यांकन (Summative Evaluation) iii) नमूना प्रश्न पत्र (छठवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक) (Model Question Papers)	102 - 142
9.	शिक्षण अधिगम सूचनाएँ (Teaching Learning - Guidelines)	143 - 145
10.	शिक्षण अभ्यास - निर्देश (Teaching Practice - Guidelines)	146- 151
11.	संदर्भ सूची (Reference List)	152 - 153
12.	महत्वपूर्ण वेबसाईट्स (Important Websites)	154-156

१ राज्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा - 2011 संक्षिप्त सारांश (SCF-2011)

पहले शिक्षा सभी को नहीं मिलती थी। किंतु आज यह एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा हर योग्य स्कूली बच्चे का निःशुल्क और अनिवार्य अधिकार है। हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियों एवं भाषाई विविधता होने के कारण सभी को शिक्षा उपलब्ध करायी जाये, इसका स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। गत छह दशाब्दियों से भारत में सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया गया और किया जा रहा है। किंतु आज भी कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। बाल मज़दूरी, पाठशाला के बाहर बच्चों का रहना, दायित्व की कमी, यांत्रिक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ, मापदंडों के नाम पर अधिक जानकारी से भरी हुई भारी पाठ्यपुस्तकें, तनाव, असमंजसता, अंक और रैंक तक सीमित होती हुई मूल्यांकन पद्धतियाँ, मूल्यों का पतन, दिन-ब-दिन बढ़ते व्यापारिक दृष्टिकोण से क्रमशः संपन्न लोगों की एक तरह की महंगी पढ़ाई, निर्धन का एक और तरह की पढ़ाई प्राप्त करने का शैक्षिक वातावरण, मौलिक सुविधाओं की कमी आदि सवालों को हम देख सकते हैं।

अपने राज्य में भी परिस्थिति इससे कुछ अलग नहीं है। इसके साथ सरकारी पाठशालाओं में छात्रों की संख्या का घटते जाना, जानकारी को याद रखना ही ज्ञान समझना, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, बालिकाएँ आदि वर्ग दूसरे वर्ग के बराबर शिक्षा प्राप्त न कर सकना अतिरिक्त समस्याएँ भी हैं।

ऐसी परिस्थितियों को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2005 का निर्माण ''भार रहित शिक्षा'' नामक प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया। बच्चों की पढ़ाई रटने की

विधि तक सीमित न होकर अर्थपूर्ण बदलना, सीखे हुए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना, सीखना पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न हो, असमंजसता, प्रतियोगिता के अधिगम के लिए परीक्षा पद्धति में संशोधन लाने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सूचित करती है।

इन अंशों के साथ सभी बच्चों के लिए प्रामाणिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए क़ानूनी अधिकार बनाते हुए मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 लागू हुआ। पाठशाला शिक्षा में महत्वपूर्ण व्यक्ति अध्यापक है। अध्यापक की क्षमता पर ही प्रामाणिक शिक्षा आधारित है। अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अध्यापक शिक्षण-2010 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने तैयार किया है।

भार रहित शिक्षा प्रतिपादन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, अध्यापक शिक्षण-2010 के प्रस्ताव और मार्गदर्शक सूत्रों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य में पाठशाला शिक्षा में संशोधन लाना ही अति आवश्यक माना गया है। इसके लिए अपने राज्य में भी राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2011 को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, आचार्य, अध्यापकों, स्वैच्छिक संस्थाओं के सदस्यों, विश्वविद्यालय के आचार्यों आदि से सलाहकार समिति, परिचालन समिति का राज्य सरकार ने गठन किया है। उसी तरह विभिन्न विषयों में समकालीन परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए प्रस्तावों के साथ आधार पत्रों के निर्माण के लिए एक-एक अंश के लिए फोकस ग्रूप की नियुक्ति की।

विषय विशेष पर आधार पत्र

1.1 भाषा एवं भाषा सिखाने पर आधारित आधार पत्र

1.2 अंग्रेजी भाषा शिक्षण - आधार पत्र

1.3 विज्ञान शिक्षण - आधार पत्र

1.4 गणित शिक्षण - आधार पत्र

1.5 सामाजिक शास्त्र शिक्षण - आधार पत्र

1.6 पर्यावरण शिक्षण - आधार पत्र

1.7 कला शिक्षण - आधार पत्र

व्यवस्थागत बदलाव पर आधार पत्र

2.1 शिक्षा के उद्देश्य - आधार पत्र

2.2 शिक्षा के व्यवस्थागत बदलाव पर आधार पत्र

2.3 अध्यापक शिक्षण एवं अध्यापन वृद्धि - आधार पत्र

2.4 शिक्षा अधिगम का मूल्यांकन - आधार पत्र

2.5 तकनीकी शिक्षा - आधार पत्र

2.6 पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यक्रम - आधार पत्र

GRK

राज्य संबंधित मुख्य अंश - आधार पत्र

3.1 विभिन्न वर्गों की शिक्षा (SC-ST-Minority-Girls सम्मिलित शिक्षा) - आधार पत्र

3.2 स्वास्थ्य और व्यायाम शिक्षा - आधार पत्र

3.3 प्रारंभिक बाल शिक्षा - आधार पत्र

3.4 कार्य तथा शिक्षा - आधार पत्र

3.5 नैतिक मूल्य - मानव अधिकार - आधार पत्र

राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा-2011 तथा 18 आधार पत्रों के निर्माण के लिए निम्न रपटों की मूल बातें ली गयी हैं।

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना 73 व 74 संविधान संशोधन
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा - 2005
- भारत सरकार का निवेदन - भार रहित शिक्षा
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009
- शिक्षक शिक्षण एवं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अधिकार - 2010
- राष्ट्रीय विज्ञान कमीशन का सुझाव

उपर्युक्त दिये गये निवेदनों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली-2011 में इन सूत्रों का प्रतिपादन किया है। इनके आधार पर ही विविध विषयों, सहपाठ्यांश, संबंधित आधार पत्र, पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक स्तरों का निर्माण किया है। इस प्रकार पाठ्यपुस्तकों का आधुनिकीकरण,

मूल्यांकन एवं परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया गया है। इस क्रम में आंध्र प्रदेश राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा-2011 का दृष्टिकोण इसके मूल सूत्रों की जाँच करेंगे।

राज्य के दृष्टिकोण

- शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है कि बालक को दायित्वपूर्ण व समझदार नागरिक बनायें।
- शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा में बालक की आवश्यकता और इच्छा/रुचि ही केंद्रबिंदु हो।
- बच्चों को इस प्रकार तैयार किया जाय कि वे अपनी संस्कृति, संप्रदाय, पारंपरिक्ता की प्रशंसा कर सकें और सामाजिक अभिवृद्धि में सहायक हों।
- बच्चे संज्ञानात्मक प्रणाली द्वारा सीखते हैं। शिक्षा प्राप्त करने की प्रणाली बालक के मानसिक स्तर पर आधारित हो।
- सीखने की प्रणाली में परिणाम प्राप्त से अधिक उसे प्राप्त करने वाली प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाये। इस प्रक्रिया से बालक विषय को न रटकर बल्कि विषयगत ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा विषय विश्लेष' करने में सामर्थ्य प्राप्त करने में सक्षम बनें।
- ज्ञान का भंडार विशाल है। इसे विषय के आधार पर विभाजित करना कृत्रिम तरीका है। ज्ञान संज्ञानात्मक क्षमताओं से युक्त होता है। एक ही अंश को समझाने के लिए अलग-अलग विषयों में अलग-अलग तरीके अपनाये जाते हैं।
- शिक्षा प्रणाली एक गतिशील प्रक्रिया है। यह केवल पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित नहीं है। पर्यावरण या बाहरी दुनिया के साथ मिलकर छात्र अध्यापकों के सृजनात्मक अभिवृद्धि में सहायक होते हैं।
- शिक्षा प्रणाली के साथ शिक्षा प्रशासन, पाठशाला से संबंधित सभी क्रियाकलापों का विकेंद्रीकरण करना है।

ए.पी.एस.सी.एफ.-2011 के मौलिक सूत्र

- छात्र अपने सहज दक्षताओं के आधार पर सीखने में अधिक रुचि रख सकते हैं।
- छात्रों की भाषा और समाज में विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आदर करना, उन्हें अभ्यासन कार्यों में उपयोग में लाना।
- अर्जित ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना।

- रटंत पद्धति की समाप्ति। इसके बदले में परस्पर वार्तालाप, चर्चा, परियोजना कार्य, अनुसंधान, शोध, विश्लेषण आदि पद्धतियों के द्वारा बच्चे अर्थ सहित सीखते हैं।
- सीखे हुए ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित न रखते हुए छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा प्रणाली में अनुरूप अवसर प्रदान करना। इसके अनुरूप पाठ्यपुस्तकों में बदलाव करना।
- सतत् समग्र मूल्यांकन के द्वारा परीक्षाओं को सरलीकृत करना। शिक्षण अभ्यसन प्रक्रिया में उसे एक भाग बनाना।
- छात्र के सीखने के स्तर का मूल्यांकन करने के स्थान पर ऐसा मूल्यांकन करें जो छात्रों को सिखाने में रुचि उत्पन्न करें।
- पाठ्यक्रम में विभिन्न अंशों को सम्मिलित करते हुए अर्थयुक्त सीखने के अनुरूप सामाजिक निर्माणात्मक, तुलनात्मक/तार्किक शिक्षण पद्धतियों के आधार पर शिक्षण अभ्यसन प्रक्रियाओं का आयोजन करना।
- छात्रों की संस्कृति, अनुभव, स्थानीय मुद्दों को कक्षा कक्ष में प्रधानता देना।

राज्य के दृष्टिकोण और मौलिक सूत्रों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली रूपरेखा-2011 का निर्माण किया। निम्न अंशों में बदलाव का प्रतिपादन किया गया-

पाठ्यपुस्तक

अब तक बनायी गयी पाठ्यपुस्तकों का बदलाव दस वर्षों में एक बार हुआ। मौलिक बदलाव केवल नाम मात्र ही था। उसी प्रकर विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों के शिक्षण के लिए कोई आधार पत्र नहीं थे। इस कारण बदलाव केवल पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यांशों में ही हुआ न कि विषयों के चयन में अभ्यासों की विधा को स्थान नहीं दिया गया। इसी तरह पाठशाला में दिये गये विषयों, अपेक्षित लक्ष्यों व विषयों की विशेषताओं, छात्रों के स्वभाव आदि को पाठ्यपुस्तक को प्रामाणिकता के नाम पर अधिक जानकारी से भरकर वज़नदार बना दिया गया। गणित, विज्ञान शास्त्र जैसे विषयों में ऊपर की कक्षाओं के अंश निचली कक्षाओं में जुड़ गये। ये मानसिक रूप से बच्चों के लिए भार बन गये। राज्य में हुए एपेप (APEP) और डिपेप (DPEP) जैसे कार्यक्रम के कारण प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में कुछ हद तक बदलाव आने पर भी यह एन.सी.एफ.-2005, आर.टी.ई.-2009, ए.पी.एस.सी.एफ.-2011 के अनुसार और समग्र रूप में बदलने की आवश्यकता है। ए.पी.एस.सी.एफ.-2011 इन समस्याओं को पार करते हुए सार्थक पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव सुझाये गये हैं।

- भाषा, गणित, विज्ञान सामाजिक अध्ययन आदि विषयों में पुस्तकें तैयार करने के लिए विषयानुसार आधार पत्र होने चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक बच्चों को सोचने व स्वयं में निहित दक्षताओं के द्वारा सीखने में सहायक हो।
- पाठ्यपुस्तकों में जानकारी अधिक मात्रा में न हो, बल्कि बच्चे ही जानकारी इकट्ठा कर सकें और उस जानकारी का विश्लेषण कर निर्णय ले सकें।
- बच्चों के ज्ञानार्जन के लिए पाठ्यपुस्तक सहायक होने चाहिए। उस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने में काम आना चाहिए।
- बच्चे केवल पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित न रहे बल्कि अतिरिक्त शिक्षण के लिए संदर्भ ग्रंथों, पत्र-पत्रिकाओं, पठनसामग्री, समाज के सदस्यों से परस्पर प्रतिक्रिया द्वारा भी शिक्षा ग्रहण कर सकें।
- पाठ्यपुस्तकों की भाषा सरल होनी चाहिए। सीखने में भाषा प्रतिबंध या अवरोध न बनें। बहुभाषिकता को भी स्थान मिलना चाहिए।
- पाठ्यपुस्तकों में लिंग भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने, सोचने, मानवाधिकार के प्रति चेतना उत्पन्न करने में सहायक हो। उसके लिए प्रतिक्रिया, आलोचनात्मक विचार, बहुआयामी विचार, सृजनात्मक विचार, संप्रेषण कुशलताएँ जैसी कुशलताओं का विकास करना चाहिए।
- स्थानीय कलाएँ, संस्कृति, उत्पादन क्रियाकलाप, स्थानीय अंश आदि पाठ्यांश में होना चाहिए।
- विभिन्न अंशों के लिए निर्धारित शैक्षिक प्रमाण, संभावित शिक्षा अधिगम परिणाम को प्राप्त करने के अनुकूल अभ्यास होने चाहिए।
- क्रियाकलाप, परियोजना कार्य, अन्वेषण, प्रयोग, बहुआयामी प्रश्न, खेल, पहेली आदि के रूप में चिंतनोत्तेजक अभ्यास होने चाहिए।
- बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से, समूह में और संपूर्ण कक्षा में सीखने के अनुकूल अभ्यास होने चाहिए।
- पाठ्य सहगामी विषय, मानवमूल्य, नैतिकता, कलाएँ, स्वास्थ्य कार्य आदि जैसे अंशों को सीखने के अनुकूल पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यांश और अभ्यास होने चाहिए।
- पाठ्यपुस्तकें निचली कक्षाओं के निर्धारित कौशलों के पुनःश्चरण के अवसर प्रदान करते हुए कक्षा के कौशलों को प्राप्त करने और अगली कक्षाओं के अंशों से समन्वय करने लायक होने चाहिए।

♦ पाठ्यपुस्तक आकर्षक, सुंदर, अच्छी गुणवत्ता वाले कागज़, मुद्रण, चित्रों से युक्त होनी चाहिए।

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया

- रटना, दोहराना, पुस्तकों व गाइडों से सहायता लेना, प्रश्न कुंजियों से विषय लेकर लिखना या यांत्रिक रूप से पढ़ना जैसे कृत्रिमता के बदले शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों में अर्थपूर्ण ढंग से सीखने में सहायक होने चाहिए। उसके लिए ए.पी.एस.सी.एफ-2011 निम्न प्रस्ताव रखता है -

  ♦ परस्पर प्रतिक्रिया, स्व-अभिव्यक्ति, प्रश्न करना जैसे अंशों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक महत्व देना चाहिए।

  ♦ प्रयोग, अन्वेषण, क्रियाकलाप, परियोजना कार्य और खेल आदि में छात्र भाग लें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत होने चाहिए।

  ♦ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अर्थ केवल विवरण दे या पढ़कर सुनाये ऐसा नहीं है। अध्यापक यह सुनिश्चित करें कि बच्चे सीखने के लिए प्रेरित व सम्मिलित हो। साथ ही साथ आवश्यक सामग्री का उपयोग करें। उसके लिए सामग्री उपलब्ध करवायें तथा शैक्षिक संदर्भ उपलब्ध करवायें जाय।

  ♦ बच्चे व्यक्तिगत रूप से सहपाठियों से अध्यापकों दूवारा, सहायक सामग्रियों द्वारा तथा सीखने के अनुकूल शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का निर्वाह होना चाहिए। बच्चों के शैक्षिक समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग होना चाहिए। बच्चों को अपनी घरेलू भाषा सीखने के अनुकूल व्यवस्था व वातावरण रहना चाहिए। अध्यापक भी बच्चों की स्थानीय भाषा का प्रयोग करें।

  ♦ शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का संचालन बच्चों के अनुभव व पूर्व ज्ञान से आरंभ होना चाहिए।

  ♦ स्थानीय कलाएँ, उत्पादन सामग्री, श्रमजीवी अनुभवों को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में संसाधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

मूल्यांकन और परीक्षाएँ

- बच्चों के आकलन के लिए हम अब तक केवल परीक्षाओं पर निर्भर हैं। परीक्षाएँ भी बच्चों को आकलन करने के बदले बच्चों को दोषी बताने, हीनभाव उत्पन्न करने दबाव, असमंजसता बढ़ा रही हैं। एक तरह से परीक्षाएँ ही शिक्षा व्यवस्था को शासित कर रही हैं। इस

संदर्भ में ए.पी.एस.सी.एफ-2011 इस तरह से प्रस्तावित किया है-

- ♦ मूल्यांकन व परीक्षाएँ बच्चों के केवल आकलन तक सीमित न होकर बच्चों के सीखने में सहायक होनी चाहिए (अर्थात् सीखने के लिए मूल्यांकन)
- ♦ शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार मूल्यांकन को सतत् समग्र मूल्यांकन (सी.सी.ई) दूवारा किया जाना चाहिए।
- ♦ बच्चों के आकलन के लिए केवल परीक्षाओं तक सीमित न रहकर परियोजना कार्य, प्रदत्त कार्य, पोर्ट फोलियों (छात्र अभिलेख), संगोष्ठी, प्रदर्शन, अनेक्डाट (शिक्षक अभिलेख), पर्यवेक्षण आदि के भी प्रयोग करें। इन अंशों को वार्षिक परीक्षाओं में समुचित भार निर्धारित करें।
- ♦ इसके लिए मूल्यांकन को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में समावेशित किया जाये।
- ♦ प्रश्नों के स्वभाव बदलना, रटंत स्वभाव को प्रेरित करने वाले प्रश्नों, पाठ्यपुस्तकों में निहित सूचनाओं तक सीमित प्रश्नों के आधार पर बच्चे स्वयं सोचकर लिखने के लिए, अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिए विविध प्रकार के समाधान देने वाले प्रश्न, दैनिक जीवन से जोड़ने के अनुकूल सोचने वाले प्रश्न होने चाहिए। बच्चे अर्जित ज्ञान को किस हद तक उपयोग कर सकते हैं, इसका आकलन करने के लिए मूल्यांकन होना चाहिए।
- ♦ बच्चे स्वयं स्वमूल्यांकन कर सकें। माता-पिता अपने बच्चों के विकास का परीक्षण कर सकें। इसके लिए खुले मूल्यांकन पद्धति/पारदर्शित मूल्यांकन पद्धति हो।
- ♦ बोर्ड की परीक्षाओं में भी पाठशाला में संचालित सतत् समग्र मूल्यांकन के अंशों को भी समुचित भार प्रदान करें।
- ♦ बोर्ड की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएँ माँगने पर माता-पिता को देना, पुनर्मूल्यांकन करना।
- ♦ सहगामी अंशों, रुझान, मूल्य, कार्य, स्वास्थ्य खेल आदि का भी मूल्यांकन करना।

व्यवस्थागत संशोधन

- ● ए.पी.एस.सी.एफ-2011 लागू करने के लिए उपर्युक्त अंशों में बदलाव के साथ नीचे दिये गये व्यवस्थागत संशोधनों को प्रतिपादित किया गया।
  - ♦ प्रशासन और पाठशाला संचालन विकेंद्रीकरण के लिए पंचायतीराज संस्थाओं को भागीदार बनाना।

- ♦ पाठशाला परिसर में प्रधान अध्यापक के अधीन कार्य करने, ई.सी.ई केंद्रों की स्थापना करना, बच्चों के संरक्षण और स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियों को आई.सी.डी.एस विभाग, शिक्षा संबंधी दायित्वों को शिक्षा विभाग स्वीकार करें।
- ♦ शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्देशानुसार सभी पाठशालाओं में मौलिक सुवधिाएँ व अध्यापकों की नियुक्ति करना।
- ♦ उसी तरह बच्चों के माता-पिता से पाठशाला प्रबंधन समिति का गठन कर पाठशाला संचालन में उन्हें भागीदारी देना।
- ♦ योजना, संचालन, निरीक्षण, पैसों का उपयोग आदि सभी अंशों में विकेंद्रीकरण की पद्धति को अमल करना।
- ♦ शिक्षा के साथ, अध्यापक सहायता व सहकारिता को प्रबल बनाना।

आवश्यक कौशलों, मूल्यों रुझानों को बढ़ाने के लिए ए.पी.एस.सी.एफ-2011 दिशा-निर्देश देता है। इसके लिए किये गये आधार पत्रों द्वारा विभिन्न विषयों और अंशों में प्रस्ताव दिये गये हैं। इनको लागू करने के लिए संस्थागत संशोधन करना, इसके लिए सभी वर्ग के लोग शिक्षाविद्, अध्यापक समितियाँ, अध्यापक स्वैच्छिक संस्थाएँ आदि से सदा सूचनाएँ स्वीकार कर आवश्यक संशोधन करते हैं। इसके द्वारा राज्य शिक्षा क्षेत्र में विकसित होकर अग्र स्थान प्राप्त करें ऐसा प्रयास करेंगे।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा - २००५ मौलिक सूत्र

- आर्जित ज्ञान को छात्रों के बाहरी जीवन से जोड़कर अनुसंधान करवायें।

- कंठस्थ प्रणालियों को अधिगम सेदूर रखें।

- पाठ्य पुस्तक को साध्य न बनाकर एक साधन के रूप में छात्रों का सर्वागीण विकास करने में सहायक बनें।

- परीक्षा प्राणीयों में सुधार कर बोझ रहित करें।

- लोकतंत्र राज्य के अनुरूप छोत्रों में सेवैधानिक मूल्यों का विकास करें।

❖ ❖ ❖

2 शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 (RTE - 2009)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम - 2009

भाग-1 प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ

1. ये नियम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 जाने जाऐगे।

(i) ये तुरंत प्रभाव से लागू होगे।

(ii) ये संपूर्ण राज्य में मान्य होगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) 'अधिनियम' से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अभिप्रेत है।

(ii) 'आंगनबाडी' से भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की समग्र बाल विकास योजना के अंतर्गत स्थापित आंगनबाडी केंद्र अभिप्रेत है।

(iii) 'नियत तिथि' से अधिकारित गजट में अधिसूचित तिथि जब से यह अधिनियम प्रभावकारी होंगा।

(iv) 'अध्याय' 'धारा' व 'अनुसूची' से आशय क्रमशः इन नियमों में उल्लिखित 'अध्याय' 'धारा' व 'अनुसूची' से है।

(v) 'बालक' से छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है।

(vi) 'छात्र समुच्चयित अभिलेख' का आशय छात्र की प्रगति अभिलेख जो उसके विस्तृत एवं अनवरत मूल्यांकन पर आधारित, से है।

(vii) 'शाला मानचित्र' से सामाजिक अवरोधों एवं भौगोलिक अंतर को कम करने के लिए विद्‌यालय स्थान की योजना बनाना अभिप्रेत है।

(viii) 'राज्य' का आशय राजस्थान राज्य से है।

(ix) 'राज्य सरकार' का अभिप्राय सरकार से, 'जिला' का अभिप्राय राज्य के राजस्व जिले से है।

(x) 'निदेशक प्रारंभिक शिक्षा' से विभागाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा अभिप्रेत है।

(xi) 'निदेशक संस्कृत शिक्षा' से विभागाध्यक्ष संस्कृत शिक्षा और जो राजस्थान में संस्कृत में प्रारंभिक शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रम भी सचालित करा रहे है, से अभिप्रेत है।

(xii) निदेशक माध्यमिक शिक्षा से विभागाध्याक्ष माध्यमिक शिक्षा राजस्थान अभिप्रेत है।

(xiii) 'आयुक्त/निदेशक सर्व शिक्षा अभियान' से विभागाध्यक्ष राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैशिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी कर रहे हैं, से अभिप्रेत है।

(xiv) 'राज्य गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण' से राज्य सरकार द्‌वारा 'राज्य गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989' द्‌वारा स्थापित अधिकरण अभिप्रेत है।

(xv) 'जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा)' का आशय प्रशासनिक अधिकारी जो जिला स्तर पर नियंत्रण एवं प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, से है।

(xvi) 'खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का आशय ब्लॉक स्तर पर नियंत्रण एवं प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, से है।

(xvii) 'स्थानीय प्राधिकारी' से नगरपालिका/निगम अधिनियम या राज्य पंचायती राज्य अधिनियम 1994 और पंचायती राज नियम 1996 के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् सहित स्थानीय निकाय से अभिप्रेत है।

(xviii) 'पड़ोस का आशय विद्‌यालय के पास या विशिष्ट दूरी पर स्थित वारास्थान रो है।

(xix) 'प्राथमिक विद्‌यालय' से अभिप्रेत कक्षा प्रथम से पाचवी तक की शिक्षा देने वाले विद्‌यालय से है।

(xx) 'उच्च प्राथमिक विद्‌यालय' से अभिप्रेत कक्षा प्रथम से आठवीं तक की शिक्षा देने वाले विद्यालय से है।

(xxi) 'ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत' से अभिप्रेत राज्य पंचायती नियम 1996 द्‌वारा गठित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत से है।

(xxii) 'सरपंच' से आशय ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रमुख से है।

(xxiii) 'पंचन से अभिप्राय ग्राम पंचायत के वार्ड के निर्वाचित सदस्य से है।

(xxiv) 'पार्षद' से आशय शहरी/स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य से है।

(xxv) 'अलाभप्रद समूह' से समस्त बालिकाएँ एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों संहित चालीस प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग बालक या राज्य सरकार दूवारा अधिसूचना दूवारा निर्दिष्ट समूह अभिप्रेत है।

(xxvi) 'दुर्बल समूह' गरीबी रेखा से नीचे परिवार के बच्चों से अभिप्रेत है।

(xxvii) 'प्रतिपूर्ति योग्य व्यय' से पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त विद्यालय दूवारा बेतन, पुस्तकों और खेलकूद राहित प्रति बालक उपगत व्यय से अभिप्रेत है।

(xxviii) विद्यालय प्रबंधन समिति से अभिप्राय विद्यालय प्रबंधन योजना, अनुश्रवण एवं अन्य निर्णयगत मामलों के लिए विकेन्द्रीकृत ईकाई से है।

(xxix) कार्यकारिणी समिति से अभिप्राय विद्यालय का दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति की छोटी क्रियात्मक ईकाई से है।

(xxx) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके है।

भाग-2

राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य

धारा 6 के प्रयोजन हेतु क्षेत्र अथवा सीमाएँ

3. (1) पडौस का क्षेत्र अथवा सीमाएँ जिसमें राज्य सरकार दूवारा एक विद्यालय स्थापित किया जाना है, निम्नानुसार होंगी -

(अ) कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिए 1 कि.मी. की पैदल दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(ब) कक्षा छः से आठ तक के बच्चों के लिए 2 कि.मी. की पैदल दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) जहाँ कही आवश्यकतानुसार, राज्य सरकार पूर्व स्थापित एक से पाँच कक्षा के विद्यालयों को, छः - आठ जोडते हुए, क्रमोन्नत करेगी एवं वे विद्यालय जो छः से आगे संचालित है, में आवश्यकतानुसार एक से पाँच कक्षाओं को शामिल करने का प्रयास करेगी।

(3) दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्र यथा मरूस्थल, पर्वतीय, छितरी आादी वाले क्षेत्र (मजरा, ढाणी आदि) में कक्षा एक से पाँच हेतु जिनकी जनसंख्या 150 हो और कम से कम 20

बच्चे हों, एवं छः से आठ हेतु आसपास कम से कम 2 प्राथमिक पोषक विद्यालय हों, जिसमें कम से कम 30 बच्चे कक्षा पाँच में अध्ययनरत हों, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी एक उ.प्रा. विद्यालय स्थापित करेगी।

(4) उन बच्चों के लिए जो बहुत छोटे वासस्थान (ढाणी) के हो, जिन्हे राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चिन्हित किया गया हो, जहाँ आसपास जो उपर्युक्त उपनियम (1) और (3) में वर्णित में कोई विद्यालय अस्तित्व में न हो, वहाँ राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु उपनियम (1) और (3) में विशिष्ट छूट देते हुए पर्याप्त व्यवस्था यथा-निःशुल्क आवागमन व्यवस्था, आवासीय एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराऐंगे।

(5) उच्च घनत्व जनसंख्या वाले क्षेत्रों में छः से चौदह आयुवर्ग के बच्चों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी एक से अधिक पड़ौसी विद्यालय स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।

(6) स्थानीय प्राधिकारी पड़ौसी विद्यालय/विद्यालयों जहाँ बच्चे प्रविष्ट हो सकते हों, की सूचना अपने अधिकारिता क्षेत्र के प्रत्येक वासस्थान की आम जनता को उपलब्ध कराएगा।

(7) निःशक्त बच्चों के क्रम में, निशक्तता जो उन्हें विद्यालय पहुँचने से रोकती है, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकी उनके लिए उचित एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था का प्रयास करेंगे ताकि वे विद्यालय पहुँच प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर सकें।

(8) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण से बच्चों की विद्यालय में पहुँच बाधित न हो।

धारा 8, 9 एवं 12 के प्रयोजनों हेतु :-

4. (1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के विद्यालय उपस्थित होने वाला कोई बालक, धारा-12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसार धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक और धारा-12 की उपधारा (1) की खंड (ग) के अनुसार धारा-2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक निःशुल्क शिक्षा और विशेष रूप से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, लेखन समाग्रियों के लिए हकदार होगा परंतु निःशक्तता से ग्रस्त कोई बालक निःशुल्क विशेष शिक्षण और सहायक सामग्री के लिए भी हकदार होगा। स्पष्टीकरण-उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, यह उल्लेखनीय है कि धारा-12 की उपधारा (1) खंड (ख) के अनुसार प्रवेश दिए गये बालक और धारा-12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के संबंध में निःशुल्क हकदारी प्रदान करने का उत्तरदायित्व क्रमशः धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) और धारा 2 के खंड (ढ) के खंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय होगा।

(2) पड़ौसी विद्यालय का निर्धारण एवं स्थापना के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों, असुविधाग्रस्त समूह, दुर्बल वर्ग, अनुभाग चार में वर्णित सहित सभी बच्चों की चिन्हित करते हुए नियत तिथि से एक वर्ष के भीतर एवं उसके बाद प्रत्येक वर्ष शाला मानचित्रण करेगी एवं चिन्हीकरण करेगी।

(3) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति, वर्ग, धर्म या लिंग संबंधी दुर्व्यवहार के साथ नहीं हो।

(4) धारा 8 का खण्ड (ग) एवं धारा 9 का खण्ड (ग) के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त वर्ग के बच्चों के साथ कक्षा कक्ष में मध्यान्ह भोजन के दौरान, खेल मैदान में पेयजल एवं शौचालय मूत्रालयों की सफाई व कक्षा कक्षों की सफी में भेदभाव न किया जाए।

(5) धारा 8 का खण्ड (छ) के लिए राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु एक समचित प्रशासनिक ढांचा तैयार करेगी।

स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बच्चों के अभिलेख का संधारण

5. (1) स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र के सभी बच्चों का, घर-घर सर्वेक्षण द्वारा उनके जन्म से चौदह वर्ष की आयु तक का अभिलेख संधारण करेगा।

(2) अभिलेख जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट है, प्रत्येक वर्ष अध्यतन किया जाएगा।

(3) अभिलेख जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट है, इसे पारजदर्शिता से जनसाधारण हेतु संधारित किया जाएगा एवं धारा 9 के खण्ड (ड) के उद्देश्य हेतु प्रयोग में लिया जाएगा।

(4)अभिलेख में, जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट है, प्रत्येक बच्चे के क्रम में होगा -

(i) नाम, लिंग, जन्मतिथि (जन्म प्रमाण पत्र क्रमांक) जन्मस्थान

(ii) संरक्षक/अभिभावक नाम, पता, व्यवसाय

(iii) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाडी केंद्र जहाँ बच्चा उपस्थित होता है (छः वर्ष तक, हेतु)

(iv) प्रारंभिक विद्यालय जहाँ बच्चा प्रविष्ट है।

(v) बच्चे का वर्तमान पता।

(vi) कक्षा जिसमें छात्र पढ़ रहा है (छः से चौदह आयु वर्ष हेतु) और यदि स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारिता क्षेत्र में पढ़ाई बाधित हुई है तो ऐसे बाधित होने का कारण।

(vii) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) की परिभाषान्तर्गत क्या बच्चा दुर्बल समूह से है।

(viii) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) की परिभाषान्तर्गत क्या बच्चा असुविधाग्रस्त समूह से है।

(ix) अप्रवास और अपर्याप्त जनसंख्या, आयु अनुसार समुचित प्रवेश और निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं या निवास सुविधाओं की अपेक्षा वाले बालकों का विवरण।

(5) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों के नाम प्रत्येक विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित हों।

प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक-शिष्य अनुपात बनाए रखना

6. (1) प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों के स्वीकृत पद संख्या (निजी अथवा राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के नियन्त्रणाधीन) उस वर्ष की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे छात्रों की संख्या पर निम्नांकित तरीके से आकलित की जाएगी।

(क) विद्यालय स्तर पर विद्यालय का प्रधानाध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेगा। यह प्रतिवेदन अधिनियम के छात्र-शिष्य अनुपात के संबंध में मानकों के अनुरूप तैयार की जाएगी और प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल तक ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

(ख) ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संकलित प्रतिवेदन तैयार करेगा। प्रतिवेदन के विश्लेषण के पश्चात ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार अध्यापकों के पदों का पुनर्गठन करेगा। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यदि वांछित हो तो ब्लॉक के भीतर अध्यापकों के स्थानान्तरित आदेश जारी कर सकेगा। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानको के अनुसार अध्यापकों के अधिशेष/ कमी का प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) को 10 मई तक प्रेषित करेगा।

(ग) जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित कर विश्लेषण करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी विभाग द्वारा जारी किए दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो जिले के भीतर ेक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में अध्यापकों के स्थानान्तरित आदेश जारी कर सकेगा और अध्यापकों के अधिशेष/कमी का अंतिम प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा को 20 मई तक प्रेषित करेगा।

(घ) निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राज्य का संकलित प्रतिवेदन तैयार करेगा और यदि अध्यापकों की कमी/अधिशेष है तो उसके संबंध में उचित कदम उठायेगा और राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष 15 जून तक प्रतिवेदन प्रेषित करेगा।

(2) यदि राज्य सरकार का कोई व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकारी धारा 25 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा।

बालकों के अधिकारों का संरक्षण

धारा 31 के निमित्त बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग के कार्य

7. इस अधिनियम की धारा 31 के निमित्त प्रारंभिक शिक्षा के बालकों के अधिकारों के अनुश्रवण के लिए परिवेदनाएं सीधे ही या विभाग के माध्यम से राज्यस्थान राज्य आयोग को भेजी जा सकेंगी।

भाग - 3

विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व

धारा 12 (1) खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेशः-

8. (1) धारा-2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा-12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से पृथक किया जायेगा, न ही उनकी कक्षाएँ अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समय पर आयोजित की जाऐंगी।

(2) धारा-2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा-12(1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के साथ पाठ्यपुस्तकों, गणवेश, पुस्तकालय और सूचना, ससूचना एवं प्रौदूयोगिकी सुविधाओं, पाठ्येत्तर गतिविधियों और खेलकूदों जैसी हकदारियों और सुविधाओं के संबंध में किसी भी रीति में शेष बालकों से विभेद नहीं किया जायेगा।

(3) नियम 3 (1) में विनिर्दिष्ट आस-पास का क्षेत्र या सीमाएँ धारा 12 (1) के खंड (ग) के अनुसार दिये गये प्रवेशों को लागू होगी परंतु विद्यालय धारा 12 (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्थानों की अपेक्षित प्रतिशतता को भरने के प्रयोजनों के लिए इन क्षेत्रों या सीमाओं का 3 किलोमीटर तक विस्तार कर सकेगा परंतु यह भी कि विद्यालय धारा-12(1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्थानों की अपेक्षित प्रतिशतता को भरने के प्रयोजनों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) के पूर्व अनुमोदन से इन क्षेत्रों या सीमाओं का विस्तार कर सकेगा।

(4) यदि किसी विशेष कक्षा या विद्यालय में प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों की संख्या वांछित स्थानों से अधिक है तो ऐसे विद्यालय की संबंधित कक्षा में प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया या समय-समय पर राज्य सरकार दूवारा जारी किए गए आदेशों से निर्धारित किए जाऐंगे।

(5) ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक निजी विद्यालयों और विशेष विद्यालयों के पड़ोस के कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का अभिलेख संधारित करेगा।

धारा 12 (2) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय पुनर्भरण

9. (1) राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों या केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध करी गई निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, सभी ऐसे विद्यालयों जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, संचालित और नियन्त्रित है, में नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित, राज्य सरकार द्वारा उपगत किया प्रति बालक व्यय होगा। स्पष्टीकरम-प्रति बालक व्यय का उपधारम करने के लिए धारा-2 के खंड (ढ) के उपखंड, प्रपद्ध में निर्दिष्ट विद्यालयों पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों द्वारा उपगत व्यय सम्मिलित नहीं किया जाऐगा।

(2) धारा-12 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा-12 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उनके द्वारा प्राप्त रकम की बाबत एक पथक बैंक खाता रखेगा।

(3) राज्य और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा धारा 12 (2) के अधीन प्रतिपूर्ति हेतु उपगत प्रति-बालक व्यय का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति होगी जिसमें प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीम विकास एवं पंचायती राज, सचिव जन्मजाति क्षेत्र विकास, सचिव वित्त विभाग, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और आयुक्त/ निदेशक सर्वशिक्षा अभियान होंगे। प्रमुख शासन सचिव शिक्षा, समिति के अध्यक्ष एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सदस्य सचिव होंगे।

(4) समिति, प्रति बालक व्यय का निर्धारण करने के लिए अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन मास के भीतर, बैठक करेगी एवं उसके पश्चात अगले शिक्षा सत्र के निर्धारण के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर माह में बैठक करेगी।

(5) धारा-12 के अधीन विद्यालयों में नामांकित बालकों की फीस की प्रतिपूर्ति के संबंध में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, समिति के निर्णय से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को समूचित करेंगे। परंतु जहाँ कोई विद्यालय पूर्व में ही भूमि, भवन, उपस्कर एवं अन्य सुविधाएँ मुफ्त या रियायती दर पर प्राप्त करने के आधार पर विशिष्ट संख्या में बालकों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु बाध्य है, ऐसा विद्यालय ऐसी बाध्यता के विस्तार तक प्रतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

(6) प्रतिपूर्ति, विद्यालय को सीधे ही दो किश्तों में, विद्यालय द्वारा संधारित पृथक बैंक खाते में देय होगा। पचास प्रतिशत की प्रथम किश्त की प्रतिपूर्ति अगस्त माह में और शेष जनवरी माह में देय होगी।

(7) अधिनियम की धारा-12 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु विद्यालय अप्रेल मास में विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के नाम की सूची जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) या ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) प्रथम किश्त की प्रतिपूर्ति से पूर्व बालकों के नामांकन की सत्यता प्रमाणित कर सकेगा या ऐसा करने के लिए कह सकेगा। वह जनवरी माह में नामांकन और प्रत्येक बालक की प्रत्येक माह की न्यूनतम अस्सी प्रतिशत उपस्थिति के सत्यापन के पश्चात् अंतिम किश्त की प्रतिपूर्ति करेगा।

(8) अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट विद्यालयों और निजी विद्यालयों में प्रविष्ट विद्यार्थियों के कक्षा वार नाम विद्यालय के प्रमुख स्थान या सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किए जाएँगे और इसके साथ-साथ यदि विद्यालय की अपनी वेबसाईट हैं तो वह ऐसे नाम वेबसाईट पर भी उसी प्रकार प्रदर्शित करेगा।

(9) विद्यालय को प्रति बालक व्यय का प्रतिपूर्ति

1. राज्य द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय, या
2. विद्यालय द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय, या
3. विद्यालय द्वारा बालक से प्राप्त वास्तविक व्यय में से जो भी कम होगा, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

धारा-14 के प्रयोजन के लिए आयु के प्रमाण के रूप में दस्तावेज

(प्रवेश के लिए जन्म प्रमाम-पत्र)

10. जहाँ कहीं जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणीकरण अधिनियम 1886 के अधीन अन्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है वहाँ निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का प्रमाण समझा जायेगा -

(क) अस्पताल या सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख।

(ख) आंगनबाड़ी अभिलेख

(ग) माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की शपथपत्र द्वारा घोषणा।

धारा-15 के प्रयोजन के लिए प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि

11. (1) प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि विद्यालय के शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से छह मास की होगी।

(2) जहाँ किसी बालक को विस्तारित अवधि के पश्चात् किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहाँ वह विद्यालय के प्रधान द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा।

धारा-18 के प्रयोजन के लिए विद्यालय को मान्यता

12. इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् प्रारंभिक शिक्षा के लिए सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उनके स्वामित्वाधीन या नियन्त्राधीन किसी विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय अधिनियम की धारा-8 प्रावधानों के अनुसार एक प्रार्थना पत्र के रूप में करेगा।

भाग-4

विद्यालय प्रबंधन समिति

धारा 21 के प्रयोजनों के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना और कृत्य :-

13. (1) गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में इस अधिनियम के प्रारंभ होने के छह मास के भीतर राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा और प्रत्येक दो वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा।

(2) विद्यालय प्रबंधन समिति योजना, अनुश्रवण और अन्य विनिश्चय संबंधी मामले के प्रयोजन के लिए विद्यालय प्रबंध की विकेन्द्रीकृत इकाई के रूप में कार्य करेगी।

(3) विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए कार्यकारिणी समिति एक दिन-प्रतिदिन के विद्यालय प्रबंधन के लिए एक क्रियात्मक ईकाई होगी।

(4) विद्यालय प्रबंधन समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :-

(क) विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता-पिता/संरक्षक।

(ख) विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक अध्यापक/प्रबोधक।

(ग) विद्यालय के परिसीमन क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक पंचायतीराज संस्थान सदस्य।

(5) विद्यालय प्रबंधन समिति अपने कुल सदस्यों के 25 प्रतिशत सदस्यों की गणपूर्ति सहित प्रत्येक छः मास में बैठक करेगी।

(6) विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अभिभावक में से होगा एवं विद्यालय का प्रधानाध्यापक सदस्य-सचिव होगा।

(7) पंद्रह सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें 75 प्रतिशत (11 से अन्यून) सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों सहित अभिभावक/संरक्षक होंगे।

(8) कार्यकारिणी समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की प्रतिनिधि सहित पचास प्रतिशत से अन्यून महिलाएँ होंगी।

(9) विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।

(10) कार्यकारिणी समिति की बैठक इसके कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से अन्यून गणपूर्ति सहित मास में एक बार होगी।

धारा-22 के प्रयोजनों के लिए विद्यालय विकास योजना तैयार करना

14. (1) विद्यालय प्रबंधन समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनाएँ होंगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात् :-

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन के प्राक्कलन

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए पृथक रूप से अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अंतर्गत प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अनुदेशक भी है, की तीन वर्ष से ऊपर की अवधि के लिए संख्या की अपेक्षा।

(ग) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की तीन वर्ष से ऊपर की अवधि के लिए ऊपेक्षा।

(घ) ऊपर (ख) और (ग) के संबंध में वर्षवार तीन वर्ष से ऊपर की अवधि के लिए वित्तीय आवश्यकता जिसके अंतर्गत धारा-4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और गणवेश जैसी बालकों की हकदारी तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त ऊपेक्षा भी है।

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाऐंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के जिसमें उसे तैयार किया जाता है, अंत से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) को प्रस्तुत किया जायेगा।

धारा-4 के प्रथम परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण :-

15. (1) विदूयालय प्रबंध समिति या स्थानीय प्राधिकारी विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा रखने वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजन करेगी, अर्थात्

(i) विशेष प्रशिक्षण धारा-29 की उपधारा (1) व (2) में विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकारी दूवारा अनुमोदित विशेष रूप से आरेखित की गई आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा।

(ii) उक्त प्रशिक्षण विदूयालय के परिसरों में लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जायेगा।

(iii) उक्त प्रशिक्षण विदूयालय में कार्य कर रहे अध्यापकों दूवारा या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों दूवारा दिया जायेगा।

(iv) उक्त प्रशिक्षम की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे अधिगम प्रगति के आवधिक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अनधिक की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) बालक, आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश करने पर विशेष प्रशिक्षण के पश्चात् अध्यापक दूवारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे कि उसे शेष कक्षा के साथ सफलता पूर्वक जुडने में शैक्षणिक और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके।

भाग-5

अध्यापक/प्रबोधक

धारा 23(1) के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हताएँ -

16. धारा 23 के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी प्रत्येक प्राथमिक विदूयालय में अध्यापक/प्रबोधक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ अभिकथित करेगा, जो प्रत्येक विदूयालय के लिए लागू होगी।

धारा 23 (2) के परन्तुक के अधीन न्यूनतम अर्हताओं का अर्जित किया जाना :-

17. (1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के प्रारंभ के समय, धारा-2 के खंड (ढ़) के उपखण्ड (i) और (iii) में निर्दिष्ट विदूयालयों में सभी अध्यापकों, जिनके पास धारा-15 में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है, अधिनियम के प्रारंभ से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐ अर्जित करने के लिए पर्याप्त अध्यापक/प्रबोधक शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराएँगे।

(2) धारा-2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (i) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय में किसी ऐसे अध्यापक/प्रबोधक जिनके पास अधिनियम के प्रारंभ के समय धारा-15 में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है, ऐसे विद्यालय का प्रबंधन, अधिनियम के प्रारंभ के पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे अध्यापकों ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करने के लिए समर्थ बनायेगे।

धारा 23 (3) के प्रयोजन के लिए अध्यापकों के वेतन, भत्ते, तथा सेवा की शर्तें :-

18. (1) यथास्थिति अध्यापको/प्रबोधकों को भुगतान किये जाने वाले वेतन एवं भत्ते और उनकी सेवा की शर्ते प्रवर्तनीय संबंधित नियम यथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971, राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 और राजस्थान प्रबोधक पंचायत राज सेवा नियम 2008 दूवारा विहित होंगे।

(2) निजी विदूयालयों के अध्यापकों के वेतन-भत्ते एवं उनकी सेवा शर्तें, विदूयालय प्रबंधन के नियम एवं विधान, यदि कोई लागू हों तो के दूवारा निर्धारित की जाएँगी।

धारा 24 (1) के खण्ड (च) के प्रयोजन के लिए अध्यापकों/प्रबोधक दूवारा अनुपालन किये जाने वाले कर्त्तव्य :-

19. (1) धारा 24(1) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों के अनुपालन और धारा 29 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अध्यापक एक फाईल (पत्रावली) रखेंगे जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए शिष्य सचयी अभिलेख होगा जो धारा- 30 की उपधारा (2) विनिर्दिष्ट प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर पूर्णता प्रमाण-पत्र देने का आधार होगा।

(2) (क) अध्यापक, धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) तक में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, नियमित अध्यापन में व्यवधान के बिना निम्नांकित कर्त्तव्यों का अनुपालन करेगा।

(ख) पाठूयचर्या निर्माण और पाठूयक्रम विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठूय पुस्तक विकास में भाग लेना।

धारा 24 (3) के प्रयोजनार्थ अध्यापकों के लिए परिवेदना निस्तारण तंत्र :-

20. (1) धारा 21 के अंतर्गत गठित विदूयालय प्रबंधन समिति अध्यापकों के परिवेदना निस्तारण का प्रथम स्तर होगी।

(2) अध्यापकों की परिवेदना निस्तारम के लिए जिला स्तरीय परिवेदना समिति होगी। यदि अध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह जिला स्तरीय परिवेदना समिति को अपील कर सकेगा।

(3) जिला स्तरीय समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) को शामिल कर गठित की जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा। जिला शिक्षा आधिकारी (प्रा.शि) समिति का सदस्य सचित होगा। जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा और संबंधित अध्यापक/अधिकारियों पर बाध्य होगा।

(4) इस समिति की प्रत्येक छः माह में एक बैठक होगी।

(5) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित/नियंत्रित किसी भी विद्यालय का कोई भी शिक्षक अपनी लिखित परिवेदना संयोजक को प्रस्तुत कर सकेगा। समिति का संयोजक निर्णय से शिक्षक को समूचित कराएगा।

(6) निजी विद्यालय शिक्षकों की परिवेदना निस्तारण हेतु स्वयं का तंत्र विकसित करेंगे।

भाग-6

पाठ्यक्रम और प्राथमिक शिक्षा का पूरा होना

धारा-29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी

21. (1) राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर धारा-29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी होगी।

(2) पाठ्यचर्चा और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक अधिकारी -

(क) सुसंगत और आयु समुचित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा।

(ख) सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण आरेख विकसित करेगा, और

(ग) निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तय करेगा।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी नियमित आधार पर संपूर्ण विद्यालय स्तर (गुणवत्ता) निर्धारण की प्रक्रिया आरेखित और कार्यान्वित करेगा।

धारा 30 के प्रयोजनों के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान करना :-

22. (1) प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण-पत्र विद्यालय/खण्ड/जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा पूरा करने के एक माह के भीतर जारी किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र में -

(क) यह प्रमाणित होगा कि बालक ने धारा 29 में अध्ययन हेतु निर्धारित समस्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है।

(ख) बालक का शिष्य संचयी अभिलेख अंतर्विष्ट होगा और निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा बालक की संगीत, नृत्य, साहित्य, खेलकूद आदि क्षेत्र की विशिष्ट उपलब्धिया भी अंतर्विष्ट हो सकेंगी।

भाग-7

राज्य सलाहकार परिषद् का गठन एवं कृत्य

23. (1) अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए सुझाव देने हेतु सरकार 15 सदस्यीय राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करेगी।

(2) परिषद् की बैठकों एवं इसके अन्य कृत्यों के लिए स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग तर्कसम्मत सहयोग उपलब्ध करायेगा।

(3) परिषद् के कार्य सव्यवहार की प्रक्रिया निम्न होगी :-

(i) परिषद् की बैठक नियमित रूप से ऐसे किसी समय होगी, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे परंतु परिषद् की अंतिम बैठक और आगामी बैठक में तीन माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

(ii) परिषद् की बैठक में अध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि किसी कारणवश अध्यश परिषद् की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, वह किसी सदस्य को ऐसी बैठक को पीठासीन हेतु नामित कर सकता है। परिषद् की बैठक की गणपूर्ति न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों के उपस्थित होने पर पूर्ण माना जायेगा।

(4) परिषद् के सदस्य के नियुक्त होने के लिए शर्तें निम्नलिखित है :-

(क) प्रत्येक सदस्य पदग्रहण की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा परंतु कोई भी सदस्य दो कार्यकाल की अवधि से अधिक पद धारण हीं करेगा।

(ख) राज्य सरकार आदेश द्वारा सदस्य को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता या निम्नांकित किसी एक या अधिक घटना के घटित होने पर हटा सकेगा :-

(i) दिवालिया घोषित किया गया है, या

(ii) कार्य करने से मना या कार्य करने के अयोग्य हो गया है, या

(iii) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया है, या

(iv) दुर्व्यवहार से उत्पन्न हुई क्षति के कारण लोकहित में सेवाएँ निरंतर न दे पाने के कारण।

(v) अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष करार दिया है, या

(vi) अवकाश लिए बिना परिषद् में अनुपस्थित है, परिषद् की दो लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है।

(ग) किसी सदस्य को समुचित सुनवाई का अवसर लिए बिना पद से नहीं हटाया जायेगा।

(घ) यदि सदस्य के पद पर सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से रिक्ति होती है तो उपनियम (2) के प्रावधानानुसार ऐसी रिक्ति को 120 दिन की अवधि के भीतर नई नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

(ङ) परिषद के सदस्यों द्वारा कार्यालय प्रयोजन हेतु की गई यात्राओं का यात्रा एवं दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा समिति और आयोग के गैर सरकारी सदस्यों और ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में जारी किये गये आदेशानुसार, अधिकृत होंगे।

भाग-8 विविध

24. **नियमों से विमुक्त करने का अधिकार** - राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा किसी संस्था अथवा संस्थाओं के किसी वर्ग को नियमों के उपबंधों से विमुक्त कर सकेगी अथवा निर्देशित कर सकेगी कि अमुक उपबंध किसी संस्था अथवा संस्थाओं के किसी वर्ग पर किसी उपान्तरणों और या शर्तों के सहित लागू होंगे जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए।

25. **संदेह का निवारण** - यदि इन नियमों के किसी उपबंध के व्याख्या करने में या उपयुक्तता में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो मामला राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को निर्णय के लिए भेजा जाएगा अन्ततः जिसका निर्णय अंतिम होगा।

भाग-9 परिशिष्ट

प्रपत्र-1

विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा सह प्रार्थना-पत्र

नियम 11 के उपनियम (1) देखे
निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा ....
राजस्थान

श्रीमान्

मैं निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदण्डों की अनुपालना में स्वघोषणा एवं निर्धारित प्रोफार्मा में मान्यता हेतु आवेदन पत्र .... (विद्यालय का नाम) .... विद्यालय प्रारंभ होने की दिनांक .... अग्रेषित करता हूँ।

संलग्नक :

प्रबंध समिति मैनेजर/अध्यक्ष

स्थान :
दिनांक :

क - विद्यालय विवरण

1.	विद्यालय का नाम	
2.	शैक्षणिक सत्र	
3.	जिला	
4.	डाक का पता	
5.	गाव/शहर	
6.	तहसील	
7.	पिनकोड	
8.	दूरभाष मय एस.टी.डी. कोड	
9.	फैक्स नं.	
10.	ई-मेल पता यदि कोई हो	
11.	निकटतम पुलिस स्टेशन	

ख-सामान्य सूचना

1.	स्थापना का वर्ष			
2.	विद्यालय की प्रथम प्रारंभ की तिथि			
3.	ट्रस्ट/सोसायटी/प्रबंध समिति का नाम			
4.	ट्रस्ट का पंजीकरण क्रमांक			
5.	अवधि जब तक पंजीकरण वैध है			
6.	....			
7.	मैनेजर/अध्यक्ष/सभापति/सह सभापति का आधिकारिक पता			
	नाम			
	पदनाम			
	पता			
	दूरभाष		कार्यालय निवास	
8.	पिछले तीन वर्षों में कुल आय/व्यय, अधिशेष/न्यूनता (चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट प्रति संलग्न करें)			
	वर्ष	आय	व्यय	अधिशेष /न्यूनता

ग-विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र

1.	पढ़ाई का माध्यम	
2.	विद्यालय का प्रकार (प्रथम एवं अंतिम कक्षा स्पष्ट लिखें)	
3.	यदि अनुदानित है तो एजेन्सी का नाम व अनुदान का प्रतिशत	
4.	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है (हा/नहीं)	
5.	यदि हां तो किस प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रमाण-पत्र संख्या	
6.	क्या विद्यालय का स्वयं का भवन है या किराए को भवन में संचालित है	
7.	क्या विद्यालय भवन एवं अन्य संसाधन अथवा मैदान का प्रयोग केवल शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु किया जाता है?	
8.	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9.	विद्यालय का निर्मित क्षेत्रफल	

घ-नामांकन स्थिति

कक्षा	अनुभाग	बच्चे
1. पूर्व प्राथमिक		
2. एक - पाँच		
3. छः - आठ		

ङ - संसाधनों का विवरण एवं स्वास्थ्यकर योजनाएँ स्थिति

कक्षा	संख्या	औसत आकार
1. कक्षाकक्ष		
2. कार्यालय सह भण्डार सह प्रधानाध्यापक कक्ष		
3. रसोईघर सह भण्डार		

च-अन्य सुविधाएँ

1.	क्या सारी सुविधाएं निर्बाध पहुँच में हैं?	
2.	शिक्षण अधिगम सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3.	क्रीडा एवं खेल उपकरण (सूची संलग्न करें)	
4.	पुस्तकालय में पुस्तक सुविधा	
	पुस्तकें (संख्या)	

	सामयिक पत्रिका/समाचार पत्र	
5.	पेयजल सुविधा का प्रकार/संख्या	
6.	स्वास्थ्यकर योजनाएं का प्रकार	
	1. मूत्रालय/शौचालय का प्रकार	
	2. बालकों के लिए मूत्रालय/शौचालयों की संख्या	
	3. बालिकाओं के लिए मूत्रालय/शौचालयों की संख्या	

छ-शैक्षणिक वर्ग का विवरण

1.	**विशेषतः प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन (प्रत्येक शिक्षक का अलग-अलग विवरण दें)**		
	अध्यापक का नाम	पिता/पति/पत्नी का नाम	जन्म दिनांक
	शैक्षिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	शिक्षण अनुभव
	कक्षा जो सौंपी गई है	नियुक्ति दिनांक	प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित
2.	**प्रारंभिक एवं माध्यमिक दोनों में अध्ययन (प्रत्येक शिक्षक का अलग-अलग विवरण दें)**		
	अध्यापक का नाम	पिता/पति/पत्नी का नाम	जन्म दिनांक
	शैक्षिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	शिक्षण अनुभव
	कक्षा जो सौंपी गई है	नियुक्ति दिनांक	प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित
3.	**प्रधान अध्यापक**		
	अध्यापक का नाम	पिता/पति/पत्नी का नाम	जन्म दिनांक
	शैक्षिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	शिक्षण अनुभव
	कक्षा जो सौंपी गई है	नियुक्ति दिनांक	प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित

4. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन पत्र के साथ शिक्षा के जिला सूचना तंत्र के प्रोफार्मा में भी वांछित सूचना प्रस्तुत कर दी है।

5. प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षण किए जाने हेतु विद्यालय खुला है।
6. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय यह वचनबंध करता है कि वह ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएँ प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा, जो मान्यता की शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए या विद्यालय के कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐं।
7. प्रमामित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संगत विद्यालय के अभिलेख किसी भी समय जिला शिक्षा अधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और विद्यालय ऐसे सभी सूचना प्रस्तुत करेगा जो केंद्रीय सरकार या स्थानीय निकाय या प्रशासन को यथास्थिति संसद/ राज्य विधानसभा/पंचायत नगरपालिका के प्रति उसकी बाध्यताओं का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।

ह./-

अध्यक्ष/प्रबंधक

प्रबंध समिति

.... विद्यालय

स्थान :

ज. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा

1. प्रत्येक कक्षा (कक्षा 8 तक) के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का विवरण
2. शिष्य निर्धारण तंत्र
3. क्या विद्यालय के शिष्यों की कक्षा 8 तक बोर्ड परीक्षा लेने की आवश्यकता है?

प्रारूप-2

ग्राम : फोन :

ई-मेल : फैक्स :

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

(प्रारंभिक (शिक्षा) ....

संख्याक : दिनांक :

प्रबंधक,

....

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक......... के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं .... (विद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक...........से दिनांक...........तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा......से कक्षा........ तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदना करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंध न के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा से बालकों की संख्या के........प्रतिशत तक आस-पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्‌यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्‌यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसायटी/विद्‌यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6. विद्‌यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति का इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।

7. विद्‌यालय सुनिश्चित करेगा कि :-

   (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्‌यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्‌यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

   (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

   (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

   (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाम-पत्र प्रदान किया जायेगा।

   (v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्‌यार्थियों का समावेश किया जाना।

   (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु और यह कि विद्‌यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।

   (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

   (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।

8. विदूयालय समुचित प्राधिकारी दूवारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विदूयालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विदूयालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं क अनुपात में विदूयार्थियों का नामांकन करेगा।

10. विदूयालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विदूयालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-

विदूयालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षा कमरों की संख्या

प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष

बालक और बालिकाट्टों के लिए पृथक शौचालय

पेजयल सुविधा

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई

बाधा रहित पहुँच

अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

11. विदूयालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विदूयालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएँगी।

12. विदूयालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13. विदूयालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी दूवारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास दूवारा चलाया जा रहा है।

14. विदूयालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

15. विदूयालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेट दूवारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके दूवारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) .... को भेजी जानी चाहिए।

16. आपके विदूयालय को आवंटित मान्यता कोड़ संख्याक............... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

17. विदूयालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्ष अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा)................ दूवारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंदी शतों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विदूयालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

18. सोसयाटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

19. संलग्न उपाबंध-III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारंभिक शिक्षा........

3 ज्ञान - ज्ञान निर्माण - कक्षा नियोजन
(Knowledge - Construction of knowledge - Classroom implication)

ज्ञान एवं समझ

यह प्रश्न कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए एक अधिक गहरे सवाल से निकलता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। इसका उत्तर हैं वे क्षमताएँ और मूल्य जो हर व्यक्ति में होने चाहिए और समाज के लिए एक सामाजिक-राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दर्शन। यह कोंी एक लक्ष्य नहीं है बल्कि लक्ष्यों का एक समुच्चय है। इसलिे चयनित विषयवस्तु को लक्ष्य समुच्चय के साथ न्याय करना चाहिए और व्यापक एवं संतुलित होना चाहिए। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव उपलब्ध करवाए जो उसमें क्रमशः विवेक की क्षमता बढ़ाते हुए उसके ज्ञान के आधार को पुष्ट करे, विभिन्न विषयों के माध्यम से दुनिया को समझने का मीका दे, उनमें सौंदर्यबोध को पुष्ट करें और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाए, उन्हें काम करने और आर्थिक प्रक्रियाओं में भागीदारी करने दे। इस खण्ड में यह चर्चा की जा रही है कि ज्ञान एवं समझ पाठ्यचर्या चुनावों और विषय वस्तु के प्रस्तावों के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि कैसे बनाते हैं।

बोलते चित्र

कक्षा में बच्चों को किसी घर का एक चित्र दिखाना जिसमें परिवार के विभिन्न सदस्य विभिन्न कार्यों का संपादन कर रहे हैं। अंतर यह है कि पिता खाना पका रहा है और माँ बिजली का बल्ब ठीक कर रही है, लड़की स्कूल से साइकिल पर घर लौट रही है और लड़का गाय दुह रहा है; दूसरी बहन आम के पेड़ पर चढ़ रही है और दूसरा

लड़का घर में झाड़ू लगा रहा है। दादाजी बटन टाँक रहे हैं और दादी माँ हिसाब-किताब देख सही हैं। बच्चे से उच्च चित्र के बारे में बोलने को कहा जाए। कितने प्रकार के 'कार्य' वे समझ पाते हैं?

क्या उन्हें ऐसा लगता है कि इनमें से कोई काम किसी को नहीं करना चाहिए। क्यों?

उनसे काम की गरिमा, समानता और जेंडर पर बहस करवाएँ।

इसके महत्त्व की चर्चा करें कि हर व्यक्ति को स्वावलंबी और संपूर्ण होना चाहिए।

ठीक ऐसी चर्चा अन्य मुद्दों को लेकर भी की जा सकती है। जैसे अच्छा और बुरा काम, जातिगत पहचान और कार्य की मूल्य-आधारित प्रकृति के बारे में भी बोलते चित्रों के माध्यम से बताया जा सकता है।

समय के साथ, इंसान ने अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की नयी विधाएँ विकसित की हैं, जिसमें सोचते के ढंग, अनुभव तथा कार्य-निष्पादन और अतिरिक्त ज्ञान निर्माण के आयाम शामिल हैं। सारे बच्चों को इस संपत्ति के काफ़ी बड़े भाग का पुनःसृजन करना पड़ता है, जो कि आगे कि सोच और विश्व में सही प्रकार से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। ज्ञान सृजन की प्रक्रियाओं में भाग लेना, अर्थ ढूँढ़ना और मानवीय कर्म में भागीदारी भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। ज्ञान की यह व्यापक कल्पना हमें उस दिशा में ले जाती है, जो ज्ञान का परीक्षण केवल 'परिणाम' के अर्थों में न करके सृजन की प्रक्रिया के नियमों के रूप में, व्यवस्थापन, उपलब्धता एवं उपयोग के अर्थों में भी करता है। यह कल्पना सुझाती है कि पाठ्यचर्या में जितना ध्यान सीखने की विषय-वस्तु पर दिया जाए उतना ही इस पर भी दिया जाए कि शिक्षार्थी पुनःसृजित ज्ञान से कैसे जुड़ते हैं और सीखने की प्रक्रिया क्या है।

दूसरी ओर, ज्ञान को अगर तैयार माल की श्रेणी में रखा जाए, तो उसको ऐसी सूचना के तौर पर व्यवस्थित करना होगा जिसका बच्चों के दिमाग में स्थानांतरण हो सके। शिक्षा तब मानवीय ज्ञान के इस खजाने को बनाए रखने और उसे प्रसारित करने में ही लगी रहेगी। ज्ञान के इस दृष्टिकोम के मुताविक सीखने वाले की परिकल्पना निष्किय भाव से ग्रहण करने वाले के रूप में प्रकट की गई है, जबकि पिछले दृष्टिकोम में अवलोकन द्वारा विश्व के साथ सकिय जुड ाव, संवेदना, मनन, कर्म और बाँटना शामिल हैं।

पाठ्यचर्या उन क्षमताओं के विकास की योजना होती है, जिनके माध्यम से चयनित शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मानवीय क्षमताओं के आयाम काफ़ी विस्तृत होते हैं, और शिक्षा के माध्यम से हम उन सबका विकास नहीं कर सकते। इसलिए चिंता उन सामर्थ्यों

को लेकर होती है जो हमारे चयनित लक्ष्यों के संदर्भ में आवश्यक और महत्त्वपूर्ण हों, जो आगे विकास की संभावना से युक्त हों और जिसका हमें कुछ शिक्षमशास्त्रीय ज्ञान हो।

बुनियादी क्षमताएँ

बच्चों की बुनियादी क्षमताएँ वे होती हैं जो बोध के विकास, मूल्यों और कौशल-संबंधी वृहत आधार तैयार करती है।

क) **भाषा एवं अभिव्यक्ति** के अन्य माध्यम अर्थ निर्माण और दूसरों के साथ बाँटने के आधार तैयार करते हैं। वे बोध और ज्ञान के विकास की संभावना तैयार करते हैं। साथ ही, वे सांकेतिकता, वर्गीकरण, स्मरण और दर्ज करने संबंधी आधार भी बनाते हैं। बच्चे के लिए भाषा का विकास, अस्मिता, बोध के विकास, और दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता के विकास का समानार्थी होना है। न केवल लिपि वाली मौखिक भाषा, बल्कि लिपिहीन भाषा, सांकेतिक भाषाएँ, ब्रेल जैसी लिपि और प्रदर्शन कलाएँ भी अर्थ और अभिव्यक्ति का आधार तैयार करती हैं।

ख) **संबंध बनाना और कायम रखना** समाज, प्रकृति एवं स्वयं के सात भावनात्मक प्रगाढ़ता, संवेदनशीलता और मूल्यों के साथ सतत संबंध बनाना, जीवन में सार्थकता लाता है। उसको भावनात्मक वस्तु एवं उद्‌देश्य देता है।यह नैतिकता का भी आधार है।

ग) **कार्य और क्रिया संबंधी क्षमता -** इसमें शारीरिक समन्वय व विचार और संकल्प से तालमेल, कौशल और समझ के आधार पर किसी लक्ष्य को पाने या कुछ सृजित करने के दिशानिर्देश शामिल हैं। साथ ही, इसमें उपकरणों और तकनीकों की देखभाल, वस्तुओं और अनुभवों का उपयोग व उन्हें व्यवस्थित करना तथा संप्रेषण भी शामिल होता है।

व्यवहार में ज्ञान -

मानव गतिविधियों और व्यवहार का विस्तृत क्षेत्र सामाकि जीवन एवं संस्कृति को जीवित रखता हैं। कताई, काष्ठकला, मिट्‌टी के बर्तन बनाने जैसी शिल्पकलाएँ, किसान और दुकानदारी जैसे पेशों के साथ-साथ विविध प्रकार की प्रदर्शन और दृश्यकलाओं तथा खेलकूद सभी ज्ञान के मूल्यवान रूप हैं। ये ज्ञान व्यावहारिक प्रकृति के होते हैं, जिनकी पूरी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती।

ज्ञान क्रमशः पीढ़ी-दर-पीढ़ी एकत्रित होता रहा है और अगली पीढ़ी तक अनुभव और चिंतन के द्‌वारा पहुँचता रहा है। इसलिए इनमें से प्रत्येक व्यावहारिक ज्ञान का एक विषय है। इस प्रकार के व्यावहारिक ज्ञान रूपों की भारतीय विरासत काफ़ी विशाल, विविध और समृद्‌ध है। उत्पादक कौशल के रूप में वे हमारी अर्थव्यवस्था के मूल्यवान अंग हैं।

इन व्यवहारपरक अनुशासनों की ज्ञानमीमांसात्मक संरचनाओं को समझने के लिए काफ़ी अध्ययन और शोध की ज़रूरत है। यह समझना कि वे किस प्रकार कौशल सीखते-अपनाते हैं और अपने ज्ञान को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, यह समाजशास्त्रीय प्रश्न है क्योंकि परंपरागत व्यवसायों का संबंध जाति, समूह और लिंग से होता है।

समझ के रूप

ज्ञान के पुष्टिकरण व औचित्य को स्थापित करने की प्रक्रिया में जिन अवधारणाओं व अर्थों का उपयोग किया जाता है, उनके आधार पर भी ज्ञान का वर्गीकरम किया जा सकता है। प्रत्येक का अपना 'आलोचनात्मक चिंतन', ज्ञान को जाँचने व उसकी पुष्टि करने का तरीका और अपने प्रकार की रचनात्मकता होती है।

गणित की अपनी विशिष्ट अवधारणाएँ होती हैं, जैसे - मूलांक, वर्गमूल, भिन्न पूर्णांक आदि-आदि। उसकी भी वैधता-निर्धारम की अपनी प्रक्रिया होती है, जैसे कि जो सिद्धांत स्थापित किया जाना है उसका कदम-दर-कदम प्रदर्शन। गणित में पुष्टिकरण की प्रक्रिया कभी आनुभविक नहीं होती है और न ही अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होती है। वह तो उस संरचना के अंदर मौजूद उपयुक्त परिभाषाओं एवं स्वयंसिद्ध सिद्धांतों के आधार पर एक प्रदर्शन होता है।

गणित की ही तरह विज्ञानों को भी अपनी अवधारणाएँ होती हैं। वहुधा वे सिद्धांतों के माध्यम से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं और प्राकृतिक विश्व की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। अवधारणाओं में अणु, चुंबकीय क्षेत्र, कोशिका और न्यूरॉन आते हैं। वैज्ञानिक परख में सैद्धांतिक आधारों पर की गई हो घोषणाओं के परीक्षम के आधार पर वैध ठहराया जाता है जिनमें अकसर उपकरणों और नियंत्रण की सहायता ली जाती है। सिद्धांत-निर्माण और मानक तय करते हुए कभी-कभार गणितीय परिशुद्धता की आवश्यकता पड़ती है लेकिन केवल निरीक्षण-परीक्षण के स्तर पर ही। यहाँ प्रयास यह किया जाता है कि ऐसा आख्यान तैयार हो जो किसी तरह से यथार्थ के सदृश्य हो।

सामाजिक विज्ञानों का लक्ष्य मनुष्यों और समाज में मौजूद मानव समूहों की एक सामान्य और समीक्षात्मक समझ विकसित करना है। सामाजिक विज्ञानों का सरोकार सामाजिक संसार के विवरण, उसकी व्याख्या और उसके बारे में पूर्वानुमान लगाने से है। सामाजिक विज्ञानों की प्राक्कल्पना सामूहिक जीवन में मानव व्यवहार के बारे में होती है और उनकी वैधता अंततः समाज में किए गए अवलोकन पर भी निर्भर करती है। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान लगभग एकसमान होते हैं लेकिन उनमें दो भेद भी हैं, जो पाठ्यचर्या की योजना बनाने के लिए बहुत ही प्रासंगिक हैं।

ज्ञान के हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट शब्दावली प्रत्यय, सिद्धांत, वर्णन और पद्धतियाँ होती हैं। ज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र संसार को देखने का एक अलग दृष्टिकोण देता है जिससे संसार से जुड़ने और उनमें कर्म करने का नज़रिया भी मिलता है। ज्ञान के ये क्षेत्र अतीत में दिए गए लोगों के योगदान से विकसित हुए हैं और आज भी बढ़ रहे हैं। ये क्षेत्र अपनी संरचना और मुद्दों की प्राथमिकता बदले भी हैं। इनको सीखने में कई तरह की बौद्धिक क्षमताएँ और ज्ञान अर्जन के तरीके इस्तेमाल होते हैं। वे तरीके हैं : सुस्पष्ट तर्क एवं अभिव्यक्ति के औपचारिक तरीके, प्रमाण की खोज एवं उसका मूल्यांकन, अनुभव पर आधारित उपलक्षित ज्ञान, समन्वय, अवलोकन एवं व्यावहारिक संबद्धता, ताकि स्वयं से एवं दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए कार्यों का संपादन हो सके तथा समस्याओं एवं मुद्दों को संबोधित किया जा सके और काम करने की दिशा तय हो पाए। ज्ञान के सभी रूपों एवं ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में सृजनात्मकता एवं उत्कृष्टता अभिन्न रूप से शामिल हैं।

मानव सभ्यता एवं ज्ञान का संचयन, ज्ञान अर्जन एवं चीजों को करने के तरीके मानव समाज की वंशानुगत धरोहर में मूल्यवान हिस्से हैं। हमारे सारे बच्चों को इस ज्ञान तक पहुँचने का अधिकार है, ताकि वे जिससे अपनी सामान्य बुद्धि को शिक्षित एवं समृद्ध बना पाएँ। जिससे उनका खुद का विकास हो, वे स्वयं को खोज पाएँ और इन औज़ारों एवं दृष्टिकोण के ज़रिये संसार, प्रकृति एवं लोगों के विषय में भी जान पाएँ।

ज्ञान को फिर से रचना

हम स्कूली पाठ्यचर्या के माध्यम से समझ की क्षमताएँ, व्यवहार और कौशल विकसित करना चाहिते हैं। इनमें से कुछ गणित, इतिहास, प्रकृति विज्ञान या दृश्यकलाओं में सहज ही विषयों के रूप में सूत्रित हो जाते हैं। कुछ अन्य, जैसे नैतिक

समझ को विषयों और गतिविधियों के साथ जोड़ने की ज़रूरत होती है। भाषा के मूल सामर्थ्य को उपरोक्त दोनों तरीकों की आवश्यकता होती है, जबकि सौंदर्यात्मक समझ सहज ही दोनों प्रस्तावों के लिए उपलब्ध हो जाती है। ज्ञान के इन सभी क्षेत्रों के लिए परियोजना कार्य, अंतर अनुशासनात्मक पाठ निरीक्षण, पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है।

ज्ञान के इस दृष्टिकोण के मुताबिक हमें खत्म हो जाने वाले तथ्यों से हटकर उस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से वे उभर कर आते हैं। तथ्यों की सतह से नीचे जाकर भी उनके बीच गरहे संबंधों को समझने की जरूरत होती है जो उन्हें अर्थ और महत्त्व प्रदान करते है।

भारत में हमने परंपरागत रूप से पाठ्यचर्या निर्धारम में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाया है, जो केवल विषयों पर आधारित होता है। यह तरीका ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों में एक 'पुलिंदे' की तरह प्रस्तुत करता है, जिसके साथ विषय क्षेत्रों से जुड़ी योग्यता के परीक्षण के लिए दी जाने वाली परीक्षाओं की विधि भी दी जाती है। इसके साथ ही उस विषय क्षेत्र में दक्षता को जाँचने हेतु अंक भी दिए जाते हैं। इस कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था में कई समस्याएँ आ गई हैं। प्रथम, ज्ञान के जो स्वरूप पाठ्यपुस्तकों के अंतर्गत नहीं आते या जिनका मूल्यांकन अंकों के आधार पर नहीं हो सकता उनको एक तरफ़ करके 'अतिरिक्त', या पाठ्यविषयेतर करार दे दिया जाता है जबकि उन्हें पाठ्यचर्या का समेकित अंग होना चाहिए। इनको जैसे-तैसे निपटा दिया जाता है और बिरले ही शिक्षक इन विषयों के लिए स्कूल में तैयारी करते या ध्यान देते हैं। ज्ञान के अन्य रूप जैसे शिल्प और खेलकूद, जो कौशल, सौंदर्यबोध, चतुरी, रचनात्मकता, समूह में काम करने की क्षमता आदि की दृष्टि से बेहद समृद्ध होते हैं, परे छूट जाते हैं।

दूसरे, विषयों का आपस में कोई तालमेल नहीं होता वे बिलकुल अपरिवर्तनीय उपखंड बन जाते हैं इसीलिए ज्ञान भी समेकित और जुड़ा हुआ लगने की बजाए खंडित लगता है। बच्चे की दुनिया को देखने के दृष्टिकोण की बजाए ये विषय ही ज्ञान के आरंभ बिंदु बन जाते हैं और स्कूली ज्ञान और बाहरी ज्ञान के बीच एक सीमारेखा खिंच जाती है।

तीसरा, पहले से मौजूद ज्ञान को ज्यादा तरजीह दी जाती है जिससे बच्चे की खुद ज्ञान सृजित करने और इस प्रक्रिया के नए तरीके खोजने की क्षमता नष्ट हो जाती है। सूचना, ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, सूचना को प्राथमिकता मिल जाती है, जिससे भारी-भरकम पाठ्यपुस्तकों का निर्माण होता है, यांत्रिक रूप से दोहराने की पद्धति और प्रश्नों के उत्तर आने पर ज़ोर दिया जाता है न कि समझ बढ़ाने या समस्या सुलझाने पर। ज्ञान को सूचना समझने की इस प्रवृत्ति के कारण पाठ्यचर्या में याद करने के लिए कितने ही तथ्यों को 'बोझ' बढ़ा दिया जाता है।

चौथी, समस्या का संबंध नए विषयों को शामिल करने से है। यह एक महत्वपूर्ण ज़रूरत है कि विषय समाज के समकालीन मुद्दों को संबोधित करें लेकिन इससे एक अनुचित प्रवृत्ति यह बन गई है कि स्कूली पाठ्यचर्या में इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए नए विषय 'बना' दिए जाते हैं। और साथ ही उनकी पाठ्यपुस्तकें और मूल्यांकन के तरीकें भी बना दिए जाते हैं। अगर पहले से मौजूद विषयों और चल रही गतिविधियों के द्वारा इनको पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए तो इन मुद्दों को कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से संबोधित किया जा सकता है।

नए मुद्दों को विषयों की तरह जोड़ने से पाठ्यचर्या को बोझ और भी बढ़ता है और ज्ञान के अवांछनीय विखंडन को बढ़ावा मिलता है।

अंततः, पाँचवीं समस्या पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए ज्ञान के चयन के सिद्धांतों के बारे में है। ये सिद्धांत ठीक से बने ही नहीं हैं। विकासात्मक पहलुओं के दृष्टिकोण से उपयुक्तता पर, विभिन्न कक्षाओं में जुड़ाव, और तार्किक क्रमिकता एवं गति जिसमें पहले पढ़ी अवधारणाओं पर वापिस जाने के मौके न के बराबर हों। इन सभी पर किया गया सोच-विचार उपर्याप्त है। ऐसी अवधारणाएँ जो विषयों की सीमाओं को लाँघती हैं, उदाहरणार्थ - माध्यमिक स्कूल में गणित एवं भौतिकी की अवधारणाएँ, उन्हें एक दूसरे से नहीं जोड़ा जाता।

बच्चों का ज्ञान और स्थानीय ज्ञान

बच्चे का समुदाय और उसका स्थानीय वातावरण अधिगम प्राप्ति के लिए प्राथमिक संदर्भ होता है जिसमें ज्ञान अपना महत्व अर्जित करता है। परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके ही बच्चा ज्ञान सृजित करता है और जीवन में सार्थकता पाता है। हालांकि पाठ्यपुस्तकों की संकल्पना और शिक्षा-शास्त्रीय व्यवहार में हमेशा से ही इस समझ की अवहेलना की गई है। इसीलिए इस दस्तावेज़ में हम शिक्षा को प्रासंगिक बनाने के महत्व पर ज़ोर दे रहे हैं, सीखने को बच्चे को परिवेश में स्थित करने पर और स्कूल एवं बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण और स्कूल के बीच की सीमा रेखा को सरन्ध्र बनाने पर भी ज़ोर दे रहे हैं। यह केवल इसलिए नहीं कि अपने परिवेश में बच्चों का अपना अनुभव ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश का वेहतर माध्यम होता है बल्कि इसीलिए भी कि ज्ञान का मतलब ही दुनिया से जुड़ना है। यह केवल साधन नहीं है, बल्कि साधन और साध्य दोनों है।

शिक्षार्थी जब तक अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को पाठ्यपुस्तक में निरूपित संदर्भों के संबंध में स्थित नहीं कर पाते और इस ज्ञान को समाज के अपने अनुभवों से जोड़ नहीं पाते, तब तक ज्ञान मात्र सूचना के ही स्तर पर रहता है। अगर हम यह देखना चाहते हैं कि अधिगम सामुदायिक जीवन के भविष्य के दर्शन से कैसे जुड़ता है तो इस बात पर मनन को प्रोत्साहित करना निर्णायक होगा कि किसी चीज का ज्ञान होने का क्या अर्थ है, और जो हमने सीखा उसे उपयोग में कैसे लाएँ। शिक्षार्थी को उसके सीखने में एक सक्रिय भागीदार की तरह पहचानने की ज़रूरत है।

दिन प्रतिदिन बच्चे स्कूल में अपने आसपास की दुनिया के अनुभव लेकर आते हैं - वे पेड़ जिन पर वे चढ़े, फल जो उन्होंने खाए, चिड़ियाँ जिन्हें उन्होंने पसंद किया। हर बच्चा बहुत ही सक्रिय होकर दिन और रात के प्राकृतिक चक्र को देखता है, मौसम, पानी, अपने आसपास के जानवरों और पौधों को भी देखता है। जब बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो उनके पास पहले से ही समृद्ध भाषा होती है, छोटे अंकों का आधार होता है। फिर भी हम विरले ही उनके ज्ञान को कक्षा में सुन पाते हैं। बिरले ही हम पाठ या पढ़ाने के दौरान उनसे स्कूल के बाहर की दुनिया के बारे में बात करते हैं। उल्टे हम छपे हुए शब्दों और तस्वीरों की सहूलियत का सहारा ले लेते हैं जो

प्राकृतिक संसार की बहुत ही घटिया प्रतिकृति होती है। उससे भी ज्यादा बुरा तो यह है कि आजकल कंप्यूटर - आधारित सीखने के नाम पर, जैविक-संसार को अनुप्राणित रेखाओं में बदल दिया है और बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वे उन्हें कंप्यूटर पटल पर देखें। जैविक-अजैविक का पाठ शुरू करने से पहले, अगर अध्यापिका बच्चों को पास के मैदान में सैर के लिए ले जाए और कक्षा में वापिस आकर बच्चे दस जैविक और दस अजैविक चीजों के नाम लिखें तो परिणाम विस्मयकारी होंगे। तमिलनाडु के महाबलिपुरम में रहने वाले बच्चे अपनी इकट्ठी की गई या देखी हुई चीजों की सूची में, सीप, मछली या पत्थर भी शामिल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य जंगल के पास रहने वाले बच्चे घोंसले, मधुमक्खी के छत्ते और पायल अपनी सूची में शामिल करेंगे। जबकि, अक्सर बच्चों से यह माँग की जाती है कि पाठ्यपुस्तक में दिए गए चित्रों और शब्दों की सूची या चीजों को जैविक और अजैविक की श्रेणी में विभाजित कर दें। जल-प्रदूषण के पाठ के दौरान बच्चे जल स्रोतों और जलाशयों का परीक्षण करें और फिर उन्हें प्रदूषण के प्रकारों से जोड़ कर देखें। यह गतिविधि स्वच्छ जल की कमी से होने वाली बीमारियों के मुद्दों को उठाने।

ज्ञान-निर्माण में सहभागिता

अंतर्निहित परिवर्तनशीलता के कारण प्रकृति का हर रूप अनूठा होता है। इसलिए इसकी समझ केवल शास्त्रीय वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयोग द्वारा विकसित नहीं हो सकती, जिसे बराबर दोहराया जाए। बल्कि इस प्रकार की जटिलताओं की समझ के लिए विशिष्ट स्थान और समय अवलोकनों की आवश्यकता है। उनको सावधानीपूर्वक दर्ज कर, उनकी पद्धतियों, प्रक्रियाओं का विश्लेषण कर इसका पता लगाने की आवश्यकता है कि वे व्यवस्थाएँ कैसे विशिष्ट अर्थों में एक दूसरे से अलग हैं। भारतीय पर्यावरण के विविध पहलुओं के शायद ही उत्तम अभिलिखित दस्तावेज़ मौजूद हों, जैसे भू-जल स्तर की गहराई। विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट के माध्यम से इस प्रकार का दस्तावेज़ तैयार करना संभव है। यह संभव है कि इस प्रकार के तमान प्रोजेक्ट रपटों को एक सर्वसुलभ वेबसाइट पर डाला जा सके, ताकि भारतीय पर्यावरण पर एक पारदर्शी और विस्तृत ज्ञानभंडार तैयार किया जा सके।

बच्चों से स्थानीय पक्षियों और पेड़ों के नाम पूछने के बजाए, पाठ्यपुस्तकें उन सर्वव्यापक चीजों का नाम लेती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारे संसार से संबंधित हैं फिर भी कहीं से भी संबंधित नहीं हैं। कक्षा आठ के शिक्षार्थी अगर प्रकाश-संश्लेषण के पाठ के दौरान उसे अपने आस-पास के पेड़-पौधों से जोड़ेंगे, तभी यह प्रश्न उठाने की सोच पाएँगे कि ''क्रोटन का पौधा जिसकी एक भी पत्ती हरी नहीं होती, सारी ही पत्तियाँ रंगीन होती हैं, वह अपना भोजन कैसे बनाता है?'' जब स्कूल के अंदर आसपास का जीवंत संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा तभी शिक्षार्थी पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सजग होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएँगे।

इसीलिए स्थानीय चीजें एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत हैं जिन्हें कक्षा में कार्य संपादन के निर्णय लेते समय प्रधानता देनी चाहिए। भाषा एवं सामाजिक विज्ञानों की विषय-वस्तु का चयन करते हुए यह महत्त्वपूर्ण है कि संविधान में स्थापित मूल्यों एवं आदर्शों को ध्यान में रखा जाए। कक्षा की गतिविधियों के संपादन में स्थानीय संदर्भ को शामिल करने का आशय होगा कि शिक्षक चुनाव करते हुए गंभीर प्रयत्न करें ताकि उनके चयन शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हों। जब केरल में रहने वाले बच्चों को राजस्थान के रेगिस्तानी परिवेश के बारे में परिचय कराया जाए तो विवरण इतना समृद्ध होना चाहिए कि बच्चों को वहाँ की प्राकृतिक दुनिया की अनुभूति हो पाए। वे उसकी विशिष्टताएँ और विविधताएँ समझ पाएँ बजाए इसके कि सिर्फ ऊँट और रेतीले टीले की बात करते रहें। वे आश्चर्य कर पाएँ कि इतने गर्म स्थान में लोग कम कपड़े पहनने की बजाए अधिक कपड़े पहनते हैं। बच्चे वहाँ के जीवन और अपने आसपास के जीवन की तुलना कर पाएँ और ऐसे सबाव पूछ सकें कि दोनों में क्या समानताएँ और क्या असमानताएँ हैं।

स्थानीय परिवेश केवल भौतिक-प्राकृतिक नहीं होता, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक भी होता है। हर बच्चे की घर में अपनी आवाज़ होती है। स्कूल के लिए आवश्यक है कि कक्षा में भी वह आवाज़ सुनी जाए। समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी प्रचुर होता है, लोककथाएँ, लोकगीत, चुटकुले, कलाएँ आदि जो स्कूल में भाषा और ज्ञान को समृद्ध बना सकते हैं। इससे मौखिक इतिहास भी समृद्ध होगा। लेकिन हम कक्षा में चुप्पी को लादकर बच्चों को दबाते हैं।

स्कूली ज्ञान और समुदाय

यह ज़रूरी है कि सामाजिक-सांस्कृतिक संसार के अनुभवों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।

स्थानीय ज्ञान परंपराएँ

भारत में ऐसे भी कई समुदाय और व्यक्ति हैं जो भारत के पर्यावरण के विविध रूपों की सूचनाओं और उनके प्रबंधन संबंधी ज्ञान के भंडार हैं, जो उन्होंने पीढ़ियों से परंपरागत ज्ञान के रूप में पाने के साथ अपने व्यावहारिक अनुभव से भी प्राप्त क्रिया है। इस प्रकार के ज्ञान में : पौधों का नामकरण और वर्गीकरण, जल-संरक्षण और जल संचय के उपाय या टिकाऊ कृषि की प्रथा शामिल है। कभी-कभी से उससे भिन्न भी हो सकते हैं जैसा स्कूल में विषय ज्ञान देते समय बताया जाता है। कभी तो इसकी पहचान भी नहीं हो पाती है कि यह ज्ञान महत्वपूर्ण है। इन स्थितियों में, स्कूल में शिक्षकों को विद्यार्थियों को स्थानीय परंपराओं, और लोगों के पर्यावरण संबंधी व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित परियोजना तैयार करने में मदद करनी चाहिए। इसमें स्कूली

परंपरा से उसकी तुलना को भी शामिल किया जा सकता है। कुछ मामलों में, जैसे कि पौधों के वर्गीकरण के मामले में, हो सकता है कि दोनों परंपराओं के मानदंड समानांतर हों और अपने-अपने मुताबिक दोनों महत्वपूर्ण हों अन्य दृष्टान्तों में, जैसे बीमारी के वर्गीकरम और उनके उपचार के मामले में यह स्थानीय परंपरा के विपरीत भी हो सकते हैं। बहरहाल, सभी प्रकार के ज्ञान को संवैधानिक मूल्यों और परंपराओं के अनुकूल होना चाहिए।

किसी भी समुदाय का अतिसरलीकरण न हो, न उन पर कोई ठप्पा लगाया जाए, न ही उनके बारे में कोई निर्णय सुनाया जाए। विद्यार्थियों के लिए यह और भी बेहतर होगा कि वे सामाजिक अध्ययन के पाठ के अंतर्गत स्थानीय सामाजिक समूहों का खुद ही चित्रण करें। बच्चे सीधे ग्राम पंचायत के सदस्य से संपर्क-संवाद कर सकते हैं। उनको स्कूल में बुलाया जाए और वे विस्तार से बताएँ कि विकेन्द्रीकरण ने स्थानीय नागरिक मुद्दों को संबोधित करने में कैसे मदद की है। स्थानीय मौखिक इतिहास को भी प्रादेशिक और राष्ट्रीय इतिहास से जोड़ा जा सकता है। लेकिन सामाजिक संदर्भ, पाठ्यचर्या विकसित करने वालों एवं अध्यापिकाओं से यह माँग करता है कि वे विवेचनात्मक जागरूकता लाएँ और उस संदर्भ से बहुत ही सतर्क एवं संवेदनशील रूप से जूड़े। लिंग, जाति, वर्ग एवं धर्म की समुदाय आधारित अस्मित्व, प्राथमिक अस्मिता होती है लेकिन वह बेहद उत्पीड़क भी हो सकती है और सामाजिक भेदभाव और ऊँच-नीच को कई बार पुख्ता भी करती है। स्कूली ज्ञान वह दृष्टि भी दे सकता है जिसके द्वारा बच्चे सामाजिक यथार्थ की एक आलोचनात्मक समझ बनाएँ। स्कूली ज्ञान बच्चों को ऐसे मौके भी दे सकता है कि वे घर के अनुभवों और वहाँ पैदा हुई चिंताओं के बारे में बात कर पाएँ।

कुछ विकासमूलक विचार

बच्चों में रुचि, शारीरिक क्षमता, भाषिक क्षमता, अमूर्तन और सामान्यीकरण की क्षमता का विकास स्कूल-पूर्व शिक्षा से लेकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक में होता है। यह समय गहन वृद्धि एवं विकास का, रुचियों एवं क्षमताओं में मूलभूत बदलाव का होता है। इसलिए पाठ्यचर्या के क्षेत्रों के चयन एवं व्यवस्थापन के प्रस्ताव को निश्चित करने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है।

ज्ञान के सृजन एवं पुनः सृजन के लिए अनुभव के आधार, भाषायी क्षमताओं एवं प्राकृतिक संसार और दूसरे लोगों के साथ अंतःक्रिया की ज़रूरत होती है। स्कूल में पहली बार प्रवेश करते समय बच्चा संसार के ज्ञान का सृजन शुरू कर चुका होता है। हर चीज जो बच्चे बाद में सीखते हैं वह उस ज्ञान से संबंधित होता है जो वह स्कूल में लेकर आते हैं। यह ज्ञान भी अंतःप्रज्ञात्मक होता है। स्कूल अवसर देता है कि इसी ज्ञान को आधार मान कर, सचेत रह कर और जुड़ाव के साथ आगे बढ़ा जाए। सीखने के शुरुआती स्तर पर,

- विषय दूवारा दिए गए कौशलों के आधार पर सामाजिक यथार्थ और परिवेश के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोम का विकास।
- स्थानीय के साथ जुड़ाव, ज्ञान को संदर्भों में रखा जाए ताकि उसकी प्रासंगिकता और अर्थपूर्णता महसूस की जा सके, स्कूल के बाहर के अनुभवों की पुष्टि हो पाए, अवलोकन, वर्गीकरण, श्रेणियाँ बना कर, प्रश्न पूछ कर इन अनुभवों के संबंध में तर्क करके स्वयं सीखना।
- विभिन्न अनुशासनों में अंतर्संबंध देखना और ज्ञान में अंतर्निर्हित जुड़ाव को समझना।
- स्थानीय ज्ञान और स्थानीय क्षेत्र के रिवाजों और प्रथाओं के साथ जुड़ना और जहाँ भी संभव हो इन्हें स्कूली ज्ञान के साथ जोड़ना।
- कक्षायी प्रक्रियाओं में 'समानता' के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना और कई समूहों दूवारा ज्ञा के विभिन्न क्षेत्रों को सीख पाने को लेकर स्थापित रूढ़िबदूध धारणाओं और भेदभाव के प्रति सजग होना (उदाहरण-लड़कियों को क्षेत्राधारित परियोजनाएँ न देना, नेत्रहीनों को गणित सीखने से वर्जित करना, इत्यादि।)
- कल्पनाशीलता का विकास और कल्पना एवं अतिकल्पना को सजीव रखना।

❖ ❖ ❖

GRK

५ नवीन हिंदी पाठ्यपुस्तकों के दार्शनिक तत्व (Sailent Features & Key Principles of Language Text Book)

छात्रों में सब को समझने, संकटों का सामना करने व विविध परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का समुचित प्रयोग करने की क्षमताओं का विकास करना ही पाठ्यपुस्तक का मूल लक्ष्य है। सब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकारी हैं। यह राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 द्वारा अपने सुझाव दिये हैं। एनसीएफ-2005, आरटीई-2009, एपीएससीएफ-2011 आदि के सुझावों को ध्यान में रखने हुए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, आंध्र प्रदेश ने नवीन पाठ्यपुस्तक की रूपरेखा तैयारी की है। इसके अनुसार बच्चों में कल्पनाशीलता व सहज गुणों का विकास करने में पाठ्यपुस्तक सहायक होनी चाहिए।

नवीन पाठ्यपुस्तकों की दार्शनिक पृष्ठभूमि समझने के लिए हमें नीचे दिये गये प्रश्नों पर विचार करना होगा।

1. पाठ्यपुस्तक किन-किन सूत्रों के आधार पर तैयार की गयी है?
2. नवीन पाठ्यपुस्तकों की क्या विशेषता है?
3. नवीन पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यांशों के भाव क्या हैं?
4. नवीन पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यांशों का संयोजन (इकाई संरचना) किस प्रकार है?
5. नवीन पाठ्यपुस्तकों में किन शिक्षण विधियों का समावेश है?
6. आमुख के मुख्य अंश क्या हैं?
7. अध्यापकों के लिए सूचना में किन-किन अंशों पर चर्चा की गयी है?

उपर्युक्त प्रश्नों पर विचार करने से नवीन पाठ्यपुस्तकों के मूल सूत्र पहचाने जा सकते हैं। वे हैं-

1. नवीन पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में निम्न विशेष गुण होने चाहिए-

1. छात्रों को सोचने के भरपूर अवसर मिलें।
2. छात्रों को परस्पर प्रतिक्रिया करने के अनुकूल हों।
3. छात्रों में मानवीय, जीवन कौशल संबंधी गुणों के विकास के संदर्भ होने चाहिए।
4. कक्षा में भाषा कौशलों के विकास व बहुभाषिकता को प्रधानता मिलनी चाहिए।
5. संस्कृति, संप्रदाय, कला, साहित्य से संबंधित पाठ्यांश सम्मिलित किये जाने चाहिए।
6. छात्रों को स्वाध्याय के अवसर मिलने चाहिए।
7. पाठ का प्रारूप सुगठित होना चाहिए।
8. दैनिक जीवन में उपयोग के अवसर मिलने चाहिए।
9. चर्चा को स्थान मिलना चाहिए।
10. विषयवस्तु रोचक और मनोरंजक होनी चाहिए।
11. छात्रों को तार्किक चिंतन करने के लिए उचित संदर्भ होने चाहिए।
12. समकालीन सामाजिक संदर्भों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक होनी चाहिए।
13. विद्यार्थियों के लिए स्वमूल्यांकन का अवसर होना चाहिए।
14. पाठ्यांश को दर्शाने वाले चित्र आकर्षक होने चाहिए।
15. सृजनात्मक गतिविधियाँ उचित रूप से दी जानी चाहिए।

2. नवीन पाठ्यपुस्तकों की क्या विशेषता है?

- यह पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के आधार पर तैयार की गई है।
- इसमें पारंपरिक एवं नवीन भाषा-शिक्षण की प्रविधियों के समावेश है।
- यह भाषा को विद्यार्थी के व्यक्तिगत का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है।
- पाठ्यक्रम के चयन और अभ्यासों में विद्यार्थी के भाषाई विकास की समग्रता भी ध्यान में रखा गया है।

- इसमें प्रकृति, समाज, विज्ञान, बाज़ार, इतिहास इत्यादि के प्रति विद्यार्थी को जिासु बनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि भाषा की भूमिका सर्वत्र है।
- इस पाठ्यपुस्तक में मुद्रण एवं टंकण की दृष्टि से विविध प्रकार की प्रचलित पद्धतियों का प्रयोग किया गया है ताकि छात्र इनसे भी अवगत हो सकें।
- सृजनात्मक साहित्य हमारी भाषिक दक्षता को और सक्षम बनाता है। यह सौंदर्य-बोध को भी समृद्ध करता है।
- इसीलिए इसकी पाठ्य सामग्री में विषयगत विविधता, नवीनता है।
- इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया है कि उन रचनाओं से बहुलवादी और धर्म-निरपेक्ष समाज का रूप भी सामने आए।
- हम साहित्य की प्रभावकारी क्षमता का उपयोग करते हुए सभी प्रकार की विविधताओं के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील व्यवहार का विकास कर सकें।
- भारतीय समाज के बहुभाषिक परिवेश को भी ध्यान में रखा गया है।

3. नवीन पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यांशों के भाव क्या हैं?

- पाठ्यांशों के भावों को मूलतः छह भागों में विभाजिक किया गया है-
- सामाजिक मुद्दा - नारी शिक्षा, पर्यावरण, भेद-भाव, अस्पृश्यता, अंध-विश्वास आदि।
- बाल स्वभाव एवं रुचि - आदर्श बाल व्यक्तित्व, बाल सजह कल्पना, खेल-कूद आदि।
- वैज्ञानिक अंश - अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह, साफ़-सफ़ाई, विज्ञान की देन आदि।
- हास्य, मनोरंजन, सृजनात्मकता - हास्य कथा, विज्ञापन, सिनेमा, पत्रिका, डायरी आदि।
- मानव मूल्य व संसाधन - नीति, मानवता, जवन कौश, सूक्ति आदि।
- संस्कृति, संप्रदाय व धर्म - त्यौहार, ऐतिहासिक कथा, उत्सव आदि।

4. नवीन पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यांशों का संयोजन (इकाई संरचना) किस प्रकार है?

- पाठ्यपुस्तक के बारह पाठों में विविध विषय तथा विधाएँ समाहित हैं। इन्हें चार इकाइयों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक इकाई पाठ में तीन-तीन पाठ हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक इकाई में एक पठन हेतु व उपवाचक पाठ हैं। इकाई विभाजित करते समय कालांशों को ध्यान में रखा गया है।

5. नवीन पाठ्यपुस्तकों में किन शिक्षण विधियों का समावेश है?

- नवीन पाठ्यपुस्तकों में विविध सिक्षण प्रविधियों को सम्मिलित रूप से प्रयोग किया गया है। इसमें प्रमुख हैं - क्रिया दूवारा सीखना, अनुभव दूवारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, सर्वेक्षण करके सीखना, अभ्यास दूवारा सीखना, व्यक्तिगत व सामूहिक क्रियाकलाप दूवारा सीखना आदि।

6. आमुख के मुख्य अंश क्या हैं?

- ग्यारह-बारह वर्ष आयु में बालक भाषा का अर्थ और महत्व समझते हैं।
- साथ-साथ अपनी मातृभाषा व अंग्रेज़ी की भी जानकारी रखते हैं।
- वे अपने अड़ोस-पड़ोस से भी कुछ हिंदी भाषा के शब्द सीख लेते हैं।
- बालक भाषा अधिगम साधारणतया सह व व्यावहारिक रूप में करते हैं।
- इन बातों व एनसीएफ-2005, आरटीई-2009, एससीएफ-2010 एवं आधार पत्र्त -2011 को सुझाव।
- इस स्तर पर छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को जिज्ञासु बनाना व सहज, व्यावहारिक एवं मनोरंजक रूप से भाषार्जन के लिए प्रेरित करना हिंदी शिक्षण के उद्देश्य रहे हैं।
- सातवीं कक्षा के स्तर पर सुनना, बोलना कौशलों में छात्रों को सक्षम बनाने का प्रयास किया गया है।
- आठवीं कक्षा के स्तर पर पठन व लेखन के साथ-साथ सृजनात्मकता में सक्षम बनाने के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है।
- इस पाठ्य-पुस्तक में गीत, कविताएँ, कहानियाँ, भाषण लेख, साक्षात्कार, समीक्षा, पत्र, निबंध आदि के साथ-साथ रोचक द्रुत पाठ भी दिये गये हैं।
- इन्हें बालकों के व्यावहारिक जीवन से जोड़ा गया है।
- इनके दूवारा छात्रों में, सोच-विचार कर उत्तर देना, तुलना कर निष्कर्ष निकालना और नवीन ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ने की प्रवृत्ति का विकास होता है।
- इससे बालक को सृजनशीलता के भरपूर अवसर मिलते हैं। वे अर्जित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान की रचना करते हैं। ये अभ्यास सहज व व्यावहारिक रूप से भाषार्जन करने में सहायक हैं।

7. अध्यापकों के लिए सूचना में किन-किन अंशों पर चर्चा की गयी है?

- इस पाठ्य-पुस्तक में 12 पाठ हैं। इन्हें चार इकाइयों में विभाजित किया गया है। इन्हें निर्धारित वार्षिक पाठयोजना के अनुसार पढ़ायें।
- इस पाठ्य-पुस्तक में अपेक्षित कौशलों व सामर्थ्यों की सूची दी गयी है। इसी के आधार पर छात्रों में दक्षताओं और उच्चतम बौद्धिक कौशलों (HOTS) का विकास करने पर ध्यान दें।
- पाठ्य-पुस्तक में पाठ संबंधी चित्र दिये गये हैं। इनके माध्यम से छात्रों से बातचीत करवायें। दिये गये प्रश्नों के आधार पर बालकों को विविध दृष्टिकोण से सोचने का अवसर दें।
- पाठ का अध्यापन संदर्भोचित चित्र या प्रस्तावना चित्र के आरंभ हुआ है। इनसे संबंधित विचारशील प्रश्न पूछें।
- हर पाठ के अभ्यास में **अर्थग्राह्यता-प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति-सृजनात्मकता, भाषा की बात व परियोजना कार्य** संबंधी अभ्यास दिये गये हैं। इन सभी का सदुपयोग कर छात्रों में भाषागत कौशलों व विविध दक्षताओं का समुचित विकास करने का प्रयास करें। कविता, गीत, पद्य, वार्तालाप या कहानी आदि पाठों के लिए सुनने-बोलने संबंधी क्रियाएँ कक्षा में सामूहिक रूप से करवायें। सबको स्वतंत्र व सहज रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करें।
- अभिव्यक्ति-सृजनात्मक अभ्यास कार्य छात्रों को समूहों में बाँटकर करवायें, जिससे उनमें सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास हो। इन अभ्यास कार्यों के निर्देश छात्रों को भली-भाँति समझने का अवसर दें, जिससे वे स्वयं अभ्यास कर सकें।
- इस पाठ्य-पुस्तक में बालक के व्यावहारिक जीवन में आनेवाली शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस पर ध्यान देते हुए भाषा-अधिगम की प्रक्रिया का संबंध बालक के जीवन से जोड़े ताकि बालक सरलता से भाषागत विकास कर सकें।
- यह पुस्तक बालक को पुस्तकालय की विविध पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। अतः इस दिशा में बालकों को प्रेरित करें।
- हर इकाई में एक द्रुत पाठ भी दिया गया है। छात्र इस पाठ का पठन करके आत्मसात करने की क्षमता का विकास कर सकें। इस संदर्भ में अध्यापक छात्रों का सहयोग व मार्गदर्शन करें।
- विविध पाठों के आधार पर संदर्भानुसार छात्रों को मानव मूल्य, पर्यावरण, शांति, अहिंसा, संवैधानिक मूल्य आदि का व्यावहारिक प्रशिक्षण दें, जिससे छात्र आदर्श नागरिक बन सकें और अपने भावी जीवन का निर्माण कर सकें।
- पाठ्यपुस्तक एक साधन मात्र है, साध्य नहीं। इस से छात्रों को विविध संचार माध्यमों से जोड़ने का प्रयास करें।

पाठ :

प्रत्येक पाठ के आरंभ में बच्चों को पाठ के प्रति आकर्षित करने के लिए उन्मुखीकरण चित्र दिया गया है। बच्चों को स्वयं अध्ययन के लिए सूचनाएँ दी गयी हैं। विविध विधाओं के पाठ रखे गये हैं। कवि के चित्र के साथ कवि परिचय दिया गया है।पद्य भाग में भाव दिया गया है। इसी के साथ अपेक्षित दक्षताओं से संबंधित अभ्यास दिये गये हैं। साथ ही परियोजना कार्य भी दिये गये हैं।

8. अपेक्षित दक्षताओं पर आधारित अभ्यास :

भाषा अधिगम के लक्ष्य में प्रति पाठ के अंत में सात दक्षताओं पर आधारित अभ्यास दिये गये हैं। वे हैं -

आठवीं कक्षा :

1.	सुनो-बोलो	2.	पढ़ो	3.	लिखो
4.	शब्द-भंडार	5.	सृजनात्मक अभिव्यक्ति	6.	प्रशंसा
7.	भाषा की बात				

- **प्रस्तावना प्रसंग** के शिक्षण में विशेष महत्व है। ये प्रत्येक पाठ के आरंभ में चित्र के साथ दिये गए हैं। प्रस्तुत प्रस्तावना प्रसंग के प्रश्नों के प्राप्त उत्तरों पर चर्चा करवाते हुए पाठ के शिक्षम का आरंभ करें। यह मौखिक होना चाहिए।
- प्रत्येक पाठ में **परियोजना** है। इसका उद्देश्य अर्जित ज्ञान को बाहरी परिवेश से जोड़कर उसका विस्तार करना है।
- **'क्या मैं वे कर सकता हूँ'** में बच्चा स्वयं अपना आकलन करें, जिससे वह अपने सीखने के विकास से अवगत हो सके। अध्यापक इससे उसके सीखने में आने वाले अवरोधों के विषय में जानकर सुधार के प्रयत्न कर सकते हैं।
- पाठ्यपुस्तक में अभ्यासों के उद्देश्य स्पष्ट करने हेतु अपेक्षित कौशलानुसार अभ्यास-कार्य दिए गए हैं। प्रत्येक अभ्यास क्रियाकलाप संबंधित कौशलों के विकास के साथ-साथ बालक को सोचने का अवसर प्रदान करता है। आठवीं कक्षा में अपेक्षित कौशलों को सात बिंदुओं में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित हैं -
- **सुनिए-बोलिए -** इस कौशल का उद्देश्य बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है। यह अभिव्यक्ति बालक के अनुभव पर आधारित होनी चाहिए न की रटी रटाई। अतः इस कौशल के अभ्यास में पाठ के संदर्भों पर बालक को विविध दृष्टिकोणों से सोचने और अपनी बात कहने का मौका मिले।

- **पढ़िए** - इस कौशल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ बार-बार पढ़ने के लिए प्रेरित करना है जिससे वे पाठ को बेहतर समझ सकें, साथ ही वाचन कौशल का विकास भी हो। ध्यान रहे कि वाचन से अभिप्राय है - भाव समझने हुए पढ़ना।
- **लिखिए** - इसके अंतर्गत बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति के विकास पर ध्यान दिया जाए। यह अभिव्यक्ति भी बालक के अनुभव पर आधारित होनी चाहिए न की रटी रटाई। इसमें बच्चे के स्वलेखन की झलक हो। बच्चा जो कुछ भी किसी तब के बारे में जानता हो उसे वह अपने शब्दों में शुद्ध, मौलिक व सुव्यवस्थित रूप में लिख सके।
- **शब्द भंडार** - इसका उद्देश्य शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि के संदर्भोचित प्रयोग की योग्यता का विकास करना है।
- **भाषा की बात** - इसका उद्देश्य छात्रों को भाषा संबंधी नियमों के बारे में जानकारी देते हुए उनमें भाषिक संरचना की समझ का विकास करना है।
- **प्रशंसा** - इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा जो कुछ सीख रहा है उसके सामाजिक एवं नैतिक उपयोग व महत्व को समझ सके। ज्ञान के सटीक व संदर्भोचित सामाजिक उपयोग करने की योग्यता उत्पन्न करना सि कौशल का उद्देश्य है। वह प्राप्त ज्ञान के महत्व को समझते हुए उस ज्ञान के प्रति प्रशंसा का भाव रख सके।
- **सृजनात्मक अभिव्यक्ति** - बच्चों में कल्पनात्मक अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न दक्षताएँ निहित होती हैं। उन्हें अपने विचार मौखिक तथा लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वे अपनी खुद की कहानियाँ, गीत, संवाद, पत्र-लेखन, कर-पत्र, सूचनाएँ, विज्ञापन, नाटक आदि का सृजन कर सकें। पुस्तकें की समीक्षा, प्रतिवेदन, चर्चा, भाषण आदि बच्चों के सृजनात्मक अभिव्यक्ति को इंगित करते हैं।
- **परियोजना कार्य** - इसका उद्देश्य छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास करने वाले संग्रहण कार्य करवाना है। इसी तरह नवीं कक्षा की नवीन पाठ्यपुस्तक में अपेक्षित कौशलों व दक्षताओं को मुख्यतः चार बिंदुओं में पूछा गया है।

नवीं कक्षा :

1. **अर्थग्राह्यता-अभिव्यक्ति** - विचार-विमर्श, पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार।
2. **अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मकता** - स्वाभिव्यक्ति, सृजनात्मक कार्य, प्रशंसा।
3. **भाषा की बात** - शब्द-भंडार, व्याकरण अंश
4. **परियोजा कार्य**

- **अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मकता** - इसके अंतर्गत कुल तीन स्तंभ हैं - **स्वाभिव्यक्ति, सृजनात्मक कार्य एवं प्रशंसा। स्वाभिव्यक्ति** में विद्‌यार्थियों की लिखित अभिव्यक्ति के विकास पर ध्यान दिया गया है। यह बालक के अनुभव पर आधारित होनी चाहिए न की रटी रटाई। इसमें उनके स्वलेखन की झलक हो। **सृजनात्मक कार्य** को भाषा कौशल का चरम विकास माना जा सकता है। बच्चों में कल्पनात्मक अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न दक्षताएँ निहित होती हैं। उन्हें अपने विचार मौखिक तथा लिखित रूप में अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वे अपनी खुद की कहानियां, गीत, संवाद, पत्र-लेखन, कर-पत्र, सूचनाएँ, विज्ञापन, नाटक आदि का सृजन कर सकें। पुस्तकों की समीक्षा, प्रतिवेदन, चर्चा, भाषण आदि बच्चों के सृजनात्मक अभिव्यक्ति को इंगित करते हैं। **प्रशंसा** के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि बच्चा जो कुछ सीख रहा है उसके सामाजिक एवं नैतिक उपयोग व महत्व को समझ सके। ज्ञान के सटीक व संदर्भोचित सामाजिक उपयोग करने की योग्यता उत्पन्न करना इस कौशल का उद्‌देश्य है। वह प्राप्त ज्ञान के महत्व को समझते हुए उस ज्ञान के प्रति प्रशंसा का भाव रख सके।
- **भाषा की बात** का उद्‌देश्य छात्रों को भाषा संबंधि नियमों के बारे में जानकारी देने हुए उनमें भाषिक संरचना की समझ का विकास करना है। साथ ही साथ शब्दों, मुहावरों, लोकक्तियों आदि का विविध संदर्भों में प्रयोग करने की योग्यता का विकास करना भी है।
- विद्‌यार्थियों की अर्थबोध संबंधी कठिनाई के निवारण हेतु पाठ्‌यपुस्तक के अंत में शब्द-संपदा दी गई है। इनमें शब्दों के पाठ में आए संदर्भानुसार अर्थ दिए गये हैं।
- सभी बच्चों की सहभागिता का विशेष महत्व है। छात्रों की विविधता को ध्यान में रखने हुए उन्हें सहभागिता के अवसर मुहैया कराएँ। बच्चों को विविध संदर्भों के विषय में बातचीत के अवसर दें। उनसे प्रश्न पूछें। उन्हें भी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जिससे छात्रों में सहभागिता एवं सहयोग की भावना का विकास हो।
- प्रस्तावना प्रसंग का शिक्षण में विशेष महत्व है। ये प्रत्येक पाठ के आरंभ में हैं। प्रस्तावना प्रसंग के प्रश्नों के प्राप्त उत्तरों पर चर्चा करवाते हुए पाठ के शिक्षण का आरंभ करें। ये क्रियाकलाप मौखिक होने चाहिए।
- प्रत्येक पाठ में परियोजना है। इसका उद्‌देश्य अर्जित ज्ञान को बाहरी परिवेश से जोड़कर उसका विस्तार करना है।

नवीन पाठ्यपुस्तक की दार्शनिकता :

साधारणतया शिक्षा के चार मूल स्तंभ हैं। जिनके ऊपर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली खड़ी है। इन चारों में से किसी के महत्व को भी कम नहीं आंका जा सकता। ये चार स्तंभ निम्नलिखित हैं-

1. शिक्षा का उद्देश्य
2. शिक्षा के साधन
3. शिक्षा के साधनों का नियोजन
4. मूल्यांकन

1. शिक्षा का उद्देश्य :

एनसीएफ-2005, एपीएससीएफ-2011 और आरटीई-2009, भाषा का आधार पत्र इत्यादि को पढ़ने के बाद शिक्षा के मूल सरोकारों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये उद्देश्य प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा के मूल सरोकार के रूप में विद्यमान रहे हैं। आज भी शिक्षा के उद्देश्य के रूप में निस्संदेह महत्व रखते हैं।

- बच्चों को इतना सक्षम बनाना कि वे जीवन का अर्थ समझ सकें। - **गाँधी दर्शन**
- अपनी योग्यताओं का विकास करते हुए अपनी सर्वांगीण विकास कर सकें। - **स्वामी विवेकानंद**
- अपना सर्वांगीण विकास करते हुए दूसरे व्यक्ति को भी सर्वांगीण विकास करे का अधिकार दें। **- रवींद्रनाथ टैगोर**

2. शिक्षा के साधन :

अब तक हम शिक्षा के साधन के रूप में श्यामपट, खड़ियाँ, पाठ्यपुस्तक, श्रव्य-दृश्य सामग्री आदि को देखते रहे हैं। किंतु ये शिक्षा के भौतिक साधन हैं। यहाँ ''शिक्षा के साधन'' से हमारा अभिप्राय इन साधनों के पीछे छिपे दार्शनिक तत्वों से हैं, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

भारतीय परिवेश की कुछ अपनी विशिष्टताएँ हैं। यहाँ का छात्र साधारणतया है। बहुभाषिक होता है। भारतीय संस्कृति से उसे एक से अधिक धर्मों का ज्ञान होता है। वह विविध धर्मों, संस्कृतियों, सभ्यताओं पर आधारित उत्सवों व त्यौहारों में भाग लेता है। अतः हमें इन विविधताओं को आधा बनाते हुए उसके व्यक्तित्व के संतुलित विकास का प्रयत्न करना चाहिए। इन विविधताओं, विशिष्टताओं को साधन के रूप में अपनाना चाहिए। जैसे कि इस पाठ्यपुस्तक में किया गया है। इसके मूल साधन इस प्रकार हैं -

* बहुभाषिकता   * संस्कृति   * समानता   * धर्म

* भाषा	* जाति	* रीति-रिवाज	* साहित्य
* इतिहास	* समाज	* पर्यावरण	* नैतिकता
* जीवन कौशल/विधान	* विज्ञान	* राष्ट्रीयता	* लिंग भेद

3. शिक्षा के नियोजन :

वस्तुतः हम शिक्षा में अनेक विधियों और प्रविधियों का उपयोग प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। किंतु आज भी हमें अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसके पीछे कारण ये हैं कि समाज परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन से समाज, व्यक्ति, परिस्थितियाँ, कुछ भी अछूता नहीं है। अतः हमें इन प्रविधियों में से ऐसी प्रविधियों का चयन करना होगा, जो प्रत्येक परिस्थिति में उपयोगी सिद्ध हों तथा उनमें अनेक प्रविधियों का समावेश हो। साथ ही इनके प्रयोग द्वारा छात्र मानसिक रूप से सक्रिय रहे, उन्हें अनुभव को महत्व मिले, उन्हें ज्ञान निर्माण का अवसर भी मिले। ऐसी कुछ प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं-

*	निरीक्षण द्वारा सीखना
*	सर्वेक्षण द्वार सीखना
*	अभ्यास द्वारा सीखना
*	अंतःप्रेरणा द्वारा सीखना
*	परियोजना द्वारा सीखना
*	सहभागिता द्वारा सीखना
*	निर्माणात्मकता द्वारा सीखना
*	समावेशी शिक्षा द्वारा सीखना
*	बहुभाषिकता द्वारा सीखना

4. मूल्यांकन - सतत समग्र मूल्यांकन (सीसीई) :

प्रस्तावना

*** सतत समग्र मूल्यांकन का अर्थ -**

सतत का अर्थ है निरंतर (मूल्यांकन में सतत भी अवधारणा का उद्देश्य मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत लाना।)

समग्र का अर्थ है व्यापक व संपूर्ण। (शारीरिक, मानसिक, नैतिक और ज्ञानात्मक क्षेत्र में विकास की समग्रता।)

मूल्यांकन का अर्थ है बच्चों की विकासात्मक स्थिति का अंकन।

मापन, आकलन और मूल्यांकन में अंतर -

आकलन के प्रकार

* सीखने का आकलन
* सीखने के लिए आकलन
* सीखने हुए या सीखते समय आकलन।

भाषा मूल्यांकन के क्षेत्र -

- भाषा कौशल (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शब्द-भंडार, अधिभाषिक चेतना, सृजात्मक अभिव्यक्ति, प्रशंसा।)
- स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा कार्य अनुभव, नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल, अन्य विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि।)
- मूल्यांकन का निवार्ह
- रचनात्मक मूल्यांकन (चार)
- संरचनात्मक मूल्यांकन (दो)

रचनात्मक मूल्यांकन का स्वरूप :

- अध्यापकों द्वारा पूरे शैक्षणिक वर्ष तक औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चलता रहता है।
- यह निदानात्मक तथा उपचारात्मक होता है।
- रचनात्मक परीक्षाओं का आयोजन बच्चों व अध्यापकों पर बोझ नहीं बनता ।
- बालक को इस बात का आभास नहीं होता कि उसका मूल्यांकन हो रहा है।
- रचनात्मक मूल्यांकन स्वाभाविक परिस्थितियों में होता है।
- यह वर्ष में चार बार किया जाएगा।

सारांशात्मक मूल्यांकन का स्वरूप :

- अध्यापक द्‌वारा सत्रांत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा है।
- इनका आयोजन वर्ष में दो बार किया जाएगा।
- इसमें अधिगम की प्रतिपुष्टि होती है।
- अध्यापकों द्‌वारा अभिभावकों प्रगतिसूचक पत्र बताये जाते हैं।
- यह अध्यापकों, अभिभावकों शिक्षणा संस्थाओं व सामाजिक वर्गों के लिए अधिक उपयोगी होता है।
- इसमें मौखिक एवं लिखित परीक्षाओं (पेपर-पेंसिल टेस्ट) का आयोजन किया जाता है।

रचनात्मक मूल्यांकन के साधन :

- कक्षा कार्य, गृहकार्य, अध्यापक डायरी, छात्र डायरी, पोर्ट फोलियो, निरीक्षण, दत्त कार्य, परियोजना कार्य, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, घटना विवरण (अनेक्टाडल रेकॉर्ड), प्रतिवेदन, स्वमूल्यांकन, प्रश्न मंच, मौखिक व लिखित परीक्षा।

सारांशात्मक मूल्यांकन के साधन :

- मौखिक व लिखित परीक्षा।

❖ ❖ ❖

5

भाषा अधिगम के उपागम

(Language Learning - Strategies)

परम्परागत रूप से अधिगम उपलब्धियों को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जैसे अलग-अलग कौशलों के अर्थ में देखा जाता रहा है जबकि भाषाई उपलब्धियों के लिए हमें एक समग्र नज़रिये की ज़रूरत है जैसा कि भाषा शिक्षण के लिए हमने समग्र नज़रिया पहले सुझाया है। अतः भाषा उपलब्धियों के लिए हमें अधिक समग्र परिप्रेक्ष्य की ज़रूरत है।

भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के लिए हमने और अधिक समग्र परिप्रेक्ष्य सुझाये हैं। पर इस समय हम बच्चों के द्वारा उत्पादित संवादों का मूल्यांकन (आकलन) करना चाहते हैं। इन संवादों में केवल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा के उचित प्रयोग और विविध दृश्य माध्यम जैसे चित्रकारिता (ड्राइंग/पेंटिंग) भी होंगे। भाषाई उपलब्धियों में मुख्यतः ध्यान अर्थ के साथ पढ़ने व लिखने पर होना चाहिए। इसे बच्चों को दूसरों की बातें ध्यानपूर्वक सुनने और उनसे आत्मविश्वास के साथ बोलने में सहायक होना चाहिए। हमें इस बात पर जोर देना है कि भाषा-शिक्षण कार्यक्रम बच्चों को पहले-पहल उनकी मातृभाषा में सक्षम बनाए। एक बार यह आश्वस्त हो जाय तो यह बच्चों को दूसरी भाषाओं तथा विषयों में उच्च स्तर तक प्रवीण बनाने में लंबी दूरी तक सहायक होगा।

अपेक्षित उपलब्धियाँ

भाषा शिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इस पत्र में सुझाये गये निम्नांकित अंशों में बच्चों को योग्य बनाना चाहिए। इस आधार पत्र में सुझाये गये भाषा शिक्षण कार्यक्रम से गुज़रने वाले बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के अंत तक निम्नलिखित चीज़ें करने में सक्षम होंगे-

- वे दूसरों को सुनने एवं समझने व उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया दे सकें जो उस व्यक्ति, स्थान एवं संभाषण के अनुकूल हो। वे पूर्वानुमान लगा सकें कि उन्हें क्या करना है। वे उस प्रकार के संवादों/चर्चा क्रियाओं में भाग लें जहाँ उन्हें जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहने का मौका मिले। छोटी-छोटी बातों पर उत्तेजित होने के बजाय वे तार्किक चर्चाओं में शामिल होने में सक्षम हो सकें।

- सामान्यतः बोलने को एक यांत्रिक क्रिया के रूप में लिया जाता रहा है। विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं में जहाँ बच्चा शिक्षक द्वारा कहे गए छोटे-छोटे गीतों व कविताओं को सूत्रबद्ध रूप में पुनः प्रस्तुत या अभिवादन करता है। बच्चे पहले से ही जानते हैं कि उन्हें विविध व्यर्थ स्थानों एवं विषयों के संदर्भ में किस प्रकार अपनी भाषा का प्रयोग करना है।

  विद्यालय में औपचारिक चर्चाओं द्वारा इसे और अधिक मजबूती प्रदान करने की ज़रूरत है।

- बच्चों को पाठ्यपुस्तकों के वाचन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। वे अपने स्तर की लिखित सामग्री समझ सकें। पाठशाला के समक्ष सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बच्चों में अर्थग्रहण करते हुए पढ़ने की उच्च स्तरीय प्रवीणता कैसे विकसित की जाये। यह केवल ऐसी सामग्री द्वारा संभव है जो बच्चों को अर्थपूर्ण, रोचक व चुनौतीपूर्ण लगे। जब तक बच्चों को विविध विषयों की विविधता के द्वारा जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलता, तब तक वे अपनी पाठ्यपुस्तकों के बाहर प्रगति करने में योग्य नहीं बन सकते। यह तभी संभव है जब बच्चे किसी विषय का तार्किक विश्लेषण तथा उसे अनुक्रम चार्ट (फ्लो चार्ट) आदि में स्थानांतरित कर सकें।

- अधिकांश अध्यापक और अभिभावक सोचते हैं कि बच्चे पहली बार पाठशाला आने पर लिखना शुरू करते हैं। वास्तव में बच्चे उसी समय से अपने तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं जब वे आड़ी-तिरछी रेखाएँ खींचते हैं। यदि उन्हें पाठशालाओं में स्वतंत्र रूप से लिखने का प्रोत्साहन दिया जाय, तो वे अत्यंत शीघ्र गति से सीखेंगे। प्राथमिक चरणों में मूल्यांकन करते समय ध्यान बच्चों की त्रुटियाँ पकड़ने के बजाय उन्हें अपनी इच्छानुसार लिखने के लिए प्रोत्साहित करने पर रहे। लेखन यांत्रिक कौशल नहीं है, यह एक सृजनात्मक क्रियाकलाप है।

- शब्द अलग-अलग करके नहीं सीखे जा सकते, ऐसे सीखना भी नहीं चाहिए। दुर्भाग्यवश शब्दावली पर समकालीन दृष्टिकोण हमेशा से पृथक्-पृथक् शाब्दिक तत्त्वों पर रहा है। जबकि शब्द का अर्थ इस बात पर निर्भर है कि उसका किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है। तो इसे कैसे पढ़ाया जाये? कैसे परखा जाये? जबकि एक ही शब्द विविध संदर्भों में विविध अर्थ देता है। शब्द भंडार को भाषा-शिक्षण के महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में माना जाना चाहिए। यह तभी

हो सकता है, जब बच्चों को संदर्भानुसार शब्दों के अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

- बच्चों में कल्पनात्मक अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न दक्षताएँ निहित होती हैं। उन्हें अपने विचार मौखिक तथा लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चे अपनी खुद की कहानियाँ, गीत, संवाद, पत्र, करपत्र, स्वपरिचय, सूचनाएँ, विज्ञापन, नाटक आदि का सृजन कर सकें। क्योंकि जैसे-जैसे वे बड़ी कक्षाओं में जायें, आपस में मिलकर किसी नाटक आदि का सृजन करने में सक्षम हो सकें। पुस्तकों की समीक्षा, प्रतिवेदन, चर्चा, सामूहिक क्रियाकलापों में भाग लेना, भाषण देना आदि ये सब बच्चों के सृजनात्मक अभिव्यक्ति को इंगित करते हैं।
- बहुभाषिक ढाँचे के तहत किये जानेवाले भाषा शिक्षण की बड़ी उपलब्धियों में से एक यह हो सकती है कि बच्चों की सौंदर्यशास्त्रीय संवेदना समृद्ध की जाये ताकि वे कविता व उसकी संरचना को बेहतर समझ सकें। हम यह भी आशा कर सकते हैं कि वे ज्यादा जिम्मेदार नागरिक बन पाएँगे जो दूसरों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हो।
- भाषा कक्षा-कक्ष बच्चों को विविध संस्कृतियों से परिचित कराने एवं विविध भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी है। बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक सरल कविताओं, कहानियों तथा अन्य विषयों को समझकर सराह सकें और साथ ही साथ वे किसी विषयवस्तु पर चर्चा में शामिल होने हेतु महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाने में सक्षम हों।
- सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विद्यालय में सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह अत्यंत अमूर्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम प्रायः शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ने में असफल रहे हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा को वास्तविक जीवन के निकट ले जाना और उनमें अन्य विषयों के प्रति जागरूकता का निर्माण करना प्राथमिक शिक्षा की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जानी चाहिए। वैसे यह कार्य सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में ही किया जायेगा। फिर भी स्कूली शिक्षा के शुरुआत के वर्षों में, भाषा की कक्षा कविता, कहानी आदि के माध्यम से इंसान की दूसरे इंसानों के प्रति संवेदनशीलता जगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- हाल ही के शोधों से पता चला है कि अधिभाषिक चेतना अर्थात भाषा के अवचेतन ज्ञान के बारे में चेतन सजगता भाषाई दक्षता और अकादमिक उपलब्धियों से बहुत ही सकारात्मक रूप से सहसम्बन्धित है। एक बहुभाषिक कक्षा, भाषा कैसे काम करती है को समझने की आदर्श

जगह है। उदाहरण के लिए बच्चे अचानक ही यह खोज कर सकते हैं कि वे सभी नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए एक जैसे तरीके इस्तेमाल करते हैं।

बजाय इसके कि बच्चे व्याकरण के नियमों को रटें वे ध्वनि, शब्द और वाक्य के स्तर पर भाषा के नियमों पर वैज्ञानिक रूप से परीक्षण कर सकते हैं।

भाषागत निर्धारित दक्षताओं का विकास करना ही भाषा-शिक्षण का प्रथम लक्ष्य है। कक्षा-कक्ष में उचित वातावरण हो, जिससे छात्र अनुभव व आवश्यकतुसार अधिगम क्रियाकलापों में भाग ले सकें। इसके लिए कक्षा में विविध क्रियाकलापों का आयोजन किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में कौशलों के अनुसार क्रियाकलाप दिये गये हैं। इन अभ्यासों को छात्रों को स्वयं करने के लिए प्रेरित करें, जिस से कौशलों का विकास हो सकें। मूल्यांकन के लिए भी कौशलानुसार प्रश्न ही हो, जिस से उनकी कौशल संबंधी योग्यता का अनुपात लगाया जा सकें।

पाठ का उद्देश्य छात्रों को विषय बोध करना ही नहीं है। इन विषयों के माध्यम से छात्रों में विविध भाषिक योग्यताओं का विकास किया जाय। इसके लिए पाठ में दिये गए अभ्यासों को करवाना ज़रूरी है। आठवीं व नवीं कक्षाओं के अभ्यासों को समझने के लिए हमें नीचे दिये गए प्रश्नों पर विचार करना होगा -

पाठ में कौन-कौन से अभ्यास हैं?

इनका स्वभाव कैसा है?

इनके लिए पाठ्यपुस्तक में दिये गये अभ्यास देखें।

पाठ का शीर्षक तुम्हें कैसा लगा? क्यों?

साधु की जगह तुम होते तो बालक को क्या सुझाव देते?

नीचे दी गई घटना पढ़ो। इस घटना के पात्रों के नाम बताओ।

नीचे दी गयी सूचना के आधार पर अनुच्छेद बनाओ।

विल्मा का जीवन प्रेरणादायक है। क्यों?

तेनाली राम के बारे में तुम क्या जानते हो?

पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखो।

सही उत्तर चुनकर कोष्ठक में लिखिए।

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

कल्पना करो कि यदि दादाजी शहर आते तो वहाँ के बारे में क्या कहते?

त्यौहार संबंधी तेलुगु की कोई कविता कक्षा में सुनाओ।

तुलसी और रहीम के दोहे सुनाओ।

हिंदी समाचार चैनल के पाँच मुख्य समाचार लिखो।

उपर्युक्त उदाहरण किन दक्षताओं के लिए सहायक हैं? इन का स्वभाव कैसा है?

अभ्यासों पर ध्यान देने से यह पता चलता है कि वे नीचे दी गयीं दक्षताओं की प्राप्ति में सहायक हैं।

सुनो बोलो, पढ़ो, लिखो, शब्द भंडार, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, प्रशंसा, परियोजना कार्य, भाषा की बात अर्थ ग्राहूयता-प्रतिक्रिया।

इसी प्रकार उपर्युक्त अभ्यासों का विश्लेषण करने से उनका यह प्रभाव समझा जा सकता है।

विचार युक्त है।

एक से अधिक उत्तर वाले प्रश्न हैं।

स्व अनुभवों को एक दूसरे से बाँटा जा सकता है।

सृजनात्मकता व काल्पनिक शक्ति के विकास का अवसर मिलता है।

छात्रों में आसक्ति बढ़ती है।

इनसे स्व अध्ययन का अवसर मलता है।

दैनिक जीवन से संबंधित हैं।

अभ्यास छात्र स्वयं कर सकते हैं।

कौशल का क्या अर्थ है? इसका स्वभाव कैसा है? इसका कक्षा में कैसे निर्वहण किया जाय?

सुनना-बोलना :

भाषाई कौशलों में सुनना, बोलना महत्वपूर्ण कौशल हैं। छात्र पाठशाला में प्रवेश पाने से पूर्व सुनना, सोचना व बोलना जैसी योग्यताएँ रखते हैं। बच्चों में समझने और अभिव्यक्ति करने के लिए सुनना बहुत उपयोगी होता है। सोचकर बोलने का अवसर प्रदान करने से छात्र सुनने के प्रति प्रेरित होते हैं।

पाठ्य पुस्तक में दिये गये कुछ अभ्यास देखिये और उनके स्वभाव पर ध्यान दीजिए।

स्वभाव :

विचारात्मक हैं।

एक से अधिक उत्तर वाले प्रश्न हैं।

स्व अनुभवों को एक दूसरे से बाँटा जा सकता है।

सृजनात्मकता व काल्पनिक शक्ति के विकास का अवसर मिलता है।

चित्रों का निरीक्षण होता है।

पाठों पर अपने विचार व्यक्त किये जा सकते हैं।

गीत रागयुक्त गा सकते हैं।

छात्रों में आसक्ति बढ़ती है।

इनसे स्व अध्ययन का अवसर मिलता है।

छात्र अपनी सरल भाषा में बोल सकते हैं।

कक्षा में निर्वहण :

कक्षा में सामूहिक रूप से कार्य किये जाय।

अध्यापक छात्रों को वृत्ताकार में अपने आस-पास बिठालें।

प्रश्न एक-एक करके पूछे जाय।

हर प्रश्न का उत्तर देने में सभी छात्रों को बोलने का अवसर मिलें।

हर एक छात्र की बात का समर्थन करें।

किसी की बात अस्वीकार न करें।

छात्रों को अपने अनुभव व विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें।

प्रश्न ऐसे हो जिनके एक नहीं बल्कि अनेक उत्तर दिये जा सकें।

गीत या पद्य को रागयुक्त गाने के लिए प्रेरित करें।

सभी छात्र सक्रिय रूप से भाग लेने के अनुकूल वातावरण बनाये रखें।

पढ़ना-लिखना :

भाषा अधिगम का उद्देश्य छात्रों को भाषा प्रभावपूर्ण व स्वतंत्र रूप से पढ़नेवाले बनाना है। इसलिए बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कहानी, गीत, कविता, संभाषण व निबंध आदि सहायक पुस्तकें उपलब्ध करवायें।

पढ़कर समझने और लिखने से संबंधित अभ्यास पाठ्य पुस्तक में देखकर उनके स्वभाव पर ध्यान दें।

स्वभाव :

छात्रों द्वारा पाठ्यांश बार-बार पढ़ाया जा सकता है।

पढ़ा गया पाठ कहाँ तक समझ पाये, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

छात्रों के बीच संभाषण का पुनःस्मरण किया जा सकता है।

पाठ के आधार पर सही, गलत का निर्धारण किया जा सकता है।

कक्षा का निर्वहण :

पढ़ने के लिए दिए गए कार्य उनके स्वभाव के अनुसार सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से करवाये जा सकते हैं।

प्रत्येक अभ्यास छात्रों से पढ़वायें और किया जाने वाला कार्य बच्चों से कहलवायें।

जिन कार्यों को करवाने में अध्यापक की आवश्यकता समझी जाती है, उन कार्यों को छात्रों में चर्चा कर के सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से लिखवायें।

लिखना :

गीत, पद्य, सारांश अपने आप लिख सकते हैं।

क्यों? कैसे? जैसे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं।

कारण सोच कर लिख सकते हैं।

विश्लेषणयुक्त उत्तर लिखने के लिए अनुकूल हैं।

सोच कर लिखने योग्य हैं।

कक्षा में निर्वहण :

प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा करें।

श्यामपट पर प्रश्न लिख कर छात्रों से पढ़वायें।

छात्रों से संबंधित प्रश्नों की सहायता से उत्तर प्राप्त करें।

प्रश्नों के उत्तर छात्रों को समूहों में चर्चा करके लिखने के लिए प्रेरित करें।

सामूहिक कार्यों का प्रदर्शन करें।

शब्द भंडार :

कक्षा में शब्द भंडार संदर्भानुसार सिखायें। शब्दों के प्रयोग के लिए प्रेरित करें।

पाठ्य पुस्तक में दिये गये कुछ अभ्यास देखिए और उनके स्वभाव पर ध्यान दीजिए।

स्वभाव :

जीवन शब्दों के अर्थ जान सकते हैं।

संदर्भानुसार प्रयोग होने वाले शब्द सीख कर प्रयोग कर सकते हैं।

सीखे गये शब्दों से स्वयं वाक्य निर्माण कर सकते हैं।

कक्षा में निर्वहण :

अभ्यासों को समूहों में चर्चा करके लिखने के लिए कहा जाय।

लिखे गये अंशों को समूहों में प्रदर्शित करें और श्यामपट पर लिखें।

सृजनात्मकता :

भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है। वह सृजनात्मकता के लिए सहयोगी है। सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति मौखिक, लिखित, चित्र कार्टून और प्रदर्शन के रूप में हो सकती है।

पाठ्य पुस्तक में दिये गये कुछ अभ्यास देखिये और उनके स्वभाव पर ध्यान दीजिए।

स्वभाव :

सृजनात्मक विचार किया जाता है।

अपने विचार और अनुभव जोड़ कर बता सकते हैं।

नाटकीकरण के अनुकूल हैं।

सोच कर बोला जा सकता है।

कक्षा में निर्वहण :

अध्यापक छात्रों को सूचनाएँ दें।

छात्रों के समूहों में बिठा कर लिखने के लिए प्रेरणा दें।

सामूहिक कार्यों का प्रदर्शन करवायें।

चर्चा करें।

व्यक्तिगत रूप से लिखवायें।

लिखे गये विषयों को पोर्टफ़ोलियों में सुरक्षित रखें।

प्रशंसा :

छात्रों में सानुकूल दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए यह कौशल बहुत उपयोगी है। बच्चों में पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों और विशेष आवश्यकतावालों की सहायता करने का स्वभाव सहज होता है।

पाठ्य पुस्तक में दिये गये कुछ अभ्यास देखिये और उनके स्वभाव पर ध्यान दीजिए।

स्वभाव :

दया, सहानुभूति जैसे गुण छात्रों में बढ़ते हैं।

सबकी प्रशंसा कर पाते हैं।

समानता की भावना बढ़ती है।

कक्षा में निर्वहण :

प्रश्न श्यामपट पर लिखें।

छात्रों में चर्चा करवायें।

भाषा के प्रति जानकारी :

छात्र अर्जित भाषा का संदर्भोचित प्रयोग कर सकें। पाठशाला में भाषा सीखने के उद्देश्य हैं कि छात्र नये विचारों को एकत्र करें, भाषा भेद, काल, विराम चिह्न का उपयोग कर सकें।

पाठ्य पुस्तक में दिये गये कुछ अभ्यास देखिये और उनके स्वभाव पर ध्यान दीजिए।

स्वभाव :

भाषा प्रयोग के गुण छात्रों में बढ़ते हैं।

सब के विषय में चर्चा कर पाते हैं।

समानता की भावना बढ़ती है।

कक्षा में निर्वहण :

प्रश्न श्यामपट पर लिखें और छात्रों में चर्चा करवायें।

शिक्षण व्यूह

1) KWL **व्यूह :**

(मुझे क्या पता है? मुझे क्या पता लगाना चाहिए मैने क्या सीखा?)

किसी एक विषय पर चर्चा करने से पहले छात्रों से पूछना चाहिए कि उन्हें क्या पता है? यह पहला सोपान है। इसके पश्चात वह क्या जानना चाहते है? उन के विचार सुनने चाहिए यह दूसरा सोपान है। पाठ-पठन, संदर्भ ग्रंथों को पढ़ाना, क्रिया कलापों में भाग लेना, सामूहिक कार्यों में भाग लेना तीसरा सोपान है। इस प्रकार - विषय बोध के द्वारा चर्चा के उपरांत छात्रों में क्या सीखा इसे पूछना चाहिए।

इस व्यूह में किसी एक अंश को छात्रों से परिचय करातें समय उन्हें इस अंश का पूर्व ज्ञान, रूचि विषय बोध की जानकारी कहाँ तक है इस विषय का ज्ञात किया जाता है। इसमें बच्चों की कल्पनाशक्ति और पूर्व ज्ञान के आधार पर तथ्यों को जानने का अवसर प्राप्त होता है।

2) **मनोरेखा चित्र (Mind Mapping)**

छात्र अपने आस-पास के परिस्थितियों से प्रभावित होते है। वह अपने तरीके से उसे अपनी शैली की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। Mind Mapping का अर्थ किसी एक विषय के बारे में अपने अनुभवों के द्‌वारा, कक्षा-कक्ष से बाहर प्राप्त ज्ञान को कक्षा में प्रदर्शित करने से उस विषय की जानकारी बांटता है।

इसके लिए उस अंश संबंधित मूल शब्द को श्यामपट पर लिख कर उस शब्द के प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है।

छात्र स्वयं सोचकर अपने व्यक्त करते हैं। अपनी भावाभिव्यक्ति लिखित रूप में व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता छात्र को मिलती है जिससे छात्र में स्वाभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास होता है।

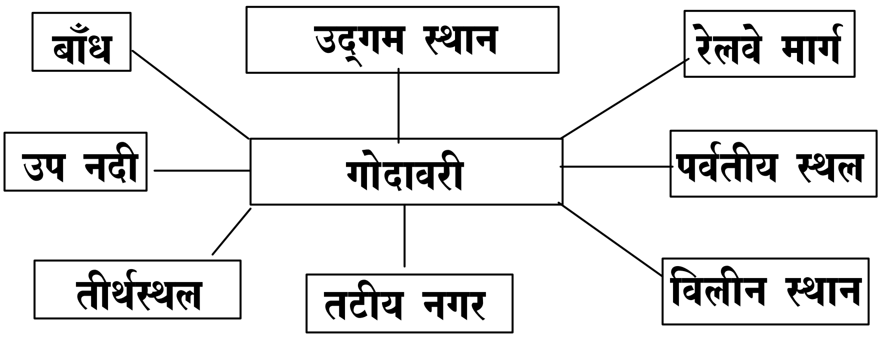

उपरोक्त मनोरेखा चित्र द्‌वारा छात्रों में निबंध, निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता बढ़ेगी।

3) **नृत्याभिनय** Choreogrphy

छात्र अपने द्‌वारा सुनी हुई, पढ़ी हुई घटना/अंश को अभिनय/नृत्य के रूप प्रदर्शित करना ही नृत्याभिनय (Choreography) है। इसमें बच्चों को नृत्यरूपी पाठ्यांशों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। इसके लिए पाठ्यांशों को पढ़कर अभिनय करने वाले पात्रों (छात्रों) को चुनना चाहिए। प्राकृतिक दृश्य जैसे - वृक्ष, पौधों आदि दर्शाने के लिए भी छात्रों का चुनाव करना चाहिए। छात्रों से इसका अभ्यास करवाकर प्रदर्शन के लिए तैयार करना चाहिए। अभिनय के समय गीत को गाने वाले छात्रों का चुनाव कर उसे भी अभ्यास करवाना चाहिए।

जैसे :- हम भारत वासी कविता

जिस देश में गंगा बहती है।

इसके द्‌वारा छात्रों में कविता, गीत, नृत्य आदि की रचनाशैली में विकास होता है।

4) **एकल अभिनय :-** Mono Action

पाठ्यांश या किसी एक अंश में आनेवाले पात्र द्‌वारा किए गए अनिनय को एकल अभिनय, कहते हैं।

जैसे :- स्वराज्य की नींव (एकांकी) X लक्ष्मीबाई, जूही पात्र

यक्ष-प्रश्न में युधिष्ठिर - IX

इससे पात्र के स्वभाव के बारे में अवगत किया जासकता है।

5) **मूकाभिनय** (Mime) :

मौन रूप से अभिनय के द्‌वारा किसी घटना को जैसे के तैसे प्रेक्षकों को समझने लायक प्रस्तुत करना ही मूकाभिनय है। इसमें संभाषण (Dailogue) नहीं होता।

जैसे - गुटुर-गूँ, गुटुर-गूँ (SAB TV पर आने वाला कार्यक्रम)

6) **सामूहिक कार्य (Group work)**

सामूहिक कार्यों से बच्चों में मिलजुलकर काम करना, विचार-विनियम करना, प्रतिवेतन लिखना आदि को प्रोत्साहन मिलता है इससे, बच्चे आपस में चर्चा करके प्रदर्शन के समय अपने-आप को सक्षम बनाते है। सामूहिक कार्य में परियोजना कार्य प्रस्तुत कार्य संगोष्ठी पाठ पठन, शब्द-भंडार आदि समयानुकूल कर सकते है। समाचारों का अर्जन कर प्रतिवेदन बनाना आदि इसी के अंघ है।

7) **परियोजना कार्य** Project Work:

परियोजना कार्य विविध आकडों के संग्रहण का साधन है। इसे गृहकार्य के रूप में दे सकते हैं। गृहकार्य देते समय इसे व्यक्तिगत व सामूहिक कार्य के रूप में दे सकते है। समूह में दिए गए कार्य में प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से निर्देश देना चाहिए। किए गए परियोजना कार्य का प्रस्तुतीकरण व प्रदर्शन कक्षा में करवाना चाहिए। परियोजना के प्रदर्शन में त्रुटियों होते आवश्यक सुझाव दें।

8) **चर्चा** (Discussions)

किसी अंश के संबंध में छात्रों के विचार जानना, जानकर चर्चा में भाग लेना।

जैसे :- 1. जल को कैसे संरक्षित करें।

2. पर्यावरण को कैसे संतुलित करें।

9) **स्व-अवगाहन - प्रदर्शन** (Self understanding-Expression)

किसी एक अंश को छात्र स्वयं पढ़कर उसे समझकर उसे एकल अभिनय, नाटक के रूप में या कठपुतली किसी भी विधा में छात्र स्वयं निर्णय करके उसे प्रदर्शित करेंगे।

जैसे : लक्ष्मीबाई, गानेवाले चिड़िया

10) Zigsaw **विधि**

इस विधि में पाठ को विभाजित कर अनुच्छेदों में बाँटा जाता है। छात्रों को भी दलों में विभाजित कर एक-एक दल को एक एक अनुच्छेद में बाँटे प्रत्येक दल अपने दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर, समझकर अपने विचार प्रकट करता है। इसमें आए गए संदेहों का निवारण करना भी दलों का कर्त्तव्य है।

11) Cloze Test **विधि**

इस व्यूह से पढ़ना-अर्थग्राह्यता कौशलों का विकास होता है। इसमें एक अंश के हर पाँचवें शब्द को रिक्त स्थान के रूप में दिया जाता है। उस अंश को पढ व समझकर रिक्त स्थान वाले शब्द की पूर्ति करना है।

12) **साहित्यिक कार्यक्रम :-** (Literature Activities)

छात्रों को चार-चार बच्चों को चार दलों में विभाजित कर प्रत्येक दल को भाषाई क्षमताओँ का विकास करने के लिए अभ्यास देना है। ऐसे पढ़े हुए अंश में से एक दल को शब्द-भंडार मुहावरे आदि दूसरे दल को पढ़े हुए अंश से भाषा की महानता के बारे में तीसरे दल को पढ़े हु अंश का चित्र बनाना तथा चौथे दल को पढ़े हुए अँश में प्रश्न बनाना या व्याख्या लिखने के लिए निर्देश देंगे।

इससे सभी दल के छात्र भाषाई क्षमताओं के विकास का अभ्यास करेंगे सभी अंशों को प्रदर्शित कराना चाहिए।

13) **पुस्तक की समीक्षा** (Book Review)

छात्रों में पठन क्षमता विकास करने के लिए पुस्तकालय का आयोजन किया जाता है। छात्रों को पुस्तकालय की विविध प्रकार की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन पुस्तकों पर समीक्षा करवानी चाहिए।

1) कौनसी पुस्तक पढ़ी?
2) पढे हुई पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त करना
3) अपने अनुभव बताना
4) पात्रों व घटना विवरण देना
5) कवि का उद्देश्य का चर्चा करवाी चाहिए।
6) कवि ने किस उद्देश्य से उस अंश को लिखा होगा इस विषय पर चर्चा

❖ ❖ ❖

६

शिक्षण सोपान

(Teaching Steps)

योजनाबद्ध शिक्षण प्रक्रिया में क्रमानुगत आयोजन में शिक्षण सोपानों का बड़ा महत्व है। छात्राध्यापक को चाहिए कि वे प्रत्येक कालांश के लिए सोपानों का अनुसरण करते हुए शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करें। इस तरह आयोजन करने से अपेक्षित परिणाम सही व शीघ्र रूप से प्राप्त कर छात्रों में शाश्वत अधिगम कर सकते हैं। इसके लिए एक पाठ्यांश शिक्षण के लिए आवश्यक कालांश, तत्संबंधी कालांशों के लिए सोपान क्रमों में 'शिक्षण प्रक्रिया' संपन्न करने के लिए उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री, कृत्य आदि की आवश्यकता पड़ती है।

प्रस्तावना

प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में छात्रों को मानसिक तौर पर तैयार करने के लिए उपयुक्त पाठ्यांश से संबंधी चित्र या संदर्भ या घटना या कविता या चर्चा या सूक्तियाँ आदि दिये गये हैं। इससे संबंधित छात्र सोचने हेतु प्रश्न भी दिये गये हैं। सुनो-बोलो अथवा अर्थग्राह्यता-प्रतिक्रिया शीर्षक से दिये गये हैं। प्रश्न पूछते हुए उनके बारे में जानकारी लेते हुए बच्चों को पाठ के प्रति तैयार करने में उक्त प्रश्न उपयोगी हैं। इसी क्रम में पढ़ाये जाने वाले पाठ के बारे में बच्चों में पूर्व ज्ञान की जानकारी है या नहीं? का पता लगाने तथा पाठ्यांश का परिचय कराने, बच्चे बेझिझक, सोचकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उनमें क्षमता है या नहीं का पता चलता है।

उदाहरण : चित्र के बारे में बातचीत करवाना। चित्र में क्या-क्या हैं? कौन क्या कर रहे हैं? पात्रों के बीच क्या संवाद हो रहा है? उनके स्थान पर यदि तुम होते तो क्या करते? जैसे प्रश्नों के द्वारा पाठ आरंभ करना चाहिए। प्रत्येक पाठ के उद्देश्य, विधा विशेष, पाठ विवरण आदि छात्रों द्वारा

पढ़वाकर चर्चा के दूवारा अर्थग्राहूय बनाना चाहिए। इसी तरह 'कवि परिचय' पढ़वाकर कवि के बारे में छात्रों को पता लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस तरह प्रस्तावना के दूवारा पाठ के प्रति उन्मुखीकृत कर आगे के सोपानों की ओर जाना चाहिए।

पठन-पाठन-अर्थग्राहूयता

प्रस्तावना के दूवारा पाठ की ओर छात्रों को उत्प्रेरित करने के बाद पाठ पढ़वाना इस सोपान का मुख्य उद्देश्य है। छात्र पाठ पढ़ने के क्रम में उन्हें समझ में न आने वाले शब्दों की पहचान करते हैं। इस सोपान में

- संबोधन
- पुनरावृत्ति
- अध्यापक दूवारा आदर्शवाचन करना
- छात्रों दूवारा मौनवाचन - समझ में न आने वाले शब्द रेखांकित करना
- शब्दार्थ समझने के लिए शब्दकोश देखना (व्यक्तिगत तौर पर)

शब्दों के बारे में साथी मित्रों के साथ समूह में चर्चा करना, अपने वाक्यों में प्रयोग करना। अध्यापक संदर्भोचित वाक्यों दूवारा शब्दों के प्रति अर्थग्राहूता का विकास करना पठन कृत्यों के आयोजन से पाठ्य विषय के प्रति प्राथमिक रूप से अर्थग्राहूयता होती है।

पाठ शिक्षण - चर्चा - अर्थग्राहूयता

विगत में पाठ पढ़ाने का अर्थ था विषय से संबंधित शब्दों का अर्थ समझाना, उसमें दिये गये व्याकरणांश बताना, अनुच्छेदवार समझाना आदि था। किंतु पाठ शिक्षण का अर्थ है छात्रों को पाठ्यांश विषय के मुख्य बिंदुओं के प्रति समझाना है। इसके लिए विचारोत्तेजक प्रश्न पूछने चाहिए. छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर उन्हें प्रश्न पूछने तथा स्वतंत्रता से चर्चा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस तरह छात्रों से चर्चा करते हुए विषय शिक्षण होना चाहिए। शिक्षण कार्य संपन्न करते समय छात्र बहुकोणीय विश्लेषण, सोच के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए आगे आना चाहिए। इसमें मुख्य सोपान इस तरह हैं-

- संबोधन
- पुनरावृत्ति
- छात्रों दूवारा सस्वरवाचन
- अध्यापक दूवारा आदर्शवाचन

- छात्रों द्वारा मौनवाचन
- मुख्य विषय के प्रति विचारोत्तेजक प्रश्न पूछना
- सभी छात्रों की भागीदारी के साथ चर्चा करना
- छात्रों की अर्थग्राह्यता की जाँच

(उस दिन चर्चित पाठ्य अंश में से प्रश्न पूछकर छात्रों की अर्थग्राह्यता की जाँच।)

इस तरह पाठ्य शिक्षण के लिए निर्धारित तीन या चार कालांशों में छात्र विषय के प्रति पूरी तरह से अवगत होते हैं। जैसे महत्वपूर्ण संदर्भ, कवि का उद्देश्य, पात्रों के स्वभाव, संदर्भ से जुड़े अंशों के बारे में चर्चा कर उसके प्रति अच्छी तरह से अवगत होते हैं।

दक्षताओं की प्राप्ति - अभ्यासों का आयोजन

पाठ्य विषय पर पूर्णतम अवधारणा प्राप्त करने के बाद छात्रों को अपेक्षित दक्षताओं की प्राप्ति करनी होती है। हमने इससे पहले ही कह दिया है कि पाठ शिक्षण का अर्थ है - 'प्रस्तावना से लेकर क्या मैं ये कर सकता हूँ' तक पाठ के सभी अंशों तक के क्रियाकलाप करवाना। भाषाई दक्षताएँ जैसे सुनो-बोलो, पढ़ो, लिखो, शब्द-भंडार, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, प्रशंसा, व्याकरणांश का कक्षा में आयोजन करना चाहिए। इन दक्षताओं के अभ्यास पाठ्यपुस्तक में दिये गये हैं। प्रत्येक अभ्यास के पूर्व में छात्र इन अभ्यासों को कक्षा में किस तरह के लिए उपयुक्त निर्देश दें। यानी-

पहले तो छात्रों से अभ्यास पढ़वाइए।

क्या करना है के बारे में उनसे चर्चा कर उपयुक्त निर्देश दें।

दक्षताओं के स्वभाव अनुरूप उचित आयोजन रणनीति अपनायें।

छात्रों को व्यक्तिगत या समूह के तौर पर अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें।

छात्रों द्वारा किये गये अभ्यासों का कक्षा में प्रदर्शन करें।

तत्पश्चात छात्रों से चर्चा करते हुए अभ्यासों का संशोधन करवायें।

संशोधित उत्तर नोटबुक में लिखवायें।

उक्त ढंग की तरह ही परियोजना कार्य के लिए छात्रों को निर्देश दें और करवायें। प्रतिवेदन लिखवायें।

इन अभ्यासों के आयोजन में अध्यापक केवल एक सलाहकार की भूमिका निभायें। इससे छात्रों को सीखने के अधिक अवसर मिलते हैं। प्रत्येक छात्र अभ्यासों के आयोजन में पूरी तरह भाग लें। किसी भी स्थिति में अभ्यासों के उत्तर गाइड, क्वश्चन बैंक, श्यामपट से देख कर लिखने नहीं चाहिए।

छात्रों का भाषा सीखने का अर्थ है- दक्षताओं की प्राप्ति। इनमें सोचना, अपने विचार व्यक्त करना, समूह में मिलकर कार्य करना, अपनी शैली में प्रतिक्रिया करना आदि देखने को मिलता है। इन्हें ध्यान में रखकर अभ्यासों का आयोजन करना चाहिए।

छात्रों की अर्थग्राह्यता - निरीक्षण

पाठ पढ़ाते समय उस पाठ से किन-किन दक्षताओं की प्राप्ति करना है से संबंधित योजना बनाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को भागीदार बनाते हुए चर्चा करते हुए, प्रश्न करते हैं। किंतु विशेषकर उस कालांश से संबंधित दक्षताओं की प्राप्ति के लिए अर्थग्राह्यता द्वारा निरीक्षण करते हैं। इसीलिए छात्रों की अर्थग्राह्यता की जाँच के लिए विचारोत्तेजक प्रश्न पूछने चाहिए।

स्वमूल्यांकन

पाठ द्वारा छात्रों ने कहाँ तक दक्षताओं की प्राप्ति की है कि जाँच के लिए 'क्या मैं ये कर सकता हूँ?' के प्रश्न दिये गये हैं। इन प्रश्नों के द्वारा छात्रों को अपनी प्रगति का पता अपने आप चलता है। इससे अध्यापक छात्रों की अच्छाइयों-खामियों का पता लगाकर उनके अनुकूल अपनी तैयारियों में सुधार लाने का अवसर मिलता है।

- क्या मैं ये कर सकता हूँ? के अंश छात्रों को पढ़ना चाहिए।
- यदि वे कर सकते हैं तो सही का चिह्न और नहीं कर सकते हैं तो गलत का चिह्न लगाना चाहिए।
- कितने छात्र कर सकते हैं, हाथ खड़े करने के लिए कहना चाहिए।
- जो छात्र नहीं कर सकते, उनके लिए पाठ की पुनरावृत्ति करवायें।

उक्त ढंग से करने पर अध्यापक को छात्रों के अनुकूल तैयारी करने का अवसर मिलता है।

निर्देशित शिक्षण सोपान

पाठ शिक्षण का अर्थ है- उन्मुखीकरण से लेकर 'क्या मैं ये कर सकता हूँ?' तक के सभी अंशोंक का शिक्षण। इसमें उन्मुखीकरण, पठन क्रियाकलाप, पाठ्य विषय, अभ्यास, स्वमूल्यांकन जैसे अंश होते हैं। इनके शिक्षण के लिए लागू किये जाने वाले सोपान, रणनीति आदि पाठ्य विषय के स्वभाव के अनुरूप बदलते रहते हैं। नीचे दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए पाठ्य विषय के लिए उपयुक्त सोपानों का पालन करें।

क्रम संख्या	सोपान	किन-किन कालांशों के लिए सोपानों की आवश्यकता है?
1	संबोधन	प्रत्येक कालांश में होता है।
2	उन्मुखीकरण चित्र पर बातचीत	मात्र पहले कालांश में होता है।
3	पुनरावृत्ति	2 से 12वें कालांश तक होता है।
4	शीर्षक घोषणा	1ले कालांश में मात्र होता है।
5	कवि परिचय	1ले कालांश में मात्र होता है।
6	संदर्भ / उद्देश्य	1ले कालांश में मात्र होता है।
7	पाठ के चित्र के बारे में बातचीत	2रे कालांश में मात्र होता है।
8	गीत / पद्य / गाना अध्यापक द्वारा गाना	2 से 5वें कालांश तक होता है।
9	गीत / पद्य / गाना छात्रों द्वारा गाना	2 से 5वें कालांश तक होता है।
10	छात्रों द्वारा सस्वर वाचन	2 से 5वें कालांश तक होता है।
11	अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन	2 से 5वें कालांश तक होता है।
12	छात्रों द्वारा मौनवाचन-अर्थ संग्रहण	2 से 5वें (पाठ की समाप्ति तक) कालांश तक होता है।
13	पाठ्य विषय पर चर्चा	3 से 5 कालांश
14	दक्षतावार अभ्यासों का आयोजन	2 से 12वें कालांश तक होता है।
15	संशोधन (भाव / वाक्य / शब्द / अक्षर दोष)	स्वलेखन, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, प्रशंसा के आयोजन वाले कालांश। उसी तरह छात्रों द्वारा किये गये कार्यों का प्रदर्शन करने वाले कालांश। जैसे- परियोजना कार्य
16	स्वमूल्यांकन	12वें कालांश में ही होता है।
17	लिखित अंशों का प्रदर्शन, संकलन करना	6 से 11वें कालांश तक होता है।
18	छात्रों की अर्थग्राह्यता-निरीक्षण	प्रत्येक कालांश में होता है।

उक्त कालांशों के अतिरिक्त अध्यापक अपनी सुविधा के अनुसार कालांशों का चयन कर सकते हैं।

7 अध्यापक की तैयारी - योजनाएँ

(Teacher Preparation and Plans)

किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक योजना (Plan) का होना आवश्यक है। अध्यापक भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, बालकों में शैक्षिक मापदंडों के विकास के लिए व अपनाये जाने वाले व्यूहों के लिए तीन तरह की योजनाएँ बनाना आवश्यक है। वे हैं-

1. वार्षिक योजना (Year Plan)
2. पाठ योजना (Lesson Plan)
3. कालांश योजना (Period Plan)

वार्षिक योजना

वर्तमान वार्षिक योजना में एक कक्षा से संबंधित, तत्संबंधी विषय में शैक्षिक वर्ष की समाप्ति पर बालक किन-किन शैक्षिक मापदंडों की प्राप्ति करें, एक-एक पाठ के लिए कितने कालांश चाहिए?

शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने के लिए किन-किन शिक्षण अधिगम सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है? प्रत्येक माह शैक्षिक मापदंडों की प्राप्ति के लिए किन-किन कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए? सीसीई से संबंधित किन-किन जानकारियों का अंकन करना चाहिए? जैसे अंशों को वार्षिक योजना में स्थान देना चाहिए। निम्नलिखित सोपानों के द्वारा वार्षिक योजना लिखनी चाहिए।

I. कक्षा, II. विषय, III. आवश्यक कालांशों की संख्या, IV. शैक्षिक वर्ष की समाप्ति पर बालकों द्वारा अर्जित की जाने वाली शैक्षिक दक्षताएँ, V. माहवार पाठों का विभाजन, VI. अध्यापक की प्रतिक्रियाएँ, VII. प्रधानाध्यपक के सुझाव, निर्देश।

अ) वार्षिक योजना - नमूना

1. **कक्षा** :

2. **विषय** :

3. **आवश्यक कालांशों की संख्या :**

   अ) कुल कालांश :

   आ) शिक्षण अधिगम के लिए आवश्यक कालांशों की संख्या :

4. **वर्ष की समाप्ति पर अर्जित किये जाने वाले शैक्षिक मापदंड :**
   - सुनना-बोलना : ....
   - पढ़ो : ....
   - लिखो : ....
   - शब्द-भंडार : ....
   - सृजनात्मक अभिव्यक्ति : ....
   - प्रशंसा : ....
   - भाषा की बात : ....

महीना	शिक्षण हेतु पाठ का नाम	आवश्यक कालांशों की संख्या	संसाधन	आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम, सी.सी.ई.
जून	1 2			

5. मासवार पाठों का विभाजन :
6. अध्यापक की प्रतिक्रिया :
7. प्रधानाध्यापक के सुझाव व निर्देश :

आ) वार्षिक योजना के सोपानों का विवरण

I. कक्षा : जिस किसी कक्षा की वार्षिक योजना लिख रहे हैं, उस कक्षा की संख्या यहाँ लिखें।(उदाः 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं)

II. विषय : विषय लिखें।(उदाः हिंदी, तेलुगु, अंग्रेज़ी आदि।)

III. आवश्यक कालांशों की संख्या :

पाठ्यपुस्तक के सभी पाठों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कालांशों की संख्या यहाँ लिखें। इनमें-

अ) कुल कालांश : 110 (यानी इसमें वर्ष की कुल कालांशों की संख्या लिखेंगे।)

आ) शिक्षण के लिए आवश्यक कालांशों की संख्या : 90 (यानी कुल शिक्षण कालांश 110 हैं, तो पाठ्यपुस्तक शिक्षण के लिए 90 कालांश निर्धारित हैं।)

IV. वर्ष की समाप्ति तक अर्जित की जाने वाली शैक्षिक मापदंड :

शैक्षिक वर्ष की समाप्ति तक छात्र अपनी कक्षा के स्तरानुसार किन-किन शैक्षिक मापदंडों को अर्जित करना चाहिए के बारे में लिखना चाहिए। इन्हें लिखते समय पाठ्यपुस्तक को ध्यान में रखना चाहिए।

1. सुनना-बोलना : (बालक किसके बारे में किस तरह बातचीत करें, के बारे में लिखे।)
2. पढ़ना : (बालक किसके बारे में पढक़र व समझकर प्रतिक्रिया करें, के बारे में लिखें।)
3. स्वलेखन : (बालक किसके बारे में अपने शब्दों में लिखना है, के बारे में लिखें।)
4. शब्द-भंडार : (शब्द-भंडार का उपयोग करते हुए क्या करना है, के बारे में लिखना है।)
5. सृजनात्मक अभिव्यक्ति : (सृजनात्मक रूप में किन-किन विधाओं में प्रस्तुतीकरण है, के बारे में लिखना है।)
6. प्रशंसा : (किसकी प्रशंसा कर सकें, के बारे में लिखना है।)
7. भाषा की बात : (व्याकरणांश में किन अंशों की प्राप्ति करना है, के बारे में लिखना है।)
8 परियोजना कार्य : (पाठ के आधार पर बालक किस तरह के परियोजना कार्य करना है, के बारे में लिखना है।)

इस तरह शैक्षिक वर्ष की समाप्ति पर बालक किन-किन दक्षताओं में क्या प्राप्त करना है, के बारे में उन-उन दक्षताओं के नीचे लिखना है।

V. माहवार पाठों का विभाजन - योजना :

पूरे साल भर में किस महिने में क्या पढाऩा है? उस पाठ की समाप्ति के लिए आवश्यक कालांशों की संख्या कितनी होगी? (यहाँ पाठ का शिक्षण यानि प्रस्तावना चित्र से लेकर क्या मैं ये कर सकता हूँ?

तक के क्रियाकलाप करवाना है। अध्यापक को इन सबका ध्यान रखकर पाठ कालांशों का विभाजन करना चाहिए।)। उसी तरह पाठ शिक्षण के लिए अतिरिक्त सामग्री क्या चाहिए, आदि के बारे में लिखना चाहिए। शैक्षिक मापदंडवार विकास के लिए प्रति महिने किन कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले हैं, आदि के बारे में विवरण देने चाहिए। (उदा : निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, कविता वाचन, नाटक मंचन आदि।)

तालिका को निम्नलिखित ढंग से लिखना चाहिए।

माह	पाठ का नाम	आवश्यक कालांशों की संख्या	सामग्री	आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम, सी.सी.ई.
जून	जिस देश में गंगा बहती है	7	चित्र, वीडियो आदि।	गायन प्रतियोगिता

इस तरह सभी पाठों के लिए लिखना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कालांशों का विभाजन पाठ के स्वभाव को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इस तरह एक पाठ के लिए औसत छह कालांश प्राप्त होते हैं।

शिक्षण के लिए संसाधन एवं शिक्षण अधिगम सामग्री (Resources for teaching & TLM) :

प्रत्येक अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षण करने वाले पाठ के लिए संसाधन इकट्ठा कर लें। यहाँ संसाधन का अर्थ है- उपयुक्त ग्रंथ (reference books), अध्यापक सहायक पुस्तिका, शिक्षण में उपयोगी सामग्री, शब्दकोश, सी.डी., वीडियो, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र के मुख्यांश, शिक्षण टिप्पणियाँ आदि। अध्यापक इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का उपयोग भी कर सकते हैं।

आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम (Activities / Programmes to be performed) :

अपेक्षित दक्षताओं की प्राप्ति के लिए संबंधित विषय में कुछ कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इनका आयोजन स्थानीय परिवेश का उपयोग करते हुए करना चाहिए। इसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रम कक्षा में तो कुछ कार्यक्रम बाहर आयोजित करने चाहिए। इनमें क्षेत्र पर्यटन (field visit), सांस्कृतिक कार्यक्रम (cultural activities), विज्ञान यात्राएँ (educational tours), सामाजिक संस्थाओं का पर्यटन (visiting of social institutions), समाज सेवा (social service), कूटप्रश्न प्रतियोगिता (quiz),सेमिनार (seminars), विविध तरह की कविताएँ, कहानियाँ, करपत्र, पोस्टर आदि बनाने के लिए कार्यशालाएँ (workshops for material development), समाचार पत्र के लिए लेख लिखना (writing articles / case studies to newspapers), कवि सम्मेलन, विषय विशेषज्ञों द्वारा भाषण (lecturers from experts), पद्य वाचन, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, चित्रलेलखन, कविता लेखन, कहानी लेखन आदि सृजनात्मक क्रियाकलापों (creative activities) का आयोजन करना चाहिए। इन्हें वार्षिक में दर्शाना तथा अमल में लाना चाहिए। इन कार्यक्रमों से छात्रों में विविध दक्षताओं,

GRK

रुचियों का विकास होता है तथा पाठशाला मनोरंजन का केंद्र बनता है। इसके लिए प्रत्येक अध्यापक, प्रधानाध्यापक व्यावसायिक ढंग से सोचते हुए अपने व्यवसाय के प्रति न्याय करना चाहिए। उसी तरह सीसीई से संबंधित किस महीने में रचनात्मक मूल्यांकन आयोजित दर्ज करना है तथा सारांशात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है, आदि वार्षिक योजना में दर्शाना चाहिए।

VI. अध्यापक की प्रतिक्रियाएँ :

वर्ष समाप्त होने तक अध्यापक शैक्षिक मापदंडों की प्राप्ति के लिए किन-किन क्रियाकलापों का आयोजन किये हैं? छात्रों की भागीदारी कैसी है? किन शैक्षिक मापदंडों में छात्रों ने प्रगति की है? किनमें पिछड़े हैं? सृजनात्मक, प्रशंसापूर्वक कार्य, परियोजना कार्य किस तरह किये? शैक्षिक मापदंडों की प्राप्ति के लिए वह और क्या कर सकता है? आदि के बारे में अध्यापक अपनी प्रतिक्रियाएँ लिखनी चाहिए। इसके लिए कुछ पृष्ठ रखने चाहिए। वार्षिक योजना के सोपान एक से पाँच तक कोई बड़े परिवर्तन देखने को नहीं मिलेंगे। किंतु अध्यापक की प्रतिक्रियाएँ पाठवार बदलती रहती हैं। इसीलिए माहवार प्रतिक्रियाएँ लिखनी चाहिए। प्रधानाध्यापक के सुझाव व निर्देश भी माहवार होते हैं, जिन्हें वार्षिक योजना के सोपान संख्या सात में दर्ज करने होते हैं। इस तरह अध्यापक की प्रतिक्रियाएँ, प्रधानाध्यापक के सुझाव व निर्देश लिखने के उपरांत अगले वर्ष के लिए एक नया पृष्ठ रखना चाहिए। अतः वार्षिक योजना के इन सोपानों के लिए अलग से पृष्ठ रखने चाहिए।

VII. प्रधानाध्यापक के सुझाव व निर्देश :

प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह मासवार अपने सुझाव व निर्देश दर्ज करें। इस तरह वर्ष समाप्त होने पर अगले वर्ष के लिए एक और पृष्ठ आबंटित करना चाहिए।

इ) वार्षिक योजना का लेखन

I. कक्षा : 9वीं

II. विषय : हिंदी

III. आवश्यक कालांशों की संख्या: 90 (कुल शिक्षण कालांश 110)

IV. शैक्षिक वर्ष की समाप्ति तक अर्जित किये जाने वाले शैक्षिक मापदंड :

I. अर्थग्राह्यता-प्रतिक्रिया

- पद्य, गीत, कविता, वार्तालाप आदि सुनकर समझ सकें। अपने शब्दों में कह सकें।
- संबंधित अंशों के कारण बता सकें।
- पद्य, गीत धाराप्रवाह के साथ गा सकें। सारांश अथवा भाव अपने शब्दों में लिख सकें।
- अपठित अंश पढ़कर अर्थग्राह्यता के साथ उत्तर दे सकें।
- पाठ्यांश के आधार पर दिये गये प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से दे सकें।
- सूचित अंश का शीर्षक दे सकें।
- अलग-अलग अंशों में क्रमिकता बता सकें।

II. अभिव्यक्ति-सृजनात्मकता

- पाठ्यांश की घटनाओं, अंशों, पात्रों, स्थानों, विषयों के बारे में समझकर अपने शब्दों में लिख सकें।
- अधूरे विषय, कहानी, कविता आगे बढ़ा सकें।
- अलग-अलग घटनाओं में स्वयं को रखकर घटना आगे बढ़ा सकें।
- शब्दों का विविध संदर्भों में सही पद्धति में वाक्य प्रयोग कर सकें।
- पर्याय शब्दों के अर्थ ग्रहण कर दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें।
- भाषा खेल, वर्ग पहेली आदि की सहायता से शब्द लिख सकें।
- पद्य या गद्य को एक विधा से दूसरी विधा में बदल सकें।
- निमंत्रण, बधाई पत्र, दीवार पत्रिका आदि तैयार कर सकें।
- चित्र देखकर वर्णन कर सकें।

III. भाषा की बात

- कवि या लेखकों की रचनाओं की प्रशंसा कर सकें।
- प्रेरणा देने वाले किसी भी अंश की लिंग, धर्म, वर्ग भेद रहित प्रशंसा कर सकें।
- भिन्न संस्कृति, संप्रदायों की प्रशंसा कर सकें।
- अव्यय शब्द, विभक्ति पहचान सकें।
- वाक्य भेद पहचान कर वाक्यों के प्रकार समझ सकें व वाच्य भी समझ सकें।
- काल, संधि और समास के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकें।

V. मासवार वार्षिक योजना – विभाजन

मास	पाठ का नाम	कालांशों की संख्या	शिक्षण संसाधन व सामग्री	आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम
जून	1. जिस देश में गंगा बहती है.	7	गीत का श्रव्य अथवा दृश्य सामग्री, भारतीयता की पहचान कराने वाले चित्र, गंगा नदी के सुंदर दृश्य।	• देशभक्ति गीतों की गायन प्रतियोगिता। • कविता, गीतों का संकलन व प्रदर्शन।
जुलाई	2. गाने वाली चिड़िया 3. बदलें अपनी सोच	7 7	गानेवाली चिड़ियाँ, राजा, महल, हिमालय, ध्रुवीय भालू, लुप्त होते जानवरों तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन संबंधित अन्य जानकारी।	• भाषण प्रतियोगिता • जैव-वैविध्यता पर निबंध प्रतियोगिता • प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन का अंकन
अगस्त	* तारे ज़मीं पर 4. प्रकृति की सीख	2 7	तारे ज़मीं पर फिल्म का प्रदर्शन, प्रकृति के सुंदर दृश्य, सोहनलाल द्विवेदी के बारे में अन्य जानकारी।	• नाटक मंचन • निबंध प्रतियोगिता • द्वितीय रचनात्मक मूल्यांकन का अंकन
सितंबर	5. फुटबॉल 6. बेटी के नाम पत्र	7 7	गेंद द्वारा खेले जाने वाले खेल, पत्र के नमूने, महान लोगों द्वारा लिखे गये पत्र, जोन ऑफ आर्क, नेहरु, इंदिरा प्रियदर्शिनी से जुड़े चित्र एवं जानकारी।	• चित्र प्रदर्शन • बाल सभा • खेल व शिक्षा पर चर्चा • प्रथम सारांशात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न-पत्र निर्माण
अक्तूबर	* सम्मक्का-सारक्का जातरा	2	त्यौहार से जुड़े चित्र, गीत, जनजाति लोगों के बारे में बताने वाली अन्य सामग्री।	• विहार यात्रा का प्रतिवेदन लिखना। • दर्शनीय स्थलों से संबंधित पोस्टर बनाना। • प्रथम सारांशात्मक मूल्यांकनका आयोजन।

मास	पाठ का नाम	कालांशों की संख्या	शिक्षण संसाधन व सामग्री	आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम
नवंबर	7. मेरा जीवन 8. यक्ष प्रश्न	7 7	गीत की श्रव्य अथवा दृश्य सामग्री, प्रेरणाप्रद कविताएँ, महादेवी वर्मा का परिचय, महाभारत की पौराणिक घटनाओं का वीडियो आदि।	• बाल-दिवस के उपलक्ष्य में सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन • तृतीय रचनात्मक मूल्यांकन का अंकन
दिसंबर	9. रमज़ान * बुद्धिमान बालक	7 1	इस्लाम धर्म में मनाये जाने वाले त्यौहारों के चित्र, रमज़ान से जुड़े संसाधन, ऐतिहासिक पात्रों- चंद्रगुप्त मौर्य, राजा नंद, चाणक्य आदि के चित्र।	• पुस्तक पठन प्रतिवेदन तैयार करना। • द्वितीय सारांशात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न-पत्र निर्माण
जनवरी	10. अमर वाणी 11. सुनीता विलियम्स	7 7	कबीर व अन्य कवियों के दोहों की श्रव्य व दृश्य सामग्री, अन्य नैतिक दोहों का प्रदर्शन, अंतरिक्ष से जुड़े चित्र तथा सुनीता विलियम्स के बारे में सामग्री।	• किसी का साक्षात्कार लेना। • भाषण प्रतियोगिता • द्वितीय सारांशात्मक मूल्यांकनका आयोजन।
फरवरी	12. जागो ग्राहक जागो * अपना स्थान स्वयं बनायें	7 1	विभिन्न कर पत्र, पोस्टर, ग्राहकों से जुड़ी जानकारी, तथा इससे जुड़ी श्रव्य व दृश्य सामग्री का प्रदर्शन।	• कर पत्र बनाना। • पोस्टर बनाना। • चतुर्थ रचनात्मक मूल्यांकन का अंकन
मार्च	पुनरावृत्ति		वार्षिक कार्यक्रम के लिए संसाधन जुटाना तथा अन्य तैयारियाँ।	• वार्षिक कार्यक्रम में प्रदर्शन करना। • बालकवि सम्मेलन का आयोजन। • तृतीय सारांशात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न-पत्र निर्माण
कुल		90	शब्दकोश, बाल साहित्य व अंतरजाल।	• सी.सी.ई. के अनुरूप प्रश्न-पत्रों की तैयारी • माता-पिता तक क्युमुलेटिव (संचयित) पंजिकाएं भेजना।

VI. अध्यापक की प्रतिक्रिया :

VII. प्रधानाध्यापक के सुझाव व निर्देश :

पाठ योजना

पूर्व में पाठ योजना के उद्देश्य - स्पष्टीकरण, विषय ज्ञान, साहित्य ज्ञान, भाषा ज्ञान, रुचि, अभिप्राय, शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण सामग्री आदि लिखा करते थे। उसी तरह एक पाठ शिक्षण का अर्थ था उस पाठ को तीन-चार हिस्सों में विभाजित कर उसी में शीर्षक की घोषणा, कवि परिचय, व्याकरणांश बताना, गृहकार्य देना आदि कार्य किया करते थे। इसके कारण छात्र पाठ के बारे में जान लेना ही ज्ञान समझते थे। पाठ के अभ्यासों का अधिक महत्व नहीं था। उन अभ्यासों के उत्तर भी पाठ के विषय से संबंधित होते थे। उन पर किसी की प्रकार चर्चा नहीं होती थी।

अब नवीन पाठ्यपुस्तकों की भाषाई दक्षताओं का अनुसरण करते हुए उनके अनुरूप पाठ योजना लिखनी पड़ती है। अब तक अध्यापक कार्य, छात्र कार्य, श्यामपट कार्य जैसे नहीं होंगे। पूरे पाठ के लिए एक ही बार यानी उन्मुखीकरण से लेकर क्या मैं ये कर सकता हूँ? तक के लिए पाठ योजना बनानी चाहिए। वार्षिक योजना में तत्संबंधी पाठ की पूर्ति के लिए आवश्यक कालांशों की संख्या लिखनी चाहिए। उसका अनुसरण करते हुए एक कालांश में क्या करना चाहिए? कैसी रणनीतियों को अपनाना चाहिए? किस तरह की अतिरिक्त सामग्री का उपयोग करना चाहिए? के बारे में बताते हुए पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए।

अ) पाठ योजना - नमूना

I. पाठ का नाम :

II. पाठ के लिए आवश्यक कालांशों की संख्या :

III. पाठ के द्वारा अर्जित की जाने वाली दक्षताएँ :

1. **अर्थग्राह्यता-प्रतिक्रिया** : ....
2. **अभिव्यक्ति-सृजनात्मकता** : ....
3. **भाषा की बात** : ....

IV. कालांशवार विभाजन - योजना :

कालांश संख्या	शिक्षण बिंदु	शिक्षण रणनीतियाँ	सामग्री	मूल्यांकन

V. अतिरिक्त जानकारी का संग्रहण :

VI. अध्यापक की प्रतिक्रियाएँ :

आ) हिंदी पाठ योजना के सोपानों का विवरण

I. पाठ का नाम : जिस किसी पाठ की पाठ योजना लिखनी है, उस पाठ का नाम लिखें। जैसेः जिस देश में गंगा बहती है...

II. पाठ के लिए आवश्यक कालांशों की संख्या : वार्षिक योजना में इस पाठ के लिए आबंटित कालांश की संख्या लिखें। इस पाठ के लिए7 कालांश हैं।

III. पाठ के द्वारा अर्जित की जाने वाली दक्षताएँ :

1. छात्र इस पाठ की समाप्ति पर अर्थग्राह्यता-प्रतिक्रिया शैक्षिक मापदंड में जो दक्षताएँ अर्जित करेंगे, वे यहाँ पर लिखें।

   ....

   ....

2. छात्र इस पाठ की समाप्ति पर अभिव्यक्ति-सृजनात्मकता शैक्षिक मापदंड में जो दक्षताएँ अर्जित करेंगे, वे यहाँ पर लिखें।

   ....

   ....

3. छात्र इस पाठ की समाप्ति पर भाषा की बात शैक्षिक मापदंड में जो दक्षताएँ अर्जित करेंगे, वे यहाँ पर लिखें।

   ....

   ....

ऊपर दर्शाये गये शैक्षिक मापदंड छात्रों द्वारा अर्जित करने हेतु प्रेरित करना चाहिए।

IV. कालांशवार विभाजन - योजना :

पूरे पाठ के लिए आवश्यक कालांशों की संख्या ध्यान में रखकर किश शिक्षण अंश के लिए कितने कालांश आबंटित किये गये, के बारे में लिखना चाहिए। इसमें उस कालांश की संख्या लिखकर शिक्षण अंश, शिक्षण रणनीति, सामग्री, मूल्यांकन आदि लिखना चाहिए।

कालांश संख्या	शिक्षण अंश	शिक्षण अधिगम प्रक्रिया/ अधिगम अनुभव	सामग्री	मूल्यांकन
1	प्रस्तावना	प्रत्येक से प्रश्न पूछते हुए पूर्ण कक्षा-कक्ष क्रियाकलाप आयोजित करना चाहिए।	अतिरिक्त सामग्री	इस कालांश में संपन्न शिक्षण अंश का मूल्यांकन

अब तालिका में दी गयी जानकारी के बारे में पता लगाते हैं।

कालांश संख्या : जिस किसी कालांश का आयोजन हो रहा है, उसकी संख्या लिखनी चाहिए। (जैसेःला, 2रा, 3रा आदि।)

शिक्षण अंश : पाठ में उन्मुखीकरण चित्र से लेकर क्या मैं ये कर सकता हूँ? तक के सभी अंश शिक्षण अंश ही हैं। जिस शिक्षण अंश का आप शिक्षण कर रहे हैं, उसका शीर्षक यहाँ लिखना चाहिए। (जैसेः उन्मुखीकरण, उद्देश्य, संदर्भ, कवि परिचय, पाठ शिक्षण, अभ्यास आदि।)

शिक्षण रणनीतिः पूर्व में शिक्षण अध्यापक केंद्रित था। वर्तमान में यह छात्र केंद्रित है। इसीलिए छात्रों की भागीदारी, स्वाध्ययन के अवसर बढ़ गये हैं। अतः शिक्षण इसके अनुरूप होना चाहिए। यानी शिक्षण अंश द्वारा अपेक्षित शैक्षिक मापदंड के लिए किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, के बारे में लिखना चाहिए। (जैसेः व्यक्तिगत क्रियाकलाप, समूह क्रियाकलाप, पूर्ण कक्षाकक्ष क्रियाकलाप)।अर्थग्राह्यता-प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति-सृजनात्मकता, भाषा की बात शैक्षिक मापदंड के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। वे हैं-

- समूह क्रियाकलाप, व्यक्तिगत क्रियाकलाप, पूर्ण कक्षाकक्ष क्रियाकलाप (पठन, लेखन, सृजनात्मक, श्रवण-संवाद संबंधित क्रियाकलाप आदि।)
- परस्पर चर्चाएँ, परियोजना कार्य, अर्थग्राह्यता-प्रतिक्रिया, प्रदर्शन-चर्चा, प्रतिवेदन की तैयारी चर्चा, भाषाई विकास के कार्यक्रम आदि।

भाषा शिक्षण निम्नलिखित सोपानों के अनुसार होना चाहिए। वे हैं-

- प्रस्तावनाः उन्मुखीकरण, शीर्षक घोषणा, कवि परिचय, उद्देश्य आदि।
- अर्थसंग्रहण / पठन क्रियाकलापः सस्वर वाचन, मौन वाचन, शब्दकोश में ढूँढ़ना।

- पाठ्यांश विषय पर चर्चा, अवगत कराना, पाठ के मुख्य शब्द, मुहावरे-कहावतें, संदेशात्मक वाक्य, शैली, निगूढ़ अर्थ, कवि का उद्देश्य, समकालीन अंशों के साथ जोड़ते हुए चर्चा।

सामग्री : शिक्षण अंश से अवगत कराने व सुदृढ़ बनाने के लिए पाठ से जुड़े अभ्यासों के लिए किन अतिरिक्त सामग्रियों का उपयोग करते हैं, के बारे में लिखना चाहिए। (जैसेः कवि का चित्र, शब्दकोश, अंतरजाल, संदर्भ ग्रंथ, नमूने आदि।)

मूल्यांकन : शिक्षण अंश की पूर्ति के बाद छात्रों को दक्षतावार निपुणता प्राप्त करने के लिए उन्हें सोच-समझ कर बातचीत करने योग्य प्रश्न पूछने चाहिए। अभ्यास के प्रश्न भी पूछ सकते हैं।

V. अतिरिक्त जानकारी संकलन :

पाठ शिक्षण के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी संकलन, समाचार, विवरण, क्रियाकलाप से जुड़ी पुस्तकों से जानकारी इकट्ठा कर लिखना चाहिए।

VI. अध्यापक की प्रतिक्रियाएँ :

पाठ की समाप्ति के बाद अपने अनुभव, प्रतिक्रियाएँ, छात्रों के अधिगम के बारे में लिखना चाहिए।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, आं.प्र., हैदराबाद

इ) हिंदी आदर्श पाठ योजना

नवीं कक्षा

I. पाठ का नाम : जिस देश में गंगा बहती है...

II. पाठ के लिए आवश्यक कालांशों की संख्या : 07

III. पाठ के द्वारा अर्जित की जाने वाली दक्षताएँ :

1. अर्थग्राह्यता-प्रतिक्रिया : भारतीय संस्कृति की महानता, जीवन शैली आदि का समर्थन करते हुए बातचीत कर सकना व पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सकना।
2. अभिव्यक्ति-सृजनात्मकता : भारतीयों की विशेषता का विश्लेषण करते हुए लिख सकना, पाठ के बारे में अपने विचार लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। देशभक्ति से जुड़ी कोई कविता लिख सकना व इसकी प्रशंसा कर सकना आदि।
3. भाषा की बात : सर्वनाम, मुहावरे, रचना के आधार पर वाक्यों के बारे में उत्तर दे सकना।

IV. कालांशवार विभाजन योनजा :

कालांश संख्या	शिक्षण अंश	शिक्षण अधिगम प्रक्रिया/अधिगम अनुभव	सामग्री	मूल्यांकन
1	उन्मुखीकरण चित्रके बारे में बातचीत, उद्देश्य, कवि परिचय	I. प्रस्तावना • संबोधन • पृष्ठ संख्या1 में दिये गये चित्र के बारे में पूर्ण कक्षा-कक्ष चर्चा करनी चाहिए। • शीर्षक घोषणा (श्यामपट पर लिखना चाहिए।) • उद्देश्य (पृष्ठ एक में दिया गया उद्देश्य छात्रों से पढ़ाना चाहिए।) • कवि परिचय (पृष्ठ संख्या चार में दिया गया कवि परिचय छात्रों से पढ़वाना चाहिए।)	कवि शैलेंद्र का चित्र, गंगा नदी का चित्र	पृष्ठ संख्या एक के चित्र के आधार पर शब्द, वाक्य लिखना।

कालांश संख्या	शिक्षण अंश	शिक्षण अधिगम प्रक्रिया/अधिगम अनुभव	सामग्री	मूल्यांकन
2	पाठ पठन, अर्थसंग्रहण	I. प्रस्तावना • संबोधन,पुनरावृत्ति (उन्मुखीकरण चित्र व कवि के बारे में पुनरावृत्ति करना) II. पठन-पाठन, चर्चा, अर्थग्राह्यता • पाठ के चित्र (पृ.सं. दो और तीन) के बारे में बातचीत करवाना। • अध्यापक द्वारा गीत का आदर्शवाचन • छात्रों द्वारा गीत का सस्वर वाचन • छात्रों द्वारा गीत का मौन वाचन • अर्थ संग्रहण (अनभिज्ञ शब्द रेखांकित करना, अर्थ पता लगाना।) • शब्दों पर चर्चा (मेहमाँ, लालच आदि शब्दों पर चर्चा।)	शब्दकोश	पाठ के द्वारा सीखे गये नवीन शब्दों से वाक्य लिखिए।
3	पाठ्यांश पर चर्चा (पृष्ठ संख्या - दो)	I. प्रस्तावना • संबोधन,पुनरावृत्ति (सीखे गये नवीन शब्दों के बारे में पुनरावृत्ति करना) II. पठन-पाठन, चर्चा, अर्थग्राह्यता • अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन (पृ.सं. दो) • छात्रों द्वारा सस्वर वाचन • छात्रों द्वारा गीत का मौन वाचन • पाठ्यांश पर चर्चा (विचारोत्तेजक प्रश्न पूछना। जैसेः भारतीयों के बारे में कवि ने क्या कहा है?) • शब्दों पर चर्चा (मेहमाँ, लालच आदि शब्दों पर चर्चा।)	भारतीय संस्कृति के चित्र	1. भारतवासी कैसे हैं? 2. मेहमाँ के बारे में कवि ने क्या कहा है? 3. धरती माँ कैसी है? 4. यहाँ 'पूरब वाले' से क्या आशय है?

कालांश	शिक्षण अंश	शिक्षण अधिगम प्रक्रिया/अधिगम	सामग्री	मूल्यांकन
4	पाठ्यांश पर चचा (पृष्ठ संख्या - तीन)	I. प्रस्तावना • संबोधन,पुनरावृत्ति (सीखे गये प्रश्नों के बारे में पुनरावृत्ति करना) II. पठन-पाठन, चर्चा, अर्थग्राह्यता • अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन (पृ.सं. तीन) • छात्रों द्वारा सस्वर वाचन • छात्रों द्वारा गीत का मौन वाचन • पाठ्यांश पर चर्चा (विचारोत्तेजक प्रश्न पूछना। जैसे: मिलजुलकर रहना क्यों ज़रूरी है?) • शब्दों पर चर्चा (ग़ैर, अंधा आदि शब्दों पर चर्चा।)	भारतीय संस्कृति के चित्र	1. कौनसी चीज़ हमेशा रहती है? 2. 'मतलब के लिए अंधे होने' का क्या अर्थ है? 3. आज सारी दुनिया क्या कहती है?
5	शैक्षिक मापदंडों का अभ्यास - अर्थग्राह्यता-प्रतिक्रिया	I. प्रस्तावना • संबोधन,पुनरावृत्ति (सीखे गये प्रश्नों के बारे में पुनरावृत्ति करना) II. दक्षताओं की प्राप्ति - अभ्यास • 'अर्थग्राह्यता-प्रतिक्रिया' के प्रश्न श्यामपट पर लिखना। • पूरी कक्षा में एक-एक छात्र से बातचीत करवाना। • उपसंहार बताना। • प्रशंसा अभ्यास के लिए निर्देश देना। • पठित, अपठित अंश के प्रश्नोत्तरों का आयोजन (पूर्ण कक्षा क्रियाकलाप) • समूह कार्य के रूप में अर्थग्राह्यता के प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। • प्रदर्शन - चर्चा - उपसंहार	समाचार पत्र की कतरन, लेख आदि।	'अर्थग्राह्यता-प्रतिक्रियान के उत्तर लिखना। अभिव्यक्ति-सृजनात्मकता में 'अ''शीर्षकीय लघु प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहना।

कालांश संख्या	शिक्षण अंश	शिक्षण अधिगम प्रक्रिया/अधिगम अनुभव	सामग्री	मूल्यांकन
6	शैक्षिक मापदंडों का अभ्यास - अभिव्यक्ति-सृजनात्मकता, प्रशंसा, परियोजना कार्य	I. प्रस्तावना • संबोधन,पुनरावृत्ति (उदाः भारत में बहने वाली कुछ नदियों के बारे में बताइए।) II. दक्षताओं की प्राप्ति - अभ्यास • अभिव्यक्ति-सृजनात्मकता शीर्षकीय अभ्यास में 'आ', 'इ', 'ई' के प्रश्न श्यामपट पर लिखना। जैसेः इस गीत का सार अपने शब्दों में लिखिए। • पूरी कक्षा में एक-एक छात्र से चर्चा करवाना। (प्रत्येक छात्र एक-एक वाक्य बोलेगा।) • व्यक्तिगत या समूह में उत्तर लिखवाना। लिखी हुई सामग्री पढ़वाना। • भाव, वाक्य, शब्द, अक्षर त्रुटियों का संशोधन • प्रशंसा कार्य का प्रदर्शन-चर्चा-संशोधन करना। • परियोजना कार्य का प्रदर्शन-चर्चा-संशोधन करना। • व्यक्तिगत तौर पर प्रतिवेदन लिखना।	छात्रों द्‌वारा लिखे गये उत्तरों के चार्ट, कविता	1. इस गीत का सार अपने शब्दों में लिखिए। 2. देशभक्ति भावना पर चार पंक्तियों की कविता लिखिए। 3. गीत की अच्छी बातों के बारे में बताइए। 4. परियोजना कार्य निर्माण के बारे में प्रतिवेदन लिखिए।
7	शैक्षिक मापदंडों का अभ्यास - भाषा की बात व पुनरावृत्ति	I. प्रस्तावना • संबोधन,पुनरावृत्ति II. दक्षताओं की प्राप्ति - अभ्यास • पूरी कक्षा में एक-एक छात्र से चर्चा करवाना। • भाषा की बात के अंश पढ़वाना, समझाना, संशोधन करना। • उदाहरण देना। • चर्चा-अर्थग्राह्यता-सूत्रीकरण • पाठ में पिछड़े छात्रों के लिए पुनरावृत्ति करना।		1. सीखे गये शब्दों से वाक्य प्रयोग कीजिए। 2. आप इन शब्दों का उपयोग किन संदर्भों में करते हैं? इस पाठ के द्‌वारा आपने क्या सीखा? इसमें कौनसे अंश कठिन लगे?

कालांश योजना

पाठ योजना लिखने के उपरांत उसके अनुसार शिक्षण कार्य संपन्न करना होता है। प्रत्येक कालांश में क्या पढ़ाना चाहिए? कनि दक्षताओं की प्राप्ति करनी चाहिए? क्या-क्या रणनीतियाँ बनानी चाहिए? जैसे अंश कालांश योजना में सविवरण लिखना चाहिए। नीचे दी गयी नमूना कालांश योजना पर ध्यान दीजिए।

अ) नमूना कालांश योजना

- पाठ का नाम : ....
- कालांश संख्या : ....
- समय : ....
- शिक्षण अंश / दक्षता / क्रियाकलाप : ....
- कालांश द्वारा अर्जित किये जाने वाले लक्ष्य :...........................
- शिक्षण रणनीति, सोपान :

सोपान	शिक्षण अधिगम प्रक्रिया / अधिगम अनुभव	श्यामपट कार्य	सामग्री / संसाधन

- छात्र अर्थग्राह्यता - निरीक्षण (मूल्यांकन)

आ) कालांश योजना - सोपानों का विवरण

- पाठ का नाम : जो पाठ पढ़ाना चाहते हैं, उस पाठ का नाम लिखें।
- कालांश संख्या : पाठ योजना के अनुसार आप जो कालांश ले रहे हैं, उसकी संख्या लिखें। (जैसेः पहला,)
- समय : 45 मिनट
- शिक्षण अंश / दक्षता / क्रियाकलाप : पाठ योजना का अनुसरण करते हुए उस दिन जो अंश किया जाना है, उसके बारे में लिखें। जैसेः उन्मुखीकरण, पठन-पाठन-चर्चा आदि।
- कालांश द्‌वारा अर्जित किये जाने वाले लक्ष्य : छात्र इस कालांश से जो दक्षताएँ प्राप्त करेंगे, उसके बारे में लिखना चाहिए।
- शिक्षण रणनीति, सोपान :
- छात्र अर्थग्राह्‌यता - निरीक्षण (मूल्यांकन)

♦ शिक्षण रणनीति व सोपान :

सोपान 1	शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ / अधिगम अनुभव 2	श्यामपट कार्य 3	सामग्री / संसाधन 4

उक्त तालिका में सोपान का अर्थ है उस दिन किये जाने वाले शिक्षण संबंधित सोपान के अनुसार रणनीति के बारे में लिखना।

I. प्रस्तावना

- संबोधन
- उन्मुखीकरण
- शीर्षक घोषणा

- उद्‌देश्य
- कवि परिचय

तालिका में दूसरा अंश है- शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या अधिगम अनुभव है। इस सोपान में शिक्षण कार्य के अंतर्गत जो कार्य किया जाएगा, उसके बारे में लिखना है। इसमें छात्रों को विचारोत्तेजक प्रश्न पूछने चाहिए। इसमें चर्चा करते हुए सामग्री का उपयोग करना चाहिए।

तालिका में तीसरा अंश है- श्यामपट कार्य। इसमें उस दिन शिक्षण से जुड़े शिक्षण अधिगम कार्य से जुड़े शब्द-भंडार, मुख्य शब्द आदि लिखने चाहिए।

तालिका में चौथा अंश है- शिक्षण अधिगम सामग्री अथवा संसाधन। इस सोपान में शिक्षण के लिए आवश्यक संसाधन व सामग्री के बारे में लिखिए।

♦ अंतिम अंश छात्र अर्थग्राह्‌यता - निरीक्षण (मूल्यांकन): इस सोपान में उस दिन पढ़ाये गये अंश में छात्रों की अर्थग्राह्‌यता हुई है, से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। यह ध्यान रहे कि प्रश्न शिक्षण अंश को जोड़ने वाले होले चाहिए।

जिस देश में गंगा बहती है...

इ) नमूना कालांश योजना

I. पाठ का नाम : जिस देश में गंगा बहती है...

II. कालांश संख्या : 1 समय : 45 मिनट

III. उपशीर्षक : उन्मुखीकरण

IV. अपेक्षित दक्षताएँ : सुनना–बोलना : ♦ चित्र के आधार पर अपने विचार प्रकट करना।

पठन कौशल : ♦ पाठ्यांश के उद्देश्य, कवि परिचय पढ़कर बातचीत करना।

लेखन : ♦ चित्र के आधार पर मुख्य शब्द व वाक्य लिख पाना।

V. शिक्षण अधिगम / रणनीति :

शिक्षण अधिगम सोपपान	शिक्षण अधिगम प्रक्रिया / अधिगम अनुभव	श्यामपट कार्य	शिक्षण अधिगम सामग्री / संसाधन
I. प्रस्तावना i) संबोधन ii) उन्मुखीकरण	नमस्कार बच्चो! आप सब कैसे हैं? चलिए, आज हम एक नया पाठ पढ़ते हैं। बच्चो आप सभी के पास पुस्तकें हैं न! पृष्ठ संख्या एक का चित्र ध्यान से देखिए। उसके बारे में बताइए।		भारतीय संस्कृति की विशेषता बतलाने वाले अन्य चित्रों का प्रदर्शन

शिक्षण अधिगम सोपपान	शिक्षण अधिगम प्रक्रिया / अधिगम अनुभव	श्यामपट कार्य	शिक्षण अधिगम सामग्री / संसाधन
iii) शीर्षक घोषणा iv) उद्देश्य	मैं आप से कुछ प्रश्न पूछूँगा, उनके उत्तर दीजिए। - चित्र में क्या-क्या दिखायी दे रहा है? - उड़ना, चमकना, खिलना आदि शब्द इस चित्र में किनसे जुड़ सकते हैं? - इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? आज हम 'जिस देश में गंगा बहती है...' कविता पढेंगे। इस पाठ्यांश का उद्देश्य क्या है? बेटा! उद्देश्य पढ़कर सुनाओ।	जिस देश में गंगा बहती है	गंगा नदी से जुड़ा चित्र
II. पाठ्यांश शिक्षण, चर्चा, अर्थग्राह्यता i) कवि परिचय	पृष्ठ संख्या चार में कवि शैलेंद्र कुमार जी का कवि परिचय पढ़िए। पढ़ा न यह एक फिल्मी गीत है। अब मैं आप से कुछ प्रश्न पूछूँगा, उनके उत्तर दीजिए। - जिस देश में गंगा बहती है... कविता के कवि कौन हैं? - उनका जन्म कब हुआ? - उनकी मृत्यु कब हुई? - उनके प्रसिद्ध रचनाएँ कौनसी हैं?	शैलंद्र कुमार का चित्र प्रश्नों के उत्तर श्यामपट पर लिखें।	पाठ्यपुस्तक
III. अर्थग्राह्यता की जाँच	अब तक आपने कवि परिचय के बारे में पढ़ा न! अब आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। - कवि शैलेंद्र का जन्म कब हुआ? - कवि शैलेंद्र की प्रसिद्ध रचनाएँ क्या हैं? - कवि को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? स्वरचना : - पृष्ठ संख्या एक में दिये गये चित्र के मुख्य शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए।		

(इसी तरह अन्य कालांशों के लिए कालांश योजना बनाना है।)

8 सतत समग्र मूल्यांकन (Continuous Comprehensive Evaluation)

हमारे राज्य में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2010 में लागू हुआ। इस क़ानून के अनुसार शिक्षण में मूल्यांकन के लिए सतत समग्र मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग करना अनिवार्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अनुच्छेद 29 के अनुसार बालक अपने दैनिक जीवन में सीखे ज्ञान का उपयोग निरंतर और समग्र रूप से कर सके। कानून यह भी बताता है कि शिक्षा प्रणाली बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में किसी प्रकार बाधक न बन सके। इस पृष्ठभूमि के आधार पर पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया गया है तामें सतत् समग्र मूल्यांकन के भरपूर अवसर देने का प्रयास किया गया है।

सतत् समग्र मूल्यांकन (सीसीई) का स्वरूप

सतत् व निरंतर मूल्यांकनः

सतत मूल्यांकन को अपनाने का उद्‌देश्य मूल्यांकन को बोझरहित बनाना है। इसका मुख्य उद्‌देश्य मूल्यांकन को भी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत लाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप के समय ही छात्र का आकलन कर लिया जाये। अतः शिक्षण अधिगम कार्य के समय भी छात्रों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। हम जो निरंतर क्रियाकलाप कक्षा में करते हैं उन सबको आकलन का आधार बनाया जाये।

समग्र मूल्यांकनः

समग्र मूल्यांकन से तात्पर्य है कि किसी भी तत्व को समग्रता में देखा जाये। किसी एक पक्ष के आधार पर आकलन न किया जाये। छात्रों में अपेक्षित दक्षताओं संबंधित जो भी योग्यताएँ विद्यमान हैं उन सबकी समग्रता के आधार पर आकलन किया जाये।

सतत् समग्र मूल्यांकनः

सतत समग्र मूल्यांकन छात्र का समग्रतापूर्वक आकलन करता है। छात्र की अपेक्षित दक्षताओं संबंधी योग्यताएँ इसके माध्यम से स्पष्ट होती हैं। इसमें छात्रों द्वारा ग्रहित सूचनाओं का आकलन न होकर उनकी योग्यताओं का आकलन होता है। इससे परंपरागत रटने की प्रवृत्ति में कमी आती है। यह प्रणाली अर्जित ज्ञान के उपयोग की योग्यता पर बल देती है। ज्ञान का सोच-समझकर विविध परिस्थितियों में उपयोग करने की क्षमता का आकलन करती है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ही पूर्ण कर ली जाती है। इससे सीखने-सिखाने के लिए अधिक समय मिलता है। इस मूल्यांकन की विशेषता है कि यह 'सीखने का, सीखते समय ही आकलन करती है तथा इस बात का भी ध्यान रखती है कि छात्र आकलन के दौरान भी सीखता रहे।

सतत समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत परीक्षाओं के प्रकार

इसके अंतर्गत दो प्रकार का आकलन किया जाता हैं- रचनात्मक और सारांशात्मक। एक शैक्षणिक वर्ष में रचनात्मक आकलन (Formative Assessment)की संख्या चार और सारांशात्मक आकलन (Summative Assessment) की संख्या दो होगी।

रचनात्मक आकलन (Formative Assessment) का स्वरूप

बालक कैसे सीखते हैं? क्या सीखते हैं? कहाँ पिछड़े रह गये हैं? इसे कैसे सुधारना चाहिए? जैसी बातों का कक्षा-कक्ष प्रक्रिया में समय-समय पर आकलन करते रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक तैयारी के लिए रचनात्मक आकलन की आवश्यकता पड़ती है। रचनात्मक आकलन में आकलन कक्षाकक्ष गतिविधियों के दौरान ही कर लिया जाएगा। इसमें सरलता के लिए नवीन पाठ्यपुस्तकों के पाठों को चार इकाइयों में बाँटा गया है। प्रत्येक इकाई को पढ़ाने के दौरान एक रचनात्मक आकलन चलता रहेगा।

- अध्यापकों द्वारा पूरे शैक्षणिक वर्ष तक औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चलता रहता है।
- यह निदानात्मक तथा उपचारात्मक होता है।
- रचनात्मक परीक्षाओं का आयोजन बच्चों व अध्यापकों पर बोझ नहीं बनना चाहिए।
- बालक को इस बात का आभास नहीं होना चाहिए कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है।
- रचनात्मक मूल्यांकन स्वाभाविक परिस्थितियों में होना चाहिए।

- यह वर्ष में चार बार किया जायेगा।
- इसका आयोजन शिक्षम-अधिगम प्रक्रिया (कक्षाकक्ष क्रियाकलाप) के अंतर्गत होना चाहिए।

रचनात्मक आकलन (Formative Assessment) के साधन

1. बालकों की भागीदारी, प्रतिक्रिया (Participation and Reflections)
2. बालकों के लिखित कार्य (नोटबुक, दत्तकार्य आदि।)(Children Written Work)
3. पर्ची व लघु परीक्षा (Slip Test)
4. परियोजना कार्य (Project Work)

रचनात्मक आकलन (Formative Assessment) **का आयोजन**

रचनात्मक आकलन में कुल 50 (पचास) अंक होंगे। इसमें अंकों का विभाजन इस प्रकार होगा-

क्र.सं.	अंश	निर्धारित अंक	साधन
1.	छात्र भागीदारी, प्रतिक्रिया	10	अध्यापक डायरी, विचारशील प्रश्न, समूह कार्यों में भाग लेना, बेझिझक प्रश्न करना, प्रतिक्रिया करना, बातचीत करना, पद्य, गद्य, गीत आदि का वाचन कर सकना आदि।
2.	बालकों के लिखित कार्य	10	कक्षाकार्य, गृहकार्य, दत्तकार्य, छात्र डायरी, पाठ्यपुस्तक में अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, पोर्टफोलियो आदि।
3.	पर्ची व लघु परीक्षा	20	बालकों द्वारा लिखे उत्तर पत्र व पुस्तिका आदि।
4.	परियोजना कार्य	10	परियोजना कार्य
	कुल अंक	50	

1. छात्र भागीदारी, प्रतिक्रिया

शिक्षा में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने का विशेष महत्व है।

छात्रों की प्रतिक्रिया अध्यापक डायरी में लिखें।

छात्रों द्वारा पूछे जाने वाले विचारशील प्रश्न पर ध्यान दें।

छात्रों द्वारा समूह कार्यों में भाग लेने का ढंग पर ध्यान दें।

छात्रों द्वारा बेझिझक प्रश्न करने पर ध्यान दें।

छात्रों द्वारा प्रतिक्रिया करने पर ध्यान दें।

छात्रों द्वारा किसी भी विषय पर बातचीत करने की क्षमता पर ध्यान दें।

छात्रों द्वारा पद्य, गद्य, गीत आदि का वाचन कर सकने की क्षमता पर ध्यान दें। आदि।

2. बालकों के लिखित कार्य

छात्रों के द्वारा लिखे गये सामान्य दस्तावेज जो कि हम अपने शिक्षण में लिखवाते ही रहते हैं। उनका भी आकलन करें। इससे भी हमें पता चलता है कि छात्र किस कौशल में कितनी दक्षता प्राप्त कर चुके हैं। इनके लिए सामान्यतः इनका निरीक्षण किया जा सकता है- दस्तावेजों कक्षाकार्य, गृहकार्य, दत्तकार्य, छात्र डायरी, पाठ्यपुस्तक में अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, पोर्टफोलियो आदि।

3. पर्ची व लघु परीक्षा

यह औपचारिक परीक्षा नहीं है। इसे पहले सूचित करना आवश्यक नहीं है। सामान्यतः अपनी कक्षा क्रियाकलाप के दौरान हम इस प्रकार की छोटी-छोटी परीक्षाएँ (कभी एक-दो प्रश्न, कभी कुछ शब्दार्थ, कभी व्याकरणांश आदि।) आयोजित कर सकते हैं। जैसेः छात्रों द्वारा लिखे उत्तर पत्र व पुस्तिका आदि।

4. परियोजना कार्य

हमारी पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की परियोजना कार्य दिये गये हैं। इनमें निर्माणात्मक रसास्वादन अभ्यासात्मक, सृजनात्मक परियोजनाएँ भी हैं। अध्यापक इस प्रकार के परियोजना कार्य सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से छात्रों से करवाएँ। उनका भी आकलन करें। ध्यान रहे परियोजना महंगी न हो। साथ ही समय का अपव्यय भी न हो। छात्र अर्जित ज्ञान को समाज से जोडक़र उसका विस्तार कर सकें।

सारांशात्मक मूल्यांकन का स्वरूप

निर्धारित समय के भीतर छात्र कहाँ तक भाषा कौशलों में दक्षता अर्जित कर सक रहे हैं, या कौशलों द्वारा छात्रों का किस तरह लाभ हो रहा है, कि जाँच करने के लिए सारांशात्मक मूल्यांकन सहायक सिद्ध होता है। सामान्यतः सारांशात्मक परीक्षा मौखिक व लिखित रूप में आयोजित की जाती है। इस मूल्यांकन की विशेषता इस प्रकार है-

❖ अध्यापक द्वारा सत्रांत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा है।
❖ इनका आयोजन साल में तीन बार किया जायेगा।
❖ इसमें अधिगम की प्रतिपुष्टि होती है।
❖ अध्यापकों द्वारा अभिभावकों को प्रगतिसूचक पत्र बताये जाते हैं।
❖ यह अध्यापकों, अभिभावकों, शिक्षण संस्थाओं व सामाजिक वर्गों के लिए उपयोगी होते है।

भार तालिका

हिंदी (प्रथम भाषा)

कक्षा	अंश	रचनात्मक आकलन					सारांशात्मक आकलन							
		छात्र सहभागिता व निरीक्षण	लिखित कार्य	परियोजना कार्य	लघु व पर्ची परीक्षा	कुल	सुनना-बोलना, प्रशंसा (मौखिक)	पढ़ना		लिखित	सृजनात्मकता		शब्दभंडार-भाषा की बात	कुल
								मौखिक	लिखित		मौखिक	लिखित		
1-2	प्रतिशत	20%	20%	20%	40%	100%	20%	10%	20%	40%	10%	-	-	100%
	अंक	10	10	10	20	50M	10	5	10	20	5	-	-	50M
3-5	प्रतिशत	20%	20%	20%	40%	100%	10%	10%	20%	30%	-	10%	20%	100%
	अंक	10	10	10	20	50M	5	5	10	15	-	5	10	50M
6-9	प्रतिशत	20%	20%	20%	40%	100%	10%	-	20%	30%	-	20%	20%	100%
	अंक	10	10	10	20	50M	10	-	20	30	-	20	20	100M

भार तालिका

हिंदी (द्वितीय भाषा)

कक्षा	अंश	रचनात्मक आकलन					सारांशात्मक आकलन							
		छात्र सहभागिता व निरीक्षण	लिखित कार्य	परियोजना कार्य	लघु व पर्ची परीक्षा	कुल	सुनना-बोलना, प्रशंसा (मौखिक)	पढ़ना		लिखित	सृजनात्मकता		शब्दभंडार, भाषा की बात	कुल
								मौखिक	लिखित		मौखिक	लिखित		
6	प्रतिशत	20%	20%	20%	40%	100%	20%	10%	20%	40%	10%	-	-	100%
	अंक	10	10	10	20	50M	20	10	20	40	10	-	-	100M
7-9	प्रतिशत	20%	20%	20%	40%	100%	10%	-	20%	30%	-	20%	20%	100%
	अंक	10	10	10	20	50M	10	-	20	30	-	20	20	100M

सारांशात्मक आकलन (समेटिव असेसमेंट) ग्रेडिंग - A^+=91-100, A = 71-90, B^+ = 51-70, B = 41-50, C=0-40

रचनात्मक आकलन (फारमेटिव असेसमेंट) ग्रेडिंग - A^+=46-50, A = 36-45, B^+ = 26-35, B = 21-25, C = 0-20

I. सतत् समग्र मूल्यांकन - IX और X कक्षाओं के लिए

हमारे राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2010 में लागू हुआ। इस कानून के अनुसार शिक्षण में मूल्यांकन के लिए सतत् समग्र मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग करना अनिवार्य है। यह अधिनियम इस बात पर बल देता है कि शिक्षा प्रणाली बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में किसी प्रकार भी बाधक न बनें। इसी पृष्ठभूमि के आधार पर पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया गया और उनमें सतत् समग्र मूल्यांकन के भरपूर अवसर देने के प्रयास किये गये हैं।

स्वरूप :-

- सतत् समग्र मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन को बोझरहित बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत लाना है। अर्थात् शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप के समय ही छात्र का आकलन हो जाना चाहिए। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए।
- छात्र के आकलन के लिए किसी एक पक्ष को आधार नहीं बनाना चाहिए। अपेक्षित दक्षताओं और उनकी समग्रता के आधार पर आकलन करना चाहिए।

अपेक्षित परिणाम :-

- इससे छात्र का समग्र या व्यापक आकलन होता है।
- परंपरागत रटने की प्रवृत्ति में कमी आती है।
- अर्जित ज्ञान के उपयोग के अवसर प्राप्त होते हैं।
- छात्र ज्ञान का सोच-समझकर विविध परिस्थितियों में उपयोग करने की क्षमता का विकास करते हैं।
- इसके कारण सीखने-सीखाने के लिए अधिक समय मिलता है।

हमारे राज्य में I से लेकर VIII कक्षा तक सतत् समग्र मूल्यांकन का क्रियान्वन हो चुका है। IX और X कक्षाओं के लिए इसका प्रारुप इस प्रकार है -

जैसे कि आप जानते हैं कि यह आकलन दो प्रकार का होता है।

I रचनात्मक आकलन (Formative Assessment)

II सारांशात्मक आकलन (Summative Assessment)

रचनात्मक आकलन :- IX और X कक्षाओं के लिए यह आंतरिक आकलन (Internal Assessment के रूप में होगा)

बालक कैसे सीखते हैं? क्या सीखते हैं? कहाँ पिछड़ रहे हैं? इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जैसी बातों का उत्तर और समाधान आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप कक्षाकक्ष गतिविधियों के दौरान रचनात्मक आकलन का निवर्हण कर रहे हैं। हमारी पाठ्यपुस्तकों में रचनात्मक आकलन के समुचित अवसर उपलब्ध हैं। पाठ्यपुस्तक में रखे गये पाठों का इकाइयों में विभाजन इसका उदाहरण है। रचनात्मक आकलन के कुछ मुख्य सूचक निम्नलिखित हैं:-

- इसका आयोजन वर्ष में चार बार (जुलाई, अगस्त, नवंबर और फरवरी) में किया जायेगा।
- यह पूरे शैक्षाणिक वर्ष में औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से चलता रहेगा।
- इसका आयोजन स्वाभाविक परिस्थिति में होना चाहिए अर्थात् यह बच्चों को इस बात का आभास नहीं होना चाहिए कि उनका मूल्यांकन हो रहा है।
- इसका आयोजन शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया (कक्षाकक्ष क्रियाकलाप) के अंतर्गत होना चाहिए।
- यह परीक्षा 20 अंकों के लिए आयोजित की जायेगी।

साधन

1. पुस्तक पठन प्रतिक्रिया (Book Reading - Reflection)
2. लिखित कार्य (Written Works)
3. परियोजना कार्य (Project Work)
4. पर्ची या लघु परीक्षा (Slip Test)

आयोजन

रचनात्मक आकलन कुल 20 अंकों के लिए आयोजित किया जायेगा। इसमें अंकों का विभाजन इस प्रकार होगा-

क्र.सं.	अंश	निर्धारित अंक	साधन
1	पुस्तक पठन-प्रतिक्रिया	05	विभिन्न कहानियों की पुस्तकें, बाल-साहित्य, समाचार-पत्र आदि।
2	लिखित कार्य	05	कक्षा-कार्य, गृहकार्य, दत्तकार्य, अभ्यास कार्य, (मुख्य रूप से स्वलेखन पर बल)
3	परियोजना कार्य	05	परियोजना संबंधी कार्य
4	पर्ची या लघु परीक्षा	05	बालकों की उत्तर पुस्तिकाएँ
	कुल अंक	20	

पुस्तक पठन - प्रतिक्रिया :-

इसके अंतर्गत बालकों को कहानी की पुस्तकों में से कहानी बाल-साहित्य या समाचार-पत्र के किसी अंश को पढ़ने के लिए कहना चाहिए। पढ़ने के पश्चात् बालक से पठित अंश पर लिखित प्रतिक्रिया (प्रतिदिन के रुप में) करवानी चाहिए। कक्षा में इसका प्रस्तुतीकरण भी होना चाहिए। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं।

इसके आकलन के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह निम्न बातों पर ध्यान दें-

- पठन अंशों का चयन (बालक द्वारा)
- लिखित अभिव्यक्ति
- प्रस्तुतीकरण का ढंग

2. लिखित कार्य :-

बालकों को पाठों के प्रश्न और अभ्यास लिखने के लिए देने चाहिए। उन्हें अपने शब्दों में (स्वरचना) लिखने के लिए कहना चाहिए। बालक को गाइड या क्वश्चन बैंक का सहारा लेने के लिए मना करना चाहिए। उन्हें स्वयं सोचकर लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं।

आकलन

- भावों की मौलिकता
- वाक्य निर्माण का क्रम
- शुद्‌ध वर्तनी

3. परियोजना कार्य :-

पाठ्‌यपुस्तक के हर पाठ के अंत में एक परियोजना कार्य दिया गया है। बालकों को परियोजना कार्य देना चाहिए। उससे संबंधित निर्देश देना चाहिए। किये गये परियोजना कार्य का प्रस्तुतीकरण। प्रदर्शन कक्षा में करवाना चाहिए। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं।

आकलन

- सामग्री का संकलन
- जानकारी का संग्रहण
- प्रस्तुतीकरण/प्रदर्शन

4. पर्ची या लघु परीक्षा

इस परीक्षा का आयोजन अनौपचारिक रूप से किया जा सकता है। इसमें बहुत बड़े-बड़े प्रश्नों के उत्तर लिखवाने के स्थान पर छोटे-छोटे प्रश्नों के उत्तर, शब्दार्थ, व्याकरणांश या पठित/अपठित गद्‌यांश/पद्‌यांश देकर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा जा सकता है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित है।

आकलन

- छात्रों द्‌वारा लिखे गये उत्तर
- वर्तनी की शुद्‌धता
- वाक्य निर्माण का क्रम

सूचना :- हर छात्र को 1) पुस्तक पठन - प्रतिक्रिया 2) लिखित कार्य के लिए उन्हें एक उत्तर पुस्तिका रखनी होगी 3) परियोजना कार्य 4) लघु परीक्षा के लिए एक उत्तर पुस्तिका रखनी होगी। इन उत्तर पुस्तिकाओं द्वारा जहाँ छात्रों के किये गये कार्यों को दर्शाया जा सकेगा वही समय-समय पर यह जाँच अधिकारियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी।

- चार रचनात्मक आकलनों का औसत 20% के रूप में बोर्डपरीक्षा में लिया जायेगा। हर छात्र को रचनात्मक आकलनके 20% में कम से कम 7 अंक आना अनिवार्य होगा।
- अध्यापकों को आंतरिक परीक्षाओं से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं को रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रखना होगा।

आंतरिक आकलन का उदाहरण

FA–1

	नाम	पु.प	लिखित कार्य	परियोजना कार्य	लघु परीक्षा	कुल
		5	5	5	5	20
1.	राजू	3	2	3	2	10
2.	रवि	4	3	3	4	14

FA–2

	नाम	पु.प	लिखित कार्य	परियोजना कार्य	लघु परीक्षा	कुल
		5	5	5	5	20
1.	राजू	4	2	3	3	12
2.	रवि	3	3	4	3	13

FA–3

	नाम	पु.प	लिखित कार्य	परियोजना कार्य	लघु परीक्षा	कुल
		5	5	5	5	20
1.	राजू	3	4	4	2	13
2.	रवि	4	2	3	2	11

FA–4

	नाम	पु.प	लिखित कार्य	परियोजना कार्य	लघु परीक्षा	कुल
		5	5	5	5	20
1.	राजू	2	4	3	3	12
2.	रवि	3	4	3	2	12

राजू के चार FA के कुल अंक : 10+12+13+12 = 47

रवि के चार FA के कुल अंक : 14+13+11+12 = 50 हैं।

अंतरिक परीक्षा के 20 अंकों के लिए 4 रचनात्मक आकलनों के कुल अंकों को 4 परीक्षाओं के हिसाब से विभाजित करने पर इनके औसत अंक प्राप्त होंगे।

राजू के अंक होंगे -11.8 (12) और रवि के अंक होंगे -12.2 (12) अर्थात् राजू को 20 में से 12 और रवि को भी 20 में से 12 अंक प्राप्त हुए हैं।

सारांशात्मक मूल्यांकन (बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन)

A. दक्षताओं के आधार पर भारपात

हिंदी दूवितीय भाषा - कक्षा 9 वीं व 10 वीं

दक्षता	अंक विभाजन	पूर्णांक	
I	अर्थग्राह्यता - प्रतिक्रिया	20 अंक	20
II	अभिव्यक्ति - सृजनात्मकता		
	अ) स्वरचना	30 अंक	40
	आ) सृजनात्मकता	10 अंक	20
III	सामान्य हिंदी व व्याकरण		
	अ) शब्द	10 अंक	20
	आ) वाक्य	10 अंक	
	कुल	80	80

अंक प्रदान करने के - सूचक

दसवीं कक्षा की नवीन पुस्तकों के आधार पर नमूना प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं? किस दक्षता के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? उत्तरों का किन सूचकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए? इसकी अध्यापक को स्पष्ट जानकारी होनी आवश्यक है। प्रश्न -पत्र के आधार पर उसका अवलोकन करें।

I. **अर्थग्राह्यता - प्रतिक्रिया (20 अंक)**

(अ) पठित गद्यांश देकर पाँच प्रश्न पूछना। 5 (अंक)
गद्यांश उपवाचक से ही लिया जायेगा।

(आ) अपठित गद्यांश देकर पाँच प्रश्न पूछना। 5 (अंक)
यह किसी भी साहित्यिक या सामाजिक अंश से लिया जाएगा।

(इ) पठित पद्यांश देकर पाँच प्रश्न पूछना। 5 (अंक)
यह पाठ्य पुस्तक से लिए जाएगा।

(ई) अपठित पद्यांश देकर पाँच प्रश्न पूछना। 5 (अंक)
यह किसी भी साहित्यिक अंश से लिया जाएगा।

II. **अभिव्यक्ति - सृजनात्मकता (40 अंक)**

(क) स्वरचना - (30 अंक)

(अ) लघु प्रश्न - 12 (अंक) (4x3 = 12)

इसके अंतर्गत चार प्रश्न दिए जाएगें। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को जैसे का तैसा न देकर उसी स्वभाव वाले अन्य प्रश्न दिए जाएँगे। एक-एक प्रश्न के लिए तीन अंक निर्धारित है।

♦ लघु प्रश्नों के उत्तर को अंक प्रदान करने के तरीके :-

- विषय वस्तु की समझ, वाक्य निर्माण का क्रम - 2 अंक
- वर्तनी की शुद्धता - 1 अंक

3 अंक

(आ) निबंधात्मक प्रश्न - 18 (अंक)

इसके अंतर्गत 6 प्रश्न दिए जाएँगे। दो प्रश्न गद्य भाग से दो प्रश्न पद्य भाग से तथा दो प्रश्न साहित्यकारों से संबंधित दिए जाएँगें। इसमें से तीन प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए छह अंक निर्धारित हैं।

- निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर को अंक प्रदान करने के तरीके :-

- विषय वस्तु की समझ, वम	- 2 अंक
- वाक्य निर्माण क्रम	- 2 अंक
- उचित शब्द का उपयोग	- 1 अंक
- शुद्ध वर्तनी	- 1 अंक
	6 अंक

(ख) सृजनात्मकता - (10 अंक)

पाठ्य पुस्तक में सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को न देकर उसी प्रकार के अन्य प्रश्न दिए जाएँगें। इसके अंतर्गत तीन प्रश्न दिए जाएँगे। एक प्रश्न पत्र एक निबंध तथा तीसरा अन्य विधा से संबंधित होगा। दो प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच अंक निर्धारित है।

- सृजनात्मक प्रश्नों के उत्तर को अंक प्रदान करने के तरीके :-

1. वार्तालाप / संभाषण

- पात्रानुसार संवाद	- 3 अंक
- वाक्य निर्माण क्रम	- 1 अंक
- वर्तनी की शुद्धता	- 1 अंक
	4 अंक

2. लेखन (पत्र लेखन के नियम)

- स्थान, दिनांक, संबोधक, पता, हस्ताक्षर	- 2 अंक
- विषय की अनुकूलता	- 2 अंक
- वाक्य निर्माण, वर्तनी की शुद्धता	- 1 अंक
	5 अंक

3. गीत / कविता पाँच से आठ पंक्तियों में लिखना

- विषय की अनुकूलता	- 2 अंक
- उचित शब्द प्रयोग	- 2 अंक
- वर्तनी की शुद्धता	- 1 अंक
	5 अंक

4. निबंध

- प्रस्तावना या भूमिका	- 1 अंक
- विषय विस्तार	- 2 अंक
- उपसंहार	- 1 अंक
- वाक्य निर्माण, वर्तनी की शुद्‌धता	- 1 अंक
	5 अंक

5. नारे / सूक्तियाँ

- विषय की अनुकूलता	- 2 अंक
- उचित शब्द चयन	- 1 अंक
- वाक्य निर्माण	- 1 अंक
- वर्तनी की शुद्‌धता	- 1 अंक
	5 अंक

6. साक्षात्कार- व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए

पूछे जाने वाले प्रश्न	- 1 अंक
- विषयगय प्रश्न	- 2 अंक
- प्रश्नों का क्रम - अनुसंधान	- 1 अंक
- वर्तनी की शुद्‌धता	- 1 अंक
	5 अंक

7. कथा/कहानी

- विषयारंभ/प्रभावोत्पादकता	- 1 अंक
- घटनाक्रम	- 2 अंक
- समापन	- 1 अंक
- वाक्य निर्माण, वर्तनी की शुद्‌धता	- 1 अंक
	5 अंक

8.	करपत्र - शीर्षक	- 1 अंक
	- संदेश	- 2 अंक
	- विषय-आवश्यकता	- 1 अंक
	- वाक्य निर्माण, वर्तनी की शुद्धता	- 1 अंक
		5 अंक
9.	कहानी आगे बढ़ाना - अर्थपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने पर	- 2अंक
	- उपसंहार	- 2 अंक
	- वाक्य निर्माण, वर्तनी की शुद्धता	- 1 अंक
		5 अंक
10.	घटना वर्णन - आरंभ / प्रभावोत्पादकता	- 1 अंक
	- कथोपकथन	- 2 अंक
	- उपसंहार	- 1 अंक
	- वाक्य निर्माण, वर्तनी की शुद्धता	- 1 अंक
		5 अंक

III. **भाषा की बात :- (20 अंक)**

(अ) शब्द भंडार - (10 अंक)

पाठ्य पुस्तक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची, भिन्नार्थ, व्युत्पदार्थ, मुहावरे, वाक्य प्रयोग, तत्सम, तद्भव आदि में से किसी भी अंश से संबंधित 10 प्रश्न दिए जाएँगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है।

(आ) व्याकरणांश - (10 अंक)

इसके अंतर्गत संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, शब्द-भेद, वाक्य-नकारात्मक, संयुक्त, सरल, मिश्रवाक्य, आदि अंशों से संबंधित दस प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है।

नमूना प्रश्न

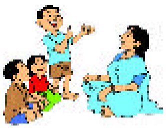

सुनो-बोलो

1. चित्र के बारे में बातचीत कीजिए।
2. कविता का शीर्षक तुम्हें कैसा लगा और क्यों?
3. कविता का सारांश अपने शब्दों में बताइए।
4. अगर तुम में विश्वास हो तो क्या कर सकते हो?
5. कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है? चर्चा कीजिए।
6. चित्र के बारे में अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए।
7. इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? क्यों?
8. साधु ने सिक्का गरीब को देने के लिए क्यों कहा होगा?
9. अगर आपको किसी की कोई चीज़ मिल जाए, तो आप क्या करेंगे?

पढ़ो

पढ़ना कौशल के पाठ्यपुस्तक में अभ्यास

- जोड़ी बनाना।
- विकल्प वाले प्रश्न
- हाँ या नहीं
- भाव संबंधी पंक्तियाँ पाठ में ढूँढ़ना।
- पाठ के आधार पर वाक्य क्रम में करना।
- पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न
- अपठित गद्यांश व पद्यांश
- भाव स्पष्ट करना।

(अ) नीचे दी गयी पंक्तियों के भाव बताने वाली पंक्तियाँ कविता में रेखांकित कीजिए।

1. हम में पूरा विश्वास है।
2. हम एक दिन अवश्य सफल होंगे।
3. हम सब मिलकर साथ चलेंगे।

(आ) नीचे दी गयी पंक्तियों में रेखांकित शब्द से एक और वाक्य बनाइए।

1. हम होंगे <u>कामयाब</u> एक दिन। - महात्मा गांधी <u>कामयाब</u> महापुरुष है।
2. होगी शांति <u>चारों ओर</u> एक दिन । - ....
3. नहीं <u>डर</u> किसी का आज । - ....

लिखो

लिखना

- अपने विचार क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, स्पष्ट व प्रभावी ढंग से लिख सकेंगे।
- पढ़े व सुने हुए विषय (पद्य व गद्य) का सार लिख सकेंगे।
- पढ़े व सुने हुए विषय (पद्य व गद्य) का विस्तार व व्याख्या लिख सकेंगे।
- अपने लेखन में विराम-चिह्नों का समुचित प्रयोग कर सकेंगे।
- बिना किसी वर्तनी दोष के लिख सकेंगे।
- किसी कार्य का कारण लिख सकेंगे।
- किसी के समर्थन में अपने विचार लिख सकेंगे।
- अंतर स्पष्ट करते हुए लिख सकेंगे।
- ज्ञात विषयों के बारे में लिख सकेंगे।
- किसी मत के पक्ष-विपक्ष में अपने विचार लिख सकेंगे।

(अ) नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1. कवि को किस बात का पूरा विश्वास है?
2. यहाँ पर किसके डर के बारे में बात हो रही होगी?
3. साथ-साथ चलना क्यों ज़रूरी है?

(आ) इस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।

शब्द भंडार

शब्द-भंडार

- परिचित शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का संदर्भोचित प्रयोग कर सकेंगे।
- कविता, कहानी, गीत, संवाद, निबंध, व्यंग्य, पत्र-लेखन, कर-पत्र, सूचना, विज्ञापन, एकांकी, रिपोर्ताज आदि में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का अर्थ समझ सकेंगे।

(अ) नीचे दिए शब्दों के अर्थ तेलुगु या अंग्रेज़ी में लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए।

डर	భయము	**बिल्ली को देखकर चूहा डर गया।**
कामयाब		
विश्वास		
शांति		
मन		

(आ) कविता में जो शब्द बार-बार आये हैं। उन्हें लिखो। वाक्य में प्रयोग कीजिए।

जैसे-साथ - मैं अपने पिताजी के साथ बाज़ार गया।

भाषा की बात

(अ) नीचे दिये गए मुहावरों के भाव समझिए।

1.जान में जान आना   2. खुशी के आँसू आना

(आ) अनुच्छेद पढ़िए। रेखांकित शब्दांशों पर ध्यान दीजिए।

राजा ने चिड़िया को प्यार से रखा। चिड़िया को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते थे। चिड़िया का मधुर गान सब को भाता था। चिड़िया का संगीत सुन कर सब मन में यही सोचते कि हे चिड़िया! तुम कितना मधुर गाती हो।

रेखांकित शब्दांश वाक्य में एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध जोड़ते हैं। इस तरह संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं-

कारक	-	विभक्तियाँ
कर्ता कारक	-	ने
कर्म कारक	-	को
करण कारक	-	से, के द्वारा
संप्रदान कारक	-	के लिए, को
अपादान कारक	-	से
संबंध कारक	-	का, के, की
अधिकरण कारक	-	में, पर
संबोधन कारक	-	हे, अरे, अजी

(इ) रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारकों से कीजिए।

1. राजा सुंदर महल ...... रहता था।
2. यात्रियों ...... अपने यात्रा वर्णन ...... महल ...... वर्णन किया।
3. राजा ...... चिड़िया ...... कभी नहीं देखा।
4. चिड़िया ...... सोने ...... पिंजरा बनवाया गया।
5. सेवकों ...... लड़की ...... पूछा।

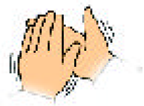

प्रशंसा

- गाँव के व्यवसायों से जुड़ी कोई कहानी कक्षा में सुनाइए।
- वृक्षो रक्षति रक्षितः के बारे में समझाइए।
- हमारे जीवन में नीति कथाओं का क्या महत्व है?
- साधु-संतों की वाणियों का अनुसरण क्यों करना चाहिए?

परियोजना कार्य

- गाँव के विभिन्न व्यवसायों के चित्र इकट्ठा कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए।
- किसी एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी प्राप्त करके लिखिए।
- अपने गाँव के सार्वजनिक स्थानों के बारे में लिखिए।
- अपने गाँव के खेतों में पैदा होने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करके लिखिए।
- अपने प्रिय पकवान के बनाने की विधि पता करके लिखिए।

सारांशात्मक मूल्यांकन - हिंदी (द्‌वितीय भाषा)

मौखिक प्रश्न पत्र

छठवीं कक्षा (6) अंक : 40

सूचनाः यह मौखिक प्रश्न पत्र नमूना मात्र है। अध्यापक इसी तरह का प्रश्न पत्र बनायें। उसकी परीक्षा वास्तविक परीक्षा से पहले ही आयोजित करें।

I. सुनो-बोलो

(अ) चित्र के बारे में बताइए। 10 अंक

(आ) किसी एक के बारे में बताइए। 10 अंक

- पाठशाला
- हमारा गाँव
- मनपसंद फल

II. पढो

कोई दस शब्द पढ़िए। 10 अंक

अनार	आरा	इमली	ईख	सुख	झूला
ऋषभ	एड़ी	मैदान	ऋषभ	ओस	औरत

IV. सृजनात्मक अभिव्यक्ति

नीचे दिये गये बालगीतों में से कोई एक बालगीत गाकर सुनाइए। 10 अंक

- आम ले लो आम!
- रेलवे स्टेशन
- मेरा परिवार

सारांशात्मक मूल्यांकन - हिंदी (द्वितीय भाषा)

लिखित प्रश्न पत्र - छठवीं कक्षा (6)

छात्र का नामः............................. **कुल अंक : 60**

I. पढो़ (10 अंक)

1. वाक्य पढ़िए। चित्र वाले शब्दों पर ‘◯’ लगाइए। 05 अंक

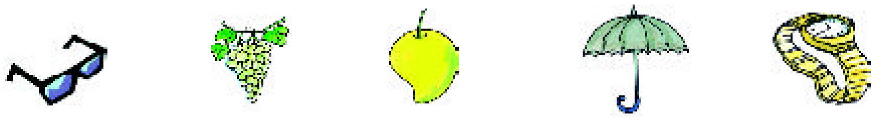

(अ) लड़की आम खाती है।

(आ) घड़ी समय बतलाती है।

(इ) यह छाता है।

(ई) अंगूर खट्टा-मीठा होता है।

(उ) यह दादाजी का ऐनक है।

2. जोड़ी बनाइए। 05 अंक

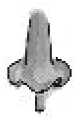

वट

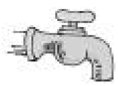

कीला

नाक

माला

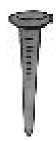

नल

3. संबंधित मात्रावाले शब्दों से जोड़े। 10 अंक

अ	हिरण
आ	कोयल
इ	पेड़
ई	थैली
उ	धागा
ऊ	कृषक
ऋ	खीरा
ए	सुई
ऐ	मूली
ओ	जल
औ	अंडा
अं	कौआ

II. लिखो

1. नीचे दी गयी बारहखड़ी लिखिए। 10 अंक

	ा	ि	ी	ु	ू	ृ	े	ै	ो	ौ	ं	ः
क	का											
त	ता											

2. तालिका मेंफलों के नाम ढूँढ़कर लिखिए। 05अंक

के	ठ	अ	से
ला	ग	ना	ब
अं	गू	र	आ
ढो	ल	थ	म

उदाः दस

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. ....

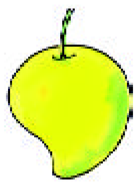

3. सुंदर अक्षरों में लिखिए।

05अंक आम इमली ऊन ऐनक औरत

4. नीचे दिये गये चित्र देखिए। नाम लिखिए। 20 अंक

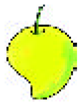 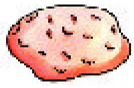

....

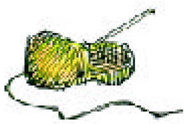

....

⌘⌘⌘ समाप्त ⌘⌘⌘

सारांशात्मक मूल्यांकन - हिंदी (द्वितीय भाषा)

लिखित प्रश्न पत्र - सातवीं कक्षा (7)

छात्र का नामः.............................. **कुल अंक : 90**

I. पढो (10 अंक)

1. नीचे दी गयी कविता पढ़िए। 5 अंक

मन करता है चिड़िया बनकर
चीं-चीं-चूँ-चूँ शोर मचाऊँ।
मन करता है चरखी लेकर
पीली-लाल पतंग उड़ाऊँ।

अब इन प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प से दीजिए।

(अ) कवि क्या बनना चाहता है? (   )

(क) चिड़िया (ख) गाय (ग) आदमी

(आ) कवि कैसे शोर मचाना चाहता है? (   )

(क) कू-कू (ख) चीं-चीं-चूँ-चूँ (ग) भौ-भौ

(इ) कवि क्या उड़ाना चाहता है? (   )

(क) गुब्बारा (ख) पत्ता (ग) पतंग

(ई) चरखी का संबंध किससे है? (   )

(क) गुब्बारा (ख) पत्ता (ग) पतंग

(उ) इस कविता के कवि कौन हैं? (   )

(क) माखनलाल (ख) सुरेंद्र विक्रम (ग) कबीर

2. नीचे दिया गया अनुच्छेद पढ़िए। 05 अंक

मेरा नाम संगीता है। मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं स्वास्थ्य समिति की सदस्या हूँ। हमारी पाठशाला में सोमवार को दाँतों की जाँच करते हैं। मंगलवार को सर और बालों की जाँच करते हैं। बुधवार को आँखों की जाँच करते हैं। गुरुवार को नाखून की जाँच करते हैं। शुक्रवार को हाथ-पैरों की जाँच करते हैं। शनिवार को पौष्टिक भोजन की जानकारी देते हैं।

अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रः सोमवार को क्या करते हैं।

उः ....

प्रः बुधवार को क्या करते हैं।

उः ....

प्रः संगीत किस कक्षा में पढ़ती है?

उः ....

प्रः नाखून की जाँच किस दिन करते हैं?

उः ....

प्रः पौष्टिक आहार की जानकारी कब देते हैं?

उः ....

3. जोड़ी बनाइए। 05 अंक

कोयल	डरकर भागने लगा।
पेड़	कंजूस था।
हिंदी	मीठे गीत सुनाती है।
खरगोश	हमारी राजभाषा है।
सेठ	हमें छाया देते हैं।

4. हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। 05 अंक

(अ) पतंग दौड़ती है। ( )

(आ) चिड़िया उड़ती है। ( )

(इ) पेड़ चलते हैं। ( )

(ई) हाथी एक पक्षी है। ( )

(उ) हमें रोज स्नान करना चाहिए। ( )

II. लिखो (30 अंक)

1. नीचे दिये गये प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर 6-8 पंक्तियों में दीजिए। 2X6=12 अंक

(अ) 'मन करता है' कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए।

(आ) हिंदी सीखने से क्या लाभ हैं?

(इ) पेड़ ने अमर की सहायता कैसे की?

(ई) 'आसमान गिरा' कहानी अपने शब्दों में लिखिए।

2. नीचे दिये गये प्रश्नों में से किन्हीं छह प्रश्नों के उत्तर 2-3 पंक्तियों में दीजिए।6X3=18 अंक

(अ) 'मन करता है' कविता में बालक क्या-क्या बनना चाहता है?

(आ) हम हिंदी कैसे सीख सकते हैं?

(इ) खरगोश के पीछे कौन-कौन भाग रहे थे?

(ई) अड़ोस-पड़ोस की सफ़ाई के लिए क्या करना चाहिए? लिखिए।

(इ) 'कंजूस सेठ' कहानी से तुमने क्या सीखा?

(ई) पेड़ से हमें क्या-क्या लाभ हैं?

(उ) मेधा ने प्रधानाध्यापक को पत्र क्यों लिखा?

(ऊ) सेठ नारियल के पेड़ पर क्यों चढ़ा?

III. सृजनात्मक अभिव्यक्ति

1. किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 1X8=8 अंक

   (अ) हिंदी (आ) हमारा स्वास्थ्य

2. कोई एक पत्र लिखिए। 1X7=7 अंक

   (अ) बीमार पड़ने पर छुट्टी माँगते हुए कक्षाध्यापक के नाम पत्र लिखिए।

(आ) मेला देखने की अनुमति माँगते हुए प्रधानाध्यापक के नाम पत्र लिखिए।

3. संकेत के आधार पर पेड़ के बारे में लिखिए। 1X5=5 अंक

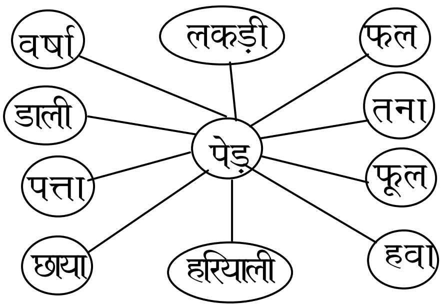

IV. भाषा की बात

शब्द भंडार

1. शब्दों के अर्थ लिखिए। अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 3X2=6 अंक

   (अ) आसमान (आ) पेड़ (इ) विद्यालय

2. रेखांकित शब्द का विलोम उसी वाक्य में पहचनाकर लिखिए। 2X1=2 अंक

   (अ) वह <u>शहर</u> से बहुत दिनों बाद गाँव लौटा।

   (आ) सेठ पेड़ पर <u>चढ़</u> गया, लेकिन उतर नहीं सका।

3. मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। 2X1=2 अंक

   (अ) मन करना (आ) अकड़ दिखाना

4. मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। 2X1=2 अंक

(अ) मन करना(आ) अकड़ दिखाना

व्याकरणांश

5. रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। 3X1=3 अंक

(अ) लड़का दौड़ रहा है।

(आ) शेर शिकार करता है।

(इ) सेठ बड़ा कंजूस था।

6. रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। 3X1=3 अंक

(अ) तितली उड़ रही है।

(आ) आम का पेड़ हरा-भरा होता है।

(इ) लड़की पढ़ रही है।

7. शब्द-भेद पहचानिए। 2X1=2 अंक

(अ) वाक्य में संज्ञा शब्द लिखिए।

- अमर सो रहा है।

(आ) वाक्य में सर्वनाम पहचानिए।

- वह खेल रहा है।

8. वर्तनी शुद्ध कीजिए। 2X1=2 अंक

(अ) दोसत (आ) चरकी

सारांशात्मक मूल्यांकन - हिंदी (द्वितीय भाषा)

लिखित प्रश्न पत्र - आठवीं कक्षा (8)

छात्र का नामः.............................. कुल अंक : 90

सूचना :- सुनना-बोलना तथा प्रशंसा कौशल से संबंधित प्रश्न अध्यापक पहले ही तैयार करें। प्रत्येक कौशल के लिए पाँच-पाँच अंक हों। इसकी परीक्षा का आयोजन पहले ही कक्षा-अध्यापन के दौरान कर लिया जाए। (10 अंक)

I. पढो् (20 अंक)

1. नीचे दी गयी कविता पढ़िए। 5 अंक

अगर न होता चाँद रात में
हमको दिशा दिखाता कौन?
अगर न होता सूरज, दिन को
सोने सा चमकाता कौन?

अब इन प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प से दीजिए।

(अ) रात में यह दिखायी देता है? ( )

(क) सूर्य (ख) चाँद (ग) मंगल

(आ) सूरज कब दिखायी देता है? ( )

(क) रात में (ख) वर्षा में (ग) दिन में

(इ) सूरज क्या करता है? ( )

(क) चमकाता है (ख) दिखलाता है (ग) सो जाता है

(ई) दिशा कौन दिखाता है? ( )

(क) सूर्य (ख) चाँद (ग) मंगल

(उ) इस कविता के कवि कौन हैं? ( )

(क) बालस्वरूप राही (ख) शैलेंद्र (ग) साहिर

2. नीचे दिया गया अनुच्छेद पढ़िए। 05 अंक

कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आँखों के समान हैं। वे सब देख लेते हैं। समुद्र में उठते तूफान, धरती पर होने वाले तरह-तरह के विस्फोट, यहाँ-वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध

यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं। अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। ये पलक झपकते ही संदेशों को, चित्रों को, टेलिविज़न कार्यक्रमों को हज़ारों मिल दूर पहुँचाते हैं।

प्रः ऊपर लिखा गद्यांश किस पाठ का है?

उः ....

प्रः कृत्रिम उपग्रह किसके समान है?

उः ....

प्रः हमें मौसम की जानकारी किसके द्वारा मिलती है?

उः ....

प्रः 'समान' का विलोम अर्थ क्या है?

उः ....

प्रः कृत्रिम उपग्रह से क्या लाभ है?

उः ....

3. जोड़ी बनाइए। 05 अंक

गिरिजा कुमार माथुर	सोने का सिक्का मिला।
राजेश को	'हम होंगे कामयाब' के कवि हैं।
बढ़ई	हरियाली फैलाता है।
पेड़	खुरपी, हथौड़ा आदि बनाता है।
लुहार	लकड़ी का काम करता है।

4. हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। 05 अंक

(अ) साधु ने सोने का सिक्का ले लिया। ( )

(आ) सोनार मटके, घड़े आदि बनाते हैं। ( )

(इ) जुलाहा कपड़े बुनने का काम करता है। ( )

(ई) नदियाँ हमारी प्यास बुझाती हैं। ( )

(उ) मिलजुलकर रहने से हम कामयाब होते हैं। ( )

II. लिखो (10 अंक)

1. नीचे दिये गये प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर8 पंक्तियों में दीजिए। 2 X 6 =12 अंक

(अ) 'हम होंगे कामयाब' कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।

(आ) राजा कैसे बदल गया?

(इ) रमेश और रानी के गाँव के बारे में लिखिए।

(ई) 'धरती की आँखें' पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।

2. नीचे दिये गये प्रश्नों में से किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। 6 X 3= 18 अंक

(अ) हमें कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए?

(आ) विज्ञान ने हमें क्या सुविधाएँ दी हैं?

(इ) कुम्हार के बारे में आप क्या जानते हैं?

(ई) गाँवों की क्या विशेषता होती है?

(उ) राजा बदल गया पाठ से हमें क्या सीख मिलती है?

(ऊ) मिलजुलकर काम करने से क्या लाभ है?

(ऋ) किसान क्या-क्या काम करते हैं?

(ए) राजेश कैसा लड़का था?

III. सृजनात्मक अभिव्यक्ति

1. किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 1X8=8 अंक

(अ) भारत के गाँव (आ) विज्ञान की देन

(इ) हमारा स्वास्थ्य (ई) पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस

2. कोई एक पत्र लिखिए। 1X7=7 अंक

(अ) भाई की शादी में जाने के लिए प्रधानाध्यापक के नाम छुट्टी-पत्र लिखिए। (आ) हिंदी का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए।

3. संकेत के आधार पर लिखिए। 1X5=5 अंक

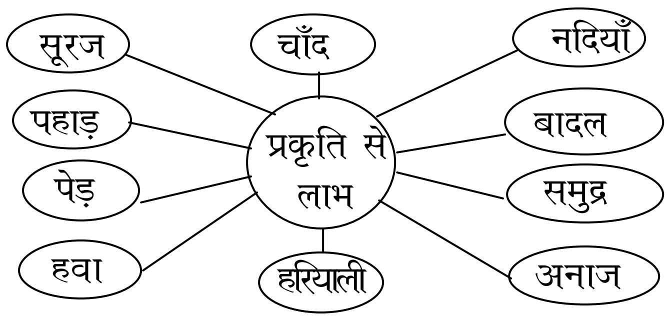

IV. भाषा की बात

शब्द भंडार

1. शब्दों के अर्थ लिखिए। अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 3X2=6 अंक

(अ) मेहनत (आ) आभूषण (इ) वन

2. रेखांकित शब्द का विलोम उसी वाक्य में पहचनाकर लिखिए। 2X1=2 अंक

(अ) हम साथ मिलकर रहेंगे तो चारों ओर शांति फैलेगी, कहीं अशांति नहीं होगी।

(आ) यदि सभी अमीर सहायता करें तो संसार में कोई गरीब नहीं रहेगा।

3. मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। 2X1=2 अंक

(अ) प्रश्न उठाना (आ) दिन दूनी रात चौगुनी

व्याकरणांश

4. रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। 3X1=3 अंक

(अ) राजा नगर में घूमने गया।

(आ) घोड़ा तेज दौड़ता है।

(इ) दादाजी बाज़ार जा रहे हैं।

6. रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। 3X1=3 अंक

(अ) मैं पढ़ रहा हूँ।

(आ) यह टीकरी है।

(इ) लड़का पढ़ रहा है।

7. शब्द-भेद पहचानिए। 2X1=2 अंक

(अ) वाक्य में विशेषण शब्द लिखिए।

- आम मीठा होता है।

(आ) वाक्य में क्रिया विशेषण पहचानिए।

- घोड़ा तेज दौड़ रहा है।

8. वाक्य शुद्ध कीजिए। 2X1=2 अंक

(अ) वह पढ़ रहा हूँ।

(आ) तुम पढ़ रहे हैं।

सारांशात्मक मूल्यांकन - हिंदी (द्‌वितीय भाषा)

लिखित प्रश्न पत्र - नवीं कक्षा (9)

छात्र का नामः............................... **कुल अंक : 80**

I. अ) नीचे दिए गए गद्‌यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5x1=5

बच्चे ओस की बूँदों की तरह शुद्‌ध और पवित्र होते हैं। वे कल के नागरिक हैं। आजकल प्रयाः घर-घर में 'टॉपर्स' और 'रैंकर्स' तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आठ वर्षीय ईशान अवस्थी (दर्शाल सफ़ारी) का मन पढ़ाई के बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगता है।

1. बच्चे किस की तरह होते हैं?
2. बच्चे कल के क्या है?
3. आजकल घर में किसे तैयार करने की कोशिश की जा रही है।
4. ईशान का मन किसमें लगता था?
5. ''नागरिक'' शब्द का प्रत्यय बताइए?

आ) नीचे दिए गए गद्‌यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए - 5x1=5

साहित्य, कला, नृत्य, गीत आमोद-प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने-अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है।

1. राष्ट्रीय जन किन भावों को प्रकट करते हैं?
2. राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन-किन रूपों में प्रकट करते हैं?
3. आत्मा का विश्वव्यापी भाव क्या है?
4. आत्म का विश्वव्यापी भाव किन-किन रूपों में प्रकट होता है?
5. ''साकार'' शब्द का विलोम लिखिए?

इ) नीचे दिए गए पद्‌यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए - 5x1=5

मैंने हँसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना।
बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना।
मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीडा?
हँस हँस जीवन में कैसे करती हैं चिंता क्रीडा?

1. मैने .... सीखा है।

   अ) हँसना आ) रोना इ) खोना ई) होना

2. कवयित्री के जीवन में क्या बरसता है ....

अ) सोना आ) चाँदी इ) हीरा ई) ये सभी

3. ''हँसना'' शब्द का विलोम।

अ) खेलना आ) दौडना इ) रोना ई) यह सभी

4. कवयित्री क्या नहीं जान पाई?

अ) मोड़ा आ) घोडा इ) सोडा ई) पीडा

5. हंस हंस कर जीवन में .... करती है।

अ) चिंता क्रीडा आ) मधुक्रीडा

इ) सुधा क्रीडा ई) यह सभी

ई) नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए - 5x1=5

नित्य वेद पाठ, नित्य जप करें
नित्य-गंगा धार में तिरे तरे
प्रेम जो न तो मनुज अशुद्ध है,
प्रेम तो सदैव ही समृद्ध है।

1. ''नित्य'' का अर्थ बताइए?

अ) हमेशा आ) हर दिन इ) नित्य दिन ई) इनमें से कुछ भी नहीं

2. मानव नित्य क्या करता है?

अ) पुण्य आ) पाप इ) धाप ई) यह सभी

3. समृदधता कैसे प्राप्त होगी?

अ) समृद्ध व्यवहार आ) नित्य व्यवहार

इ) व्यवहार पूर्ण ई) प्रेम पूर्ण व्यवहार

4. ''अशुद्ध'' शब्द का विलोम लिखिए

अ) शुद्ध आ) शुद्धता इ) शुद्धपूर्ण ई) यह सभी

5. ''सदैव'' शब्द का संधि-विच्छेद कीजिए?

अ) सद + इव आ) सदा + एव

इ) सदइ + व ई) सत् + एव

II. अभिव्यक्ति सृजनात्मकता 4 x 3 = 12

अ) नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 पंक्तियों में लिखिए।

1. जीवन में हँसने का क्या महत्व है?
2. कवि के अनुसार तरंगें हमें क्या संदेश देती है?
3. वस्तु की प्रमाणिकता से आप क्या समझते हैं?
4. अंतरिक्ष का अर्थ बताते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताइए?

आ) नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 पंक्तियों में लिखिए। 3 x 6 = 18

1. हमारे जीवन अतिथि का क्या महत्व है? अपने विचार बताइए।

   या

   हमें कैसे प्रयत्नों से सफलता मिल सकती है?
2. युधिष्ठिर की जगह तुम होते तो किसे जीवित करवाना चाहते और क्यों?

   या

   सुनीता विलियम्स भावी नागरिकों को क्या संदेश देती है।
3. सोहन लाल द्विवेदी का साहित्यिक परिचय दीजिए।

   या

   कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय दीजिए।

इ) ग्रामीण जीवन के सौंदर्य के बारे में अपने विचार लिखिए?

या

सीखने से संबंधित कोई एक कविता लिखिए।

ई) तीन दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान-अध्यापक के नाम पत्र लिखिए।

या

अपने मित्र को पोंगल की छुट्टियाँ में आने का आमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए।

III. व्याकरणांश

अ) नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से पहचानिए। 20 x 1 = 20

1. हमारे भारत में <u>हिंसा</u> प्रवृत्ति बढ़ रही है। (विलोम शब्द)

   अ) दुहिंसा आ) सहिंसा इ) अहिंसा ई) यह सभी

2. नानी हमें रोज़ नई कहानी सुनाती है। (वचन बदलकर)

अ) कहानियाँ आ) कहाने इ) कहीने ई) कहानियी

3. 'अभि' उपसर्ग लगाकर एक शब्द बनाइए?

अ) अनु आ) मान ई) नाम ई) यह सभी

4. मानव जीवन सुख-दुख का संगम है।

अ) सुख व दुख आ) सुख-सुख

इ) सुख और दुख ई) दुख - दुख

5. 'आसमान' शब्द का अर्थ लिखिए।

अ) गगन आ) विहंग इ) खग ई) पवन

6. दार्शनिक शब्द का प्रत्यय चुनिए।

अ) एक आ) इक इ) दार्श ई) यह सभी

7. 'वयोवृद्ध' संधि-विच्छेद कीजिए।

अ) वय + अवृद्ध आ) व + योवृद्ध

इ) वयव + ऋद्ध ई) वयः + वृद्ध

8. 'चोली दामन का साथ' मुहावरे का अर्थ क्या है?

अ) घनिष्ठ संबंध होना आ) रक्षित स्थल होना

इ) दामन का साथ ई) प्रकाशित होना

9. बादल बरसते है (रेखांकित शब्द का पद-परिचय दीजिए।)

अ) सर्वनाम आ) संज्ञा इ) क्रिया ई) विशेषण

10. 'आ' उपसर्ग जोड़कर एक नया शब्द बनाइए।

अ) जन्म आ) मृत्यु इ) नवीन ई) आज

11. बूढा (भाववाचक संज्ञा में बदलिए)

अ) बूढ़ाना आ) बुढ़ापा इ) बूढावा ई) यह सभी

12. हमारे पूर्वजो ने हमें स्वच्छ .... स्वस्थ ग्रह दिए।

(सम्मुच्य बोधकों से रिक्त स्थान भरिए।)

अ) बल्कि आ) के इ) और ई) पास

13. यहाँ अनेक धर्मों व जातियों .... लोग रहते हैं।
(उचित कारक चिह्नों से भरिए।)
अ) के आ) को इ) कै ई) का

14. सुनीता विलियम्स देश का नाम ऊँचा .... हैं।
अ) करतो आ) करती इ) करते ई) यह सभी

15. .... मुझे अच्छे अंक मिले।
(रिक्त स्थान की पूर्ति उचित अव्ययों से कीजिए)
अ) वाह! आ) ओह! इ) अरे! ई) इनमें से कुछ भी नहीं

16. फुटबाल अच्छा खेल है। (इसमें प्रश्नवाचक में बदलिए।)
अ) फुटबाल अच्छा खेल है क्या?
आ) क्या फुटबाल अच्छा है?
इ) फुटबाल कैसा खेल है?
ई) इनमें से कुछ भी नहीं

17. सेवकों ने लड़की .... पूछा (कारक द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।)
अ) ने आ) से इ) में ई) को

18. हम सब मेले में जायेंगे। (नकारात्मक रूप में बदलिए।)
अ) हम सब मेले में जायेंगे नहीं।
आ) हम सब मेले में नहीं जायेंगें।
इ) नही हम सब मेले में जायेंगे।
ई) यह सभी

19. ''जो उपासना करने वाला'' शब्द समूह लिखिए।
अ) उपासना करनेवाला आ) भक्त
इ) उपासक ई) यह सभी

20. अपनी गलती पर अफसोस .... कीजिए।
अ) मत आ) मात इ) तम ई) नहीं

सारांशात्मक मूल्यांकन - हिंदी (द्‌वितीय भाषा)

लिखित प्रश्न पत्र - दसवीं कक्षा (10)

हाल टिकट नं.:.............................. **कुल अंक : 80**

सूचना :-

(अ) पाठ्‌यपुस्तक में 'अर्थग्राह्‌यता-प्रतिक्रिया' स्तंभ में 'सुनना-बोलना' तथा 'पढ़ना' कौशल के प्रश्न हैं। 'अभिव्यक्ति-सृजनात्मकता' में 'लिखना', 'सृजनात्मक कार्य' तथा 'प्रशंसा' कौशल हैं। 'भाषा की बात' में 'शब्दभंडार' तथा 'व्याकरणांश' हैं। अध्यापक इन्हीं कौशलों के आधार पर भार-तालिका का अनुसरण करते हुए प्रश्न पत्र बनाएँ।

(आ) राज्य सरकार ने शैक्षिक वर्ष में आयोजित की जाने वाली चार रचनात्मक परीक्षाओं को सशक्त रूप से आयोजित करने व उसके महत्व को बढाने के लिए प्रत्येक रचनात्मक परीक्षा के औसत पाँच अंक अर्थात चार रचनात्मक परीक्षाओं के कुल मिलाकर बीस अंक ऑनलाइन के माध्यम से बोर्ड को भेजने का निर्णय लिया है। (20 अंक)

I. अर्थग्राह्‌यता-प्रतिक्रिया (पढ़ो)

1. नीचे दी गयी कविता पढ़िए। 5 अंक

ऊँच-नीच का भेद मिटाकर, दिल में प्यार बसायेंगे।
नफ़रत का हम तोड़ कुहासा, अमृत रस सरसायेंगे।।
हम निराशा दूर भगाकर, फिर विश्वास जगायेंगे।
हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनायेंगे।।

अब इन प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प से दीजिए।

1. कवि यहाँ ऊँच-नीच के माध्यम से क्या अभिव्यक्त करना चाहता है? ( )
   (A) समता (B) ममता (C) विषमता (D) क्षमता
2. ठंडी की दिनों में यह दिखता है- ( )
   (A) गर्मी (B) कुहासा (C) अमृत (D) निराशा
3. रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? ( )
   (A) अनिराशा (B) विश्वास (C) आशा (D) अविश्वास
4. पवित्र शब्द के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है? ( )
   (A) प्यार (B) अमृत (C) विश्वास (D) पावन
5. इस कविता के कवि कौन हैं ( )
   (A) सुमित्रानंदन (B) मीराबाई (C) आर.पी.निशंक (D) विष्णु प्रभाकर

2. नीचे दिया गया अनुच्छेद पढ़िए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 05 अंक

आज संसार का यह सर्वोच्च शिखर केवल पुरुष पर्वतारोहियों के लिए ही सुरक्षित नहीं है। जुंको ताबेई ने जो मार्ग विश्व की महिलाओं के लिए खोल दिया, उस पर चलने के लिए आज विश्व की अनेक महिलाएँ साहसिक कार्यों में आगे आ रही हैं। भारतीय महिला पर्वतारोहियों ने इस क्षेत्र में आगे आने के कई मंज़िलें तय की थीं।

1. यहाँ किस शिखर के बारे में उल्लेख हो रहा है?
2. जुंको ताबेई किनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं?
3. 'सर्वोच्च' किन दो शब्दों से बना है?
4. रेखांकित शब्द का वचन बदलिए।
5. इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए।

GRK

3. जोड़ी बनाइए। 05 अंक

हमीद	यह सीधे जनता का संगीत है।
सावन	तो दूसरा भाग्यवाद के छल से भोगता है।
यदि एकअर्थ पाप से कमाता है	ईदगाह कहानी का पात्र है।
लोकगीत	देश की राजभाषा है।
हिंदी	मेघ बरसते हैं।

4. भाव से संबंधित दोहे लिखिए। 05 अंक

1. संपत्ति होने पर सभी अपने होते हैं, विपत्ति के समय ही अपनों का पता चलता है।
2. किसी वस्तु की अति आशा व्यक्ति को पागल बना देती है।

II. अभिव्यक्ति-सृजनात्मकता

लिखना **(30 अंक)**

1. नीचे दिये गये प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर 8 पंक्तियों में दीजिए। 2X6 = 12 अंक

(अ) 'जल ही जीवन है' पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।

(आ) रैदास और मीराबाई की तुलना करते हुए उनके भक्ति पदों का सारांश लिखिए।

(इ) 'धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब' शीर्षक कहाँ तक उचित है? विश्लेषण करें।

(ई) 'बरसते बादल' कविता के माध्यम से पंत जी 'प्रकृति के बेजोड़' कवि हैं। सिद्ध करें।

2. नीचे दिये गये प्रश्नों में से किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। 6X3=18 अंक

(अ) हामिद का चिमटा खरीदना कहाँ तक उचित है? अपना पक्ष रखिए।

(आ) उलझनों में कैसे आगे बढ़ना चाहिए?

(इ) जीवन में परिश्रम का क्या महत्व है?

(ई) आधुनिक समाज में लोकगीतों का क्या महत्व है?

(उ) 'हिंदी से देश की एकता बढ़ती है।' सिद्ध करें।

(ऊ) 'स्वराज्य की नींव' पाठ से अपने मनपसंद के तीन कथन लिखिए।

(ऋ) किसी भी राज्य की प्रगति में नदियों का क्या योगदान होता है?

(ऊ) कलाम के विचार में 'आदर्श छात्र' के क्या गुण हैं?

अभिव्यक्ति-सृजनात्मकता (सृजनात्मक अभिव्यक्ति)

1. किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 1X8=5 अंक

(अ) पर्यावरण और प्रदूषण (आ) भारतीय संस्कृति

(इ) मेरा प्रिय खेल (ई) प्रिय नेता

2. कोई एक पत्र लिखिए। 1X7=5 अंक

(अ) पंद्रह अगस्त के कार्यक्रम का वर्णन करते हुए भाई को पत्र लिखिए।

(आ) बहन की शादी में जाने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी माँगते हुए प्रधानाध्यापक के नाम पत्र लिखिए।

3. जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित प्रेरणात्मक पोस्टर बनाइए। 1X5=5 अंक

IV. भाषा की बात

शब्द भंडार

1. शब्दों के अर्थ लिखिए। अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 3X1=3 अंक

(अ) प्रतियोगिता (आ) भीड़ (इ) संघर्ष

2. रेखांकित शब्द का विलोम उसी वाक्य में पहचनाकर लिखिए। 1X1=1 **अंक**

(अ) अमीर व्यक्ति को गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए।

3. मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। 1X1=1 **अंक**

(अ) जान से प्यारा होना

व्याकरणांश

अ) नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से पहचानिए। 20 x 1 = 20

1. प्रगति इसमें उपसर्ग पहचानिए।

   अ) प्र आ) प्रग इ) गति ई) ती

2. ''प्रसन्नता'' शब्द का पर्याय लिखिए।

   अ) संतोष, हर्ष आ) मोद, मोहक

   इ) संतोष, संपर्क ई) हर्ष, पय

3. ''आंखो का तारा'' मुहावरे का अर्थ?

   अ) अतिरिक्त आ) अत्यंत इ) अतिप्रिय ई) अन्य

4. ''घृणा'' शब्द का विलोम लिखिए।

   अ) प्रेम आ) द्वेस इ) शांत ई) अमर

5. ''सर्वोत्तम'' शब्द का संधि विच्छेद कीजिए।

   अ) सर्वो + तम आ) सव + उत्तम

   इ) सर्व + उत्तम ई) स्व + उत्तम

6. 'मानवता'' इसमें प्रत्यय पहचानिए।

   अ) वता आ) मा इ) नवता ई) ता

7. ''जगन्नाथ'' शब्द का संधि विच्छेद कीजिए।

   अ) जग + नाथ आ) जगन + अनाथ

   इ) जगत् + नाथ ई) जग + अनाथ

8. हमारे यहाँ जल होता .... हम पृथ्वी पर न आते।

   अ) तो आ) तुम इ) न ई) नही

9. यह तो कोई यान है (भूत काल में बदलकर लिखिए।)

अ) यह तो कोई यान होगा आ) यह तो कोई यान था

इ) यह तो कोई यान हुआ होगा ई) इनमें कुछ भी नहीं

10. देश को एकता ....सूत्र में बांधने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई

अ) के आ) मं इ) से ई) पर

11. ''बैर'' शब्द का अर्थ क्या है?

अ) मित्र आ) मित्रता इ) शत्रु ई) शत्रुता

12. सफलता शब्द का विलोम लिखिए।

अ) विफलता आ) विमुखता इ) असफलता ई) इनमें से कुछ नहीं

13. राजू पुस्तक .... है।

अ) पढ़ेगा आ) पढ़ता इ) पढ़ायेगा ई) पढ़वायेगा

14. मीत, रीत मित्र दोस्त बेमेल शब्द पहचानिए।

अ) मीत आ) रीत इ) मित्र ई) दोस्त

15. लोकगीत, लोकतंत्र (इस तरह के 'लोक' शब्द बने दो शब्द लिखिए।)

अ) लोकगीत, लोकेंद्र आ) लोककथा, लोकनृत्य

इ) लोकतंत्र, लोकगीत ई) इनमें से कुछ भी नहीं

16. ''भाग्यवान'' में प्रत्यय पहचानिए।

अ) वान आ) भा इ) न ई) ग्य

17. अध्यापक के द्वारा कविता पढ़ाई .... है।

अ) होता आ) जा रही होगी इ) होती ई) जाती

18. ''सौ वर्षो का समय'' .... इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं? वह क्या है ( )

अ) दशाब्दी आ) शताब्दी इ) शतक ई) यह सभी

19. .... स्त्रियाँ ढ़ोलक की मदद से गाती है? (रिक्त स्थान में सही शब्द से प्रश्नवाचक में बदलिए।)

अ) क्या आ) कौन इ) कैसा ई) किस

20. ''भारतवासी'' समास विग्रह कीजिए।

अ) भारत को वासी आ) भारत और वासी

इ) भारतवासी ई) भारत के वासी

७ शिक्षण अधिगम सूचनाएँ
(Teaching Learning - Guidlines)

- छात्राध्यापकों को चाहिए कि वे शिक्षण अभ्यास करें।
- भाषा शिक्षण के अनुसार शिक्षण अभ्यास करें।
- सहगामी पाठ्यक्रम में से किसी एक विषय में शिक्षण अभ्यास करें।
- भाषा विषय में एक पाठ पद्‌य से, एक पाठ गद्‌य से और एक पाठ उपवाचक का शिक्षण अभ्यास करें।
- भाषेतर विषयों (गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन) में बीस कालांश अनिवार्य रूप से पढा़यें।
- यदि किसी पाठ में बीस से अधिक कालांश हों तो उसे भी पढा़यें।
- सहगामी पाठ्यक्रम के लिए दो कालांश निर्धारित करें। उसके लिए कालांश योजना बनाकर शिक्षण अभ्यास करें।
- प्रत्येक शिक्षण विषय में बीस पाठयोजनाएँ लिखें। इन बीस कालांशों में पाँच कालांशों का निर्माण आईसीटी का उपयोग करते हुए करें।
- सतत समग्र मूल्यांकन शिक्षण का ही अंतर्भाग है। अतः रचनात्मक मूल्यांकन का आकलन शिक्षण के समय ही होना चाहिए।

- शिक्षण अभ्यास की समाप्ति पर सारांशात्मक आकलन का आयोजन करें। इसके लिए प्रश्न पत्र का निर्माण करें। उत्तर-पत्र की जाँच करें। ग्रेड निर्धारण भी करें।
- सतत समग्र मूल्यांकन के आधार पर ही एसएटी पंजिकाएँ की पूर्ति करें।

शिक्षण अभ्यास के पूर्व क्या करें?

- प्रशिक्षण कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन कर वार्षिक योजना तैयार करवायें।
- छात्राध्यापकों को वार्षिक योजना के बारे में समझाएँ।
- तत्पश्चात छात्राध्यापकों को समूहों में बाँटें। वार्षिक योजना समूह में चर्चा कर निर्माण करवायें। आवश्यक सहायता प्रदान करें।
- समूह में तैयार की गयी वार्षिक योजना का प्रस्तुतीकरण करें। उस पर पूर्ण कक्षा स्तर पर चर्चा करवायें।
- तत्पश्चात छात्राध्यापकों से व्यक्तिगत तौर पर वार्षिक योजना तैयार करवायें।
- इसी तरह से कार्यशाला का आयोजन कर इकाई अथवा पाठ योजना का निर्माण करवायें।
- शिक्षण सोपानों का प्रदर्शन कक्षा में करवायें।
- शैक्षिक मापदंडों के बारे में छात्राध्यापक एक-एक कर बताएँ।
- हर विषय में पाँच कालांशों का प्रदर्शन छात्राध्यापक शिक्षक के सामने प्रस्तुत करें।

शिक्षण अभ्यास के दौरान क्या करें?

- छात्राध्यापकों के पास लिखित रूप में वार्षिक योजना, पाठयोजना, कालांश योजना होनी चाहिए।
- शिक्षण के लिए आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए।
- शिक्षण के दौरान
  - क्या कालांश योजना का पालन हो रहा है?
  - क्या रचनात्मक मूल्यांकन हो रहा है?
  - छात्रों की भागीदारी कैसी है?
  - क्या विचारात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं?
  - क्या पाठ के बीच-बीच में दिये गये प्रश्न पूछ रहे हैं?
  - क्या समकालीन विषय जोड़ रहे हैं?

- C क्या शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग हो रहा है?
- C क्या मूल्यांकन किया जा रहा है?

- ■ उक्त प्रक्रिया संपन्न होने पर ही शिक्षण अभ्यास की प्रक्रिया का पता चलता है।
- ■ विषय छात्राध्यापक शिक्षक को चाहिए कि वे छात्राध्यापकों का निरीक्षण उक्त प्रक्रियाओं के आधार पर ही करें।

शिक्षण अभ्यास के उपरांत क्या करें?

- ■ सतत समग्र मूल्यांकन से जुड़ें कार्य पूरा करें।
- ■ रचनात्मक मूल्यांकन का क्षेत्रवार प्रगति अंकन करें।
- ■ सारांशात्मक मूल्यांकन का प्रश्न पत्र निर्माण करें।
- ■ प्रश्न पत्र का निर्माण भार तालिका व शैक्षिक मापदंडों के आधार पर करें।
- ■ उत्तर-पत्रों की जाँच करें।
- ■ मूल्यांकन के उपरांत शैक्षिक मापदंडवार बालकों की प्रगति का अंकन ग्रेड के रूप में करें।
- ■ ग्रेडिंग के आधार पर बालकों के प्रदर्शन का अंकन पंजिकाओं में करें।
- ■ शैक्षिक मापदंडवार विश्लेषण करें।
- ■ विश्लेषण के आधार पर अल्प प्रगति वाले छात्रों के लिए पुनर्प्रयत्न करें।

❖ ❖ ❖

१० शिक्षण अभ्यास - निर्देश

(Teaching Learning - Guidelines)

हमारे राज्य में सतत समग्र मूल्यांकन अमल में होने के कारण S.A.T. (Scholostic Achievement Test Record) पंजिका के स्थान पर सतत समग्र मूल्यांकन पंजिका लिखना चाहिए। Continuous Comprehensive Evaluation (C.C.E) शिक्षण प्रक्रिया के लिए जब पाठशाला जाते हैं तो योजना बनाकर उसके अनुकूल कार्य करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के साथ ही रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Evaluation) का आयोजन कर छात्रों की प्रगति दर्ज कर करनी चाहिए। उसी तरह शिक्षण प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद पाठ की दक्षताओं के आधार पर सारांशात्मक मूल्यांकन (Summative Evaluation) का प्रश्न पत्र निर्माण कर परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। परीक्षा आयोजित करने के उपरांत उत्तर-पत्रों जाँच कर अंक दर्ज करने चाहिए। इस तरह रचनात्मक व सारांशात्मक मूल्यांकन के आयोजन के उपरांत सी.सी.ई. पंजिका में उत्तर-पुस्तिका के परिणाम दर्ज करने चाहिए।

सी.सी.ई. पंजिका कैसे लिखें?

- सी.सी.ई. की आवश्यकता व विवरण
- रचनात्मक मूल्यांकन - साधन - विवरण
- रचनात्मक मूल्यांकन - साधन - विवरण
- प्रश्न-पत्र निर्माण का ढंग
- भार-तालिका
    - दक्षतावार (शैक्षिक मापदंड) - भार-तालिका
    - प्रश्नवार - भार-तालिका
    - काठिन्यवार - भार-तालिका

- **रचनात्मक मूल्यांकन - छात्र प्रगति अंकन**

क्र.सं.	छात्र का नाम	अर्जित अंक				कुल अंक 50 M	ग्रेड
		छात्रों की भागीदारी 10 M	लिखित कार्य 10 M	परियोजना कार्य 10 M	लघु परीक्षा 20 M		

- **सारांशात्मक मूल्यांकन - छात्र प्रगति अंकन**

क्र.सं.	छात्र का नाम	दक्षतावार अर्जित अंक					कुल अंक	ग्रेड
		सुनना-बोलना, प्रशंसा 10 M	पढ़ो 20 M	लिखो 30 M	सृजनात्मक अभिव्यक्ति 20 M	शब्द-भंडार, व्याकरणांश 20 M		

- वार्षिक / अंतिम परिणाम

क्र.सं.	छात्र का नाम	रचनात्मक मूल्यांकन के अंक	रचनात्मक मूल्यांकन के ग्रेड	सारांशात्मक मूल्यांकन के अंक	सारांशात्मक मूल्यांकन के ग्रेड	रचनात्मक व सारांशात्मक मूल्यांकन के कुल अंक	अंतिम परिणाम के ग्रेड

- दक्षतावार विश्लेषण तालिकाएँ
- ग्रेडिंग विश्लेषण : विषय

कक्षा	**कुल छात्रों का संख्या**	A+	A	B+	B	C

- **छात्र अधिगम की समस्याएँ (किन-किन शैक्षिक मापदंडों में पिछड़े हैं?)**
- **वैकल्पिक शिक्षण, कार्यान्वयन योजना (शैक्षिक मापदंडों में पिछड़े छात्रों को अपेक्षित स्तर तक पहुँचाने के लिए तैयार की जाने वाली योजना)**
- **समापन**

छात्राध्यापक की व्यक्तिगत जानकारी

Photo of the
B.Ed. student

1. Name of the B.Ed. Student :
2. Name of the Father / Gardian :
3. Date of the Birth :
4. (a) Residential address :
   with pin code :
   Phone No, Mobile / Land :
   (b) Present address :
5. Educational Qualifications :
6. B.Ed. Entrance Rank :
7. Hobbies :
8. Blood group :
9. (i) Height :
   (ii) Weight :
10. Bank Account Number :
11. E-mail address :
12. Identification marks :

शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ - निरीक्षण पत्र - हिंदी

निर्देश

छात्राध्यापकों को चाहिए कि वे शिक्षण हेतु चयन कालांश की योजना का निरीक्षण करें। उसके अनुरूप शिक्षण संपन्न हुआ क्या? या नहीं, निरीक्षण करें। तत्संबंधी कालांश से संबंधित शैक्षिक मापदंडों की प्राप्ति के बारे में, छात्राध्यापक के शिक्षण के सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों का निरीक्षण तदानुसार निर्देश लिखित रूप में दें।

A. सामान्य जानकारी

1) छात्राध्यापक का नाम
2) क्रम संख्या
3) शिक्षण कक्षा
4) विषय
5) पाठ / इकाई
6) पाठ्यांश
7) शिक्षण की तिथि
8) पाठशाला का नाम
9) छात्रों की संख्या
10) छात्रों की उपस्थिति

B. कालांश योजना / निरीक्षण

1) क्या सोपान क्रम से लिखे गये हैं?
2) क्या शिक्षण अंश के दूवारा अपेक्षित दक्षताओं के बारे में लिखा है?
3) क्या अपेक्षित दक्षताओं के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ या अधिगम अनुभवों का समायोजन किया गया है?
4) क्या अपेक्षित दक्षताओं की प्राप्ति के अनुरूप छात्रों की अर्थग्राहूता के लिए प्रश्न लिखें हैं?
5) क्या शिक्षण अधिगम सामग्री का विवरण लिखा है?

C. कक्षा कक्ष आयोजन - शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का निरीक्षण

I. उपसंहार

- क्या उन्मुखीकरण चित्र के बारे में बातचीत करवाया गया? या पुनरावृत्ति हुई?
- क्या पाठ का नाम श्यामपट पर लिखा गया?
- क्या पाठ के उद्‌देश्य / संदर्भ के बारे में छात्र अवगत हुए?
- यदि कवि परिचय दिया गया है तो क्या उसके बारे में चर्चा हुई?

II. पठन क्रियाकलापों का आयोजन

- क्या छात्रों दूवारा सस्वर वाचन करवाया गया?
- क्या छात्रों दूवारा सस्वर वाचन करवाने के उपरांत उच्चारण त्रुटियों को सुधारा गया?
- क्या अध्यापक दूवारा आदर्श वाचन हुआ?
- क्या छात्रों दूवारा मौन वाचन हुआ? क्या समझ में न आने वाले शब्द रेखांकित किये गये?
- क्या छात्रों ने समझ में न आने वाले शब्दों के बारे में समूह अथवा साथी छात्रों में चर्चा की गयी?
- क्या समझ में न आने वाले शब्दकोश में खोजे गये?
- क्या शेष समझ में न आने वाले शब्दों के बारे में छात्रों से चर्चा की गयी?
- क्या नवीन शब्दों के बारे में वाक्य प्रयोग अथवा संदर्भोचित संदर्भों के दूवारा समझा गया?

III. पठन-पाठन - अर्थग्राहूयता

- क्या पाठूय विषय से संबंधित विचारोत्तेजक प्रश्न पूछे गये?
- क्या बहु-उत्तरीय प्रश्न पूछकर छात्रों को प्रतिक्रिया करने हेतु प्रेरित किया?
- क्या पाठ के मुख्य शब्द, संदेशात्मक वाक्यों के बारे में चर्चा आयोजित की गयी?
- क्या छात्र सोच-समझकर स्वयं से उत्तर दे पा रहे हैं?
- क्या बालक बेझिझक प्रश्न कर पा रहे हैं?
- क्या सभी छात्र चर्चा में भाग ले रहे हैं?
- क्या छात्राध्यापक दूवारा दिये जा रहे निर्देश छात्रों को समझ में आ रहे हैं?
- क्या छात्रों की अर्थग्राहूयता की जाँच के लिए दक्षतावार प्रश्न पूछ रहे हैं?
- क्या शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया गया?
- क्या सामग्री दूवारा सीखने के लिए छात्रों को सीखने के अवसर दिये गये?
- क्या श्यामपट का उपयोग किया गया?
- क्या श्यामपट पर बिना त्रुटियों के लिखा गया?
- क्या श्यामपट पर छात्रों के लिए अक्षर सुंदर व देखकर लिखने योग्य लिखे गये?
- क्या कालांश से निर्धारित दक्षताओं की प्राप्ति के अनुरूप शिक्षण कार्य संपन्न हुआ?
- क्या कालांश से निर्धारित दक्षताओं की प्राप्ति के अनुरूप मूल्यांकन संपन्न हुआ?

IV. अभ्यासों पर चर्चा - अर्थग्राह्यता

- आज किन-किन दक्षताओं की प्राप्ति के लिए अभ्यासों का आयोजन किया गया?.........................
- इसके अनुरूप किन-किन क्रियाकलापों का आयोजन किया गया?...
- छात्रों द्वारा किस तरह के क्रियाकलाप करवाये गये?(व्यक्तिगत/ पूर्ण कक्षा कक्ष/ समूह)......................
- कितने छात्रों ने दक्षताओं में निपुणता प्राप्त की?...
- क्या छात्रों को उनकी त्रुटियों को सुधारने के लिए पूर्ण कक्षा कक्ष क्रियाकलाप का आयोजन किया? ....
- आज जिन दक्षताओं की प्राप्ति करनी है, क्या उसके बारे में छात्रों को अवगत करवाया? ....

V. स्वमूल्यांकन आयोजन

- क्या स्वमूल्यांकन के प्रत्येक अंश अध्यापक द्वारा पढ़ाये गये?
- क्या छात्रों द्वारा जो कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं, कि पहचान की गयी?
- किन-किन दक्षताओं में 80% छात्र कर सकते हैं?
- किन-किन दक्षताओं में छात्र पिछड़े हैं?
- जो छात्र नहीं कर सकते, क्या उनके लिए वैकल्पिक शिक्षण की व्यवस्था की गयी है?

VI. सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष, निर्देश

- इस कालांश में देखे गये सकारात्मक पक्ष...
  ....
- इस कालांश में देखे गये नकारात्मक पक्ष...
  ....
- शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए आप क्या सुझाव / निर्देश देना चाहेंगे?...
  ....
  ....
  ....

निरीक्षक का नाम **निरीक्षक का हस्ताक्षर**

11

संदर्भ सूची

(Reference List)

अध्यापक नित्य अधिगमकर्ता है। उसे अपने व्यावसायिक दक्षताओं में निपुणता लानी चाहिए। इसके लिए आवश्यक संदर्भ पुस्तकों का पठन समय-समय पर करना चाहिए। अंतरजाल (इंटरनेट) के द्वारा विषय की जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। अध्यापक व्यवसाय में आने से पूर्व ही ऐसी पुस्तकों का पठन करना चाहिए। आपके लिए कुछ संदर्भ पुस्तकें नीचे दी जा रही हैं। इन्हें अवश्य पढ़ें।

1) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा - 2005
2) भाषा व भाषा का आधार पत्र - राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
3) शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009
4) बालक - भाषा - अध्यापक - लेखक प्रो. कृष्ण कुमार
5) आंध्र प्रदेश राज्य शैक्षिक आधार पत्र - 2004
6) भाषा - भाषा शिक्षण - आधार पत्र - APSCERT
7) अध्यापक सहायक पुस्तिका - 6, 7, 8, 9 कक्षाएँ
8) सतत समग्र मूल्यांकन सहायक पुस्तिका
9) शिक्षा का अधिकार अधिनियम - अध्यापक सहायक पुस्तिका - SCERT
10) सहगामी पाठ्यक्रम

11) **हिंदी पाठ्यक्रम** (1 से 10 **कक्षाएँ**)

12) **लर्निंग कर्व - स्पेशल इश्यू ऑन लैंग्वेज लर्निंग**

13) **भाषा - आधुनिक दृष्टिकोण - सर्व शिक्षा अभियान सहायक पुस्तिका**

14) **अधिगम विकास कार्यक्रम सहायक पुस्तिका** - SSA

15) **शब्द कोश, बाल साहित्य**

❖ ❖ ❖

12 महत्वपूर्ण वेबसईट्स
(Important Websites)

भाषा, भाषा शैक्षिक संबंधित सरकारी व स्वच्छंद संस्थाएँ, वेबसाईट, उपयुक्त ग्रंथ

अ) भाषा विकास के लिए उपयोगित सरकारी संस्थाएँ

क्र. सं.	संस्था का नाम	वेबसइट
1.	सेंट्रल इनस्टिट्यूट ऑफ इंडियन लांग्वेजेस, मैसूर	www.cill.org
2.	कमीशन फर सैंटिफिक अंड टेकनिकल टर्मिनालजी, नई दिल्ली	www.cstt.nic.in
3.	नेशनल कौंसिल ऑफ एड्युकेशनल रीसर्च अंड ट्रैनिंग, नई दिल्ली	www.ncert.nic.in
4.	नेशनल ट्रांश्लेषण मिशन	www.ntm.org.in
5.	केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली	www.hindinideshalaya.nic.in
6.	केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा	www.khsindia.org;

आ) स्वच्छंद संस्थाओं के नाम

क्र. सं.	संस्था का नाम	वेबसइट
1.	सेंटर फर लेरनिंग, बेंगलूर	http://cfl.in
2.	सेंटर फर लेरनिंग, रिसोरसेस, पूणे	www.clrindia.net
3.	दिगंतर शिक्षा एवं खेलकूद समिती, जैपूर	www.digntar.org
4.	एकलव्य, मुंबाई	http://eklavya.in
5.	प्रथम, मुंबाई	www.pratham.org
6.	ऋषीव्याली इनिस्टिट्यूट ऑफ एड्केशन, चित्तूर ज़िला, आ.प्र.	http://www.rishivalley.org
7.	द टीचर फौंडेशन, बेंगलूर	www.teacherfoundation.org
8.	विद्याभवन एड्युकेशन रीसोरस सेंटर, वी.वी. टीचर्स कॉलेज़, उदयपूर	http://vidyabhavansociety-eminar-org

इ) प्रचुरण संस्थाओं के नाम

क्र. सं.	संस्था का नाम	वेबसइट
1.	एमेस्को पब्लिकेशन्स, हैदराबाद	www.emesco.com
2.	भारत ज्ञान विज्ञान समिती (बिजिविएस)	www.bgws.org
3.	सेंटर फर लेरनिंग रीसोरसेस	www.clirindia.net/materials/childrenbooks.html
4.	चंदमामा इंडिया	www.chandamama.com
5.	चिल्ड्रन बुकट्रस्ट (CBT)	www.childrenbooktrust.com
6.	एकलव्य	http://eklavya.in
7.	इंडिया बुक हौज़	www.ibhworld.com
8.	जनचेतन	http://janchetnaa.blogspot.com
9.	कराडी टेल्स कंपनी	www.karaditales.com
10.	कथा, नईदिल्ली	www.katha.org

11. मेकमिलन पब्लीशर्स http://international.macmillan.com
12. नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) www.nbtindia.org.in
13. नेशनल कौनसिल ऑफ एड्युकेशनल रिसरर्च एंड ट्रैनिंग www.ncert.nic.in
14. पिसियम चिल्ड्रन्स मैगज़ीन www.pcmmagazine.com
15. प्रथम बुक्स www.prathambooks.org
16. पुस्तक महल www.pustakmahal.com
17. रूम टु रीड www.roomtoread.org
18. द लरनिंग ट्री स्टोर http://www.tltree.com
19. तुलिका बुक्स www.tulikabooks.com
20. सरस्वती पब्लीकेशन्स www.saraswatihouse.com
21. हिंदी वर्णमाला, उच्चारण ज्ञान तथा भाषा सीखने के लिए - http://www.anu.edu.au/asianstudies/hindi/pronounce/velar.html; http://pune.cdac.in/html/aai/lilasil.aspx; http://lilappp.cdac.in/; http://www.omniglot.com/writing/syllabic.htm
22. हिंदी प्रशिक्षण एवं हिंदी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए- http://www.hindiforyou.blogspot.com/ http://vishwajitmajumdar.blogspot.com/
23. ऑनलाइन हिंदी शब्दकोश के लिए - http://www.shbdkosh.com/; http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/caturvedi/ http://hi.wiktionary.org/wiki/Hindi_Glossaries
24. हिंदी साहित सभी 22 भारतीय भाषाओं के लिए पौद्योगिकी विकास जानने तथा सरल टायपिंग सीखने जैसे आकर्षक सॉफ्टवेयर निशुल्क डाउनलोड करने के लिए http://www.ildc.in/Hindi/hdownloadhindi.html
25. हिंदी सीखने के लिए, हिंदी से रोज़गार समाचार के लिए, हिंदी पुस्तकों के लिए और हिंदी अध्यापन विकास के लिए सहायक वेवसाइट www.rajbhasha.nic.in;www.ildc.gov.in;www.bhashaindia.com; www.ssc.nic.in; www.parliamentofindia.nic.in; www.ibps.in; www.khsindia.org; www.hindinideshalaya.nic.in